वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का शिक्षा पर प्रभाव

डॉ0 विनय कुमार त्रिपाठी

प्राचार्य
श्री गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय
सुजानगंज जौनपुर

कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से बच्चे असमान रूप से प्रभावित हुए क्योंकि महामारी के दौरान सभी बच्चों के पास सीखने के लिए जरूरी अवसर, साधन या पहुंच नहीं थी। लाखों छात्रों के लिए स्कूलों का बंद होना उनकी शिक्षा में अस्थायी तौर पर व्यवधान भर नहीं, बल्कि अचानक से इसका अंत होना था।

शिक्षा को तमाम सरकारों की पुनर्निर्माण योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए ताकि दुनिया भर में हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा सुलभ हो सके। लन्दन के एक रिपोर्ट में कहा कि सरकारों को कोविड–19 महामारी से हुए अभूतपूर्व व्यवधान के कारण बच्चों की शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए. ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट के साथ एक इंटरैक्टिव फीचर है जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा से जुड़ी आम बाधाओं के गहराने की पड़ताल की गई है।[1]

इनक्वालिटीज इन चिल्ड्रेन्स राइट टू एजुकेशन ड्यू टू द कोविड–19 पैन्डेमिक'') में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से कैसे बच्चे असमान रूप से प्रभावित हुए। क्योंकि महामारी के दौरान तमाम बच्चों के पास सीखने के लिए जरूरी अवसर, साधन या पहुंच नहीं थी. ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया कि महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता ने शिक्षा संबंधी सहायता के मौजूदा असमान वितरण को बढ़ावा दिया है। अनेक सरकारों के पास ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के लिए ऐसी नीतियां, संसाधन या बुनियादी ढांचा नहीं थे जिससे कि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा हासिल कर सके।[2]

ह्यूमन राइट्स वॉच की सीनियर एजुकेशन रिसर्चर एलिन मार्टिनेज ने कहा, ''महामारी के दौरान लाखों बच्चों के शिक्षा से वंचित होने के कारण, अब समय आ गया है कि बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण एवं मजबूत शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण कर शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ किया जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ महामारी से पहले की स्थिति बहाल करना नहीं, बल्कि व्यवस्था की उन खामियों को दूर करना होना चाहिए जिनके कारण लंबे समय से स्कूल के दरवाजे सभी बच्चों के लिए खुले नहीं हैं।

मई 2021 तक, 26 देशों में स्कूल पूरी तरह से बंद थे और 55 देशों में स्कूल केवल आंशिक रूप से या तो कुछ स्थानों में या केवल कुछ कक्षाओं के लिए खुले थे। यूनेस्को के अनुसार, दुनिया भर में स्कूल जाने वाले करीब 90 फीसदी बच्चों की शिक्षा महामारी में बाधित हुई है। यहां तक कि जो छात्र अपनी कक्षाओं में लौट आए हैं या लौट आएंगे, साक्ष्य बताते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक वे महामारी के दौरान पढ़ाई में हुए नुकसान के प्रभावों को महसूस करते रहेंगे। बहुत से बच्चों की पढ़ाई में क्षति पहले से मौजूद समस्याओं के कारण हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, कोविड–19 के प्रसार से पहले ही पांच में से एक बच्चा स्कूल से बाहर था। कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से खास तौर पर महामारी के पूर्व शिक्षा में भेदभाव और बहिष्करण का सामना करने वाले समूहों के छात्रों को नुकसान पहुंचा है। इन छात्रों में शामिल हैं, गरीबी में रहने वाले या उसकी दहलीज पर खड़े बच्चे, विकलांग बच्चे, किसी देश के नृजातीय और नस्लीय अल्पसंख्यक समूहों के बच्चे, लैंगिक असमानता वाले देशों की लड़कियां, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों या सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे, और विस्थापित, शरणार्थी, प्रवासी तथा शरण मांगने बच्चे।

कोविड के कारण बच्चों के पास सीखने के लिए जरूरी अवसरों तक पहुंच नहीं थी। लाखों छात्रों के लिए स्कूलों का बंद होना उनकी शिक्षा में अस्थायी तौर पर व्यवधान भर नहीं, बल्कि अचानक से इसका अंत होना था।

महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता ने शिक्षा संबंधी सहायता के मौजूदा असमान वितरण को बढ़ावा दिया है। अनेक सरकारों के पास ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के लिए ऐसी नीतियां, संसाधन या बुनियादी ढांचा नहीं थे जिससे कि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा हासिल कर सके।

महामारी के दौर में स्कूल सभी छात्रों को समान रूप से दूरस्थ शिक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसका कारण सरकारों की अपनी शिक्षा प्रणाली में भेदभाव और असमानताओं को दूर करने, या घरों में सस्ती, सुचारू बिजली जैसी बुनियादी सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने या सस्ती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने में उनकी नाकामयाबी है। कम आय वाले परिवारों के बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई से बंचित होने के अधिक आसार थे क्योंकि वे पर्याप्त डिवाइस या इंटरनेट नहीं खरीद सकते थे। ऐतिहासिक रूप से कम संसाधनों वाले स्कूलों ने, जिनके छात्र पहले से ही शिक्षा संबंधी बड़ी बाधाओं का सामना कर रहे थे, वे डिजिटल सीमाबद्धताओं के समक्ष अपने छात्रों को पढ़ाने में विशेष कठिनाइयों का सामना किया। शिक्षा प्रणाली अक्सर छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने में विफल रही है। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र और शिक्षक इन तकनीकों का सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें।

सरकारों और स्कूलों को इसका विश्लेषण करना चाहिए कि किसने स्कूल छोड़ा और कौन वापस आया और सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल वापसी कार्यक्रम पढ़ाई छोड़ने वाले सभी बच्चों की खोजबीन करे, साथ ही इसके लिए उन्हें वित्तीय और सामाजिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए. स्कूल वापसी कार्यक्रम अभियानों की पहुंच व्यापक होनी चाहिए और इसे उन तमाम बच्चों और युवाओं का स्वागत करना चाहिए जो स्कूलों के बंद होने के पहले से ही शिक्षा प्रणाली से बाहर थे। सभी सरकारों और उनकी मदद कर रहे दाताओं और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को समावेशी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ होना चाहिए। मजबूत प्रणाली के निर्माण के लिए जरूरी है कि पर्याप्त निवेश और संसाधनों का समान वितरण किया जाए, साथ ही भेदभावपूर्ण नीतियों और कार्यप्रणालियों को तुरंत हटाया जाए।

स्कूल बंद होने के दौरान, ज्यादातर देशों में, शिक्षा या तो ऑनलाइन या अन्य दूरस्थ तरीकों से प्रदान की गई, लेकिन इसकी सफलता और गुणवत्ता में भारी अंतर है। इंटरनेट तक पहुंच, कनेक्टिविटी, सुलभता, भौतिक तैयारी, शिक्षकों का प्रशिक्षण और घर की परिस्थितियां समेत कई मुद्दों ने दूरस्थ शिक्षा की व्यवहार्यता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया।

भारत में स्थित मुख्य रूप से अनाथ या गरीब घरों के बच्चों के एक स्कूल के एक शिक्षक ने कहाः "अगर माता–पिता शिक्षित हैं, तो वे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और दूरस्थ शिक्षा में मदद कर सकते हैं जैसा कि मेरे पति और मैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन बहुत से छात्रों के माता–पिता अशिक्षित या अनपढ़ होते हैं या उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं होता है। ऐसे छात्रों को नुकसान होगा और उनकी प्रगति धीमी होगी."

इस प्रकार हम सकते हैं कि भारतीय शिक्षा के साथ–साथ पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था इस वैश्विक महामारी के कारण अस्त व्यस्त हो गई है जिससे शिक्षण संस्थाओं के साथ–साथ छात्रों का अहित निहित है और यह नुकसान हम आजीवन पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस महामारी के माध्यम से हम अपने को स्वावलंबी एवं विषम परिस्थितियों में शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची</u> :–

1–(लंदन, 17 मई, 2021) – ह्यूमन राइट्स वॉच

2– इनक्वालिटीज इन चिल्ड्रेन्स राइट टू एजुकेशन ड्यू टू द कोविड–19 पैन्डेमिक

अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के बालकों की विभिन्न विषयों में शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 अरुण कुमार मिश्र

शोध निर्देशक
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज

रंजना मिश्रा

शोधछात्रा (शिक्षाशास्त्र)
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय),प्रयागराज

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्यन की समस्या की प्रकृति के अनुसार अनुसंधान के लिए **''सर्वेक्षण विधि''** का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में जनपद जौनपुर के स्ववित्तपोषित एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालय ही शोध जनसंख्या का निर्माण किया गया है। प्रस्तुत शोध में सरल यादृच्छिक विधि से प्रतिदर्श का चयन किया जायेगा जिसमें 10 स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय एवं 10 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के 600 छात्र एवं छात्राओं का चयन किया गया जिसमें से अनुदानित के 112 छात्र–छात्राओं के अशिक्षित अभिभावक पाये गये जबकि स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में 103 अशिक्षित अभिभावक पाये गये जो अभिभावक हाईस्कूल से कम योग्यता रखते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में उपलब्धि मापने के लिए डॉ0 एल0एन0 दुबे द्वारा निर्मित **''हिन्दी उपलब्धि परीक्षण''**, डॉ0 अली इमाम एवं डॉ0 ताहिरा खातून द्वारा निर्मित **''गणित उपलब्धि परीक्षण''**, विज्ञान विषय में उपलब्धि मापने के लिए स्वनिर्मित **''विज्ञान उपलब्धि परीक्षण''** तथा सामाजिक विज्ञान विषय में उपलब्धि मापने के लिए स्वनिर्मित **''सामाजिक विज्ञान उपलब्धि परीक्षण''** का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं टी–अनुपात सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि– अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में उपलब्धि

स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों से उच्च है। अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय में उपलब्धि एवं सम्पूर्ण शैक्षिक उपलब्द्धि स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों के बराबर है।

मुख्य शब्द– अनुदानित, स्ववित्तपोषित, माध्यमिक विद्यालय, अभिभावक, शैक्षिक उपलब्द्धि

भूमिका–

अनौपचारिक अभिकरण मे परिवार का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर बालक माता–पिता से शिक्षा प्राप्त करता है क्योंकि माता–पिता परिवार की धूरी है उन्ही के इर्द गिर्द समपूर्ण परिवार संगठित रहता है प्रेम स्नेह एवं सौहार्द परिवार के आधार है बालक परिवार मे जन्म लेता है वही पर वह उठना बैठना खाना पीना दौडना चलना सभी कुछ सीखता है भाई बहनो से बाते कारना माता पिता अतिथि आदि का आदर करना वह सभी गुण परिवार से सीखता है परिवार मे उसे लेक्चर नही दिया जाता। वहा पर सिद्वान्तों का साक्षात दर्शन होता है अतः बालक के मानसिक पटल पर सीखी गई बाते स्थायी होती है महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय जी कहते है कि मैने बचपन से ही जो कुछ सीखा था वही मेरी शिक्षा है महात्मा गांधी ने अपनी माता से धार्मिक आचरण की सही शिक्षा प्राप्त की थी जगदीश चन्द बसु को अपने महान वैज्ञानिक अन्वेक्षण की सूझ बचपन मे अपनी माता की उक्ति से मिली थी जीजाबाई ने ही शिवाजी मे वीरता की भावना भर दी थी। इसलिए सभी महापुरूषो ने माता पिता का ऋण स्वीकार किया माता को भारतीय साहित्य मे आदि गुरू कहा गया है। पेस्टालाजी फ्रोबेल तथा मान्टेसरी ने घर को शिक्षा का सर्वोत्तम स्थल माना है। पेस्टालाजी के अनुसार घर बच्चे की पहली पाठशाला है फ्रोबेल के मतानुसार माताए और अध्यापिकांए है । मान्टेसरी ने विद्यालय को बचपन का घर कह कर पुकारा है। बालक का स्कूल माता की गोद से प्रारम्भ हो जाता है और परिवार मे ही रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद बालक का सर्व प्रथम अपने माता–पिता से सम्पर्क होता है।

प्रस्तुत अध्ययन की समस्या माध्यमिक स्तर के विधार्थियो के अशिक्षित अभिभावकों के शैक्षिक उपलब्धि पडने वाले प्रभाव का अध्ययन से संबन्धित है। अभिभावक विद्यार्थियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अत्यधिक प्रभाव डालता है परिवार के प्रेम और सहानुभूति के वातावरण में दी जाने वाली शिक्षा ही स्वाभाविक और स्थायी होती है माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी का सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, धार्मिक, चारित्रिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। विद्यार्थी समाज में जो कुछ भी अच्छा बुरा देखता व सुनता है उसे बहुत आसानी से सीख लेता है।

पूर्व अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अभिभावकों की शैक्षणिक क्षमता का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। **सिंह, परमिन्दर (2016)** के परिणाम छात्रों के घर के परिवेश की विभिन्न श्रेणियों और उनकी गणित विषय में उपलब्धि में महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। **वर्मा, पूनम जगदीश (2017)** ने अध्ययन के निष्कर्ष में किशोरियों के शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिभावक संलग्नता के मध्य उच्च धनात्मक सहसम्बन्ध है **शुक्ला, रजनीश कुमार (2019) के परिणाम** गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके अभिभावकों का उन विद्यालयों के प्रति अभिवृत्ति के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया।

अनौपचारिक अभिकरण मे परिवार का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि माता–पिता परिवार की धूरी हैं। अभिभावक विद्यार्थियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अत्यधिक प्रभाव डालता है परिवार के प्रेम और सहानुभूति के वातावरण में दी जाने वाली शिक्षा ही स्वाभाविक और स्थायी होती है। यही कारण है कि अभिभावकों के संलग्नता का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर कहा जा सकता है कि अभिभावकों के संलग्नता का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया। अतः शोधकर्त्री द्वारा यह देखने का प्रयास किया गया कि क्या **अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन** किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित विषय में शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सम्पूर्ण शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना–

H_{01} अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

H_{02} अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित विषय में शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

H_{03} अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

H_{04} अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

H_{05} अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सम्पूर्ण शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध–प्रविधि–

प्रस्तुत अध्यन की समस्या की प्रकृति के अनुसार अनुसंधान के लिए ''**सर्वेक्षण विधि**'' का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में जनपद जौनपुर के स्ववित्तपोषित एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालय ही शोध जनसंख्या का निर्माण किया गया है। प्रस्तुत शोध में सरल यादृच्छिक विधि से प्रतिदर्श का चयन किया जायेगा जिसमें 10 स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय एवं 10 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के 600 छात्र एवं छात्राओं का चयन किया गया जिसमें से अनुदानित के 112 छात्र–छात्राओं के अशिक्षित अभिभावक पाये गये जबकि स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में 103 अशिक्षित अभिभावक पाये गये जो अभिभावक हाईस्कूल से कम योग्यता रखते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में उपलब्धि मापने के लिए डॉ0 एल0एन0 दुबे द्वारा निर्मित ''**हिन्दी उपलब्धि परीक्षण**'', डॉ0 अली इमाम एवं डॉ0 ताहिरा खातून द्वारा निर्मित ''**गणित उपलब्धि परीक्षण**'', विज्ञान विषय में उपलब्धि मापने के लिए स्वनिर्मित ''**विज्ञान उपलब्धि परीक्षण**'' तथा सामाजिक विज्ञान विषय में उपलब्धि मापने के लिए स्वनिर्मित ''**सामाजिक विज्ञान उपलब्धि परीक्षण**'' का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं टी–अनुपात सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

1. **अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में शैक्षिक उपलब्धि की तुलना–**

$\mathbf{H_{01}}$ अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 1
हिन्दी विषय में शैक्षिक उपलब्धि

क्रमांक	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमानों का अन्तर	मानक त्रुटि	'टी'–अनुपात
1.	अनुदानित	112	63.51	12.94	6.66	1.94	3.43*
2.	स्ववित्तपोषित	103	56.85	15.34			

*.05 स्तर पर सार्थक

यह परिकल्पित किया गया है कि 'अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय **की उपलब्धि** में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। **तालिका 4.56** में अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय की उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 63.51 एवं 56.85 है। दोनों समूहों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय की उपलब्धि में 'टी'–अनुपात= 3.43 है जो मुक्तांश (=213) तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु अपेक्षित मान क्रान्तिक (=1.97) से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत। परिणामतः अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय की उपलब्धि में अन्तर है। अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में उपलब्धि का मध्यमान स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में उपलब्धि के मध्यमान से अधिक है।

2. अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित विषय में शैक्षिक उपलब्धि की तुलना–

H_{02} अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित विषय में शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 2
गणित विषय में शैक्षिक उपलब्धि

क्रमांक	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमानों का अन्तर	मानक त्रुटि	'टी'–अनुपात
1.	अनुदानित	112	58.41	12.36	0.22	1.59	0.14
2.	स्ववित्तपोषित	103	58.63	10.88			

*.05 स्तर पर असार्थक

यह परिकल्पित किया गया है कि 'अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित विषय **की उपलब्धि** में कोई सार्थक अन्तर नहीं

होता है।' **तालिका 4.57** में अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित विषय की उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 58.41 एवं 58.63 है। दोनों समूहों के विद्यार्थियों की गणित विषय की उपलब्धि में 'टी'–अनुपात= 0.14 है जो मुक्तांश (=213) तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु अपेक्षित मान क्रान्तिक (=1.97) से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत। परिणामतः अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित विषय की उपलब्धि में अन्तर नहीं है। अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित विषय में उपलब्धि का मध्यमान स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित विषय में उपलब्धि के मध्यमान के बराबर है।

3. अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि की तुलना–

H_{03} अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 3

विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि

क्रमांक	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमानों का अन्तर	मानक त्रुटि	'टी'–अनुपात
1.	अनुदानित	112	61.22	11.58	0.77	1.77	0.44
2.	स्ववित्तपोषित	103	60.45	14.18			

*.05 स्तर पर असार्थक

यह परिकल्पित किया गया है कि 'अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय **की उपलब्धि** में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।' **तालिका 4.58** में अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 61.22 एवं 60.45 है। दोनों समूहों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की उपलब्धि में 'टी'–अनुपात= 0.44 है जो मुक्तांश (=213) तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु अपेक्षित मान क्रान्तिक (=1.97) से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत। परिणामतः अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की उपलब्धि में अन्तर नहीं है। अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में उपलब्धि का मध्यमान स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में उपलब्धि के मध्यमान के बराबर है।

4. अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि की तुलना–

H_{04} अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 4

सामाजिक विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि

क्रमांक	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमानों का अन्तर	मानक त्रुटि	'टी'–अनुपात
1.	अनुदानित	112	60.03	13.81	1.92	1.89	1.02
2.	स्ववित्तपोषित	103	61.95	13.88			

*.05 स्तर पर असार्थक

यह परिकल्पित किया गया है कि 'अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान **विषय की उपलब्धि** में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।' **तालिका 4.59** में अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय की उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 60.03 एवं 61.95 है। दोनों समूहों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय की उपलब्धि में 'टी'–अनुपात= 1.02 है जो मुक्तांश (=213) तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु अपेक्षित मान क्रान्तिक (=1.97) से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत। परिणामतः अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय की उपलब्धि में अन्तर नहीं है। अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय में उपलब्धि का मध्यमान स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय में उपलब्धि के मध्यमान के बराबर है।

5. अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सम्पूर्ण शैक्षिक उपलब्धि की तुलना–

H_{05} अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की सम्पूर्ण शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 5

शैक्षिक उपलब्धि

क्रमांक	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमानों का अन्तर	मानक त्रुटि	'टी'–अनुपात

1.	अनुदानित	112	243.17	23.98	5.29	3.43	1.54
2.	स्ववित्तपोषित	103	237.88	26.16			

*.05 स्तर पर असार्थक

यह परिकल्पित किया गया है कि 'अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।' **तालिका 4.60** में अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 243.17 एवं 237.88 है। दोनों समूहों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में 'टी'–अनुपात= 1.54 है जो मुक्तांश (=213) तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु अपेक्षित मान क्रान्तिक (=1.97) से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत। परिणामतः अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर नहीं है। अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्यमान के बराबर है।

निष्कर्ष–

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये–

- अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में उपलब्धि स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों से उच्च है।
- अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों की गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय में उपलब्धि एवं सम्पूर्ण शैक्षिक उपलब्धि स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यार्थियों के बराबर है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची :–

- अमाजू एवं ओकोरो (2015). सोशल स्टेट्स ऑफ पैरेन्ट एण्ड स्टूडेन्ट्स ऐकेडमिक परफॉरमेन्स इन आबा एजुकेशन जोन, अबिया स्टेट, *एडवांसड इन रिसर्च*, 3(2), 189–197
- ओमन, निम्मी मारिया (2015). होम इनवायरमेण्ट एण्ड एकेडेमिक एचिवमेण्ट ऑफ स्टूडेन्ट्स एट हायर सेकेण्डरी लेवल, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ करेण्ट रिसर्च*, 7(07), पृ0 18745–18747
- ओगुनशोला, फेमी एवं अदेवाले (2012). द इफेक्ट ऑफ पैरेन्टल सोशियो–इकोनॉमिक स्टेट्स ऑन एकेडमिक परफार्मेन्स ऑफ स्टूडेन्ट्स इन सेलेक्ट स्कूल्स इन इदु लगा ऑफ कवारा स्टेट नाइजीरिया, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च इन बिजनेश एण्ड सोशल साइंस*, वॉल्यूम–2, नं0 7, पृ0 230–239
- इला, आर0ई0; ओडोक, ए0ओ0 एवं इला, जी0ई0 (2015), इनफ्लुएन्स ऑफ फैमिली साइज एण्ड फैमिली टाइप ऑन एकेडेमिक परफार्मेन्स ऑफ स्टूडेन्ट्स इन गवर्नमेन्ट इन कैलावर

म्यूनिस्पिलटी, क्रास रीवर स्टेट, नाइजीरिया, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमनटीज, सोशल साइंस एण्ड एजूकेशन,* 2(4), पृ0 108–114

- कक्कड़, निधि (2016). ए स्ट्डी ऑफ एकेडेमिक एचिवमेण्ट इन रिलेशन टू होम इनवायरमेण्ट ऑफ सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेन्ट्स, *स्कूलर्ली रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमिनिटी, साइंस एण्ड इंग्लिश लैंग्वेज,* 3(15), पृ0 3247–3253
- केन, पामेला ई. डेविस (2005). द इन्फ्लूएन्स ऑफ पैरेन्ट एजूकेशन एण्ड फैमिली इन्कम ऑन चाइल्ड एचिवमेन्ट : द इन्डाइरेक्ट रोल ऑफ पैरेन्टल एक्सपेटेशन्स एण्ड द होम इन्वायर्मेन्ट, *जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन,* वाल्यूम–19, नं0 2, पृ0 294–304
- देशवाल, वाई0एस0; रेखारानी एवं अहलावत, सविता (2014). इम्पैक्ट ऑफ होम इनवायरमेण्ट ऑन एकेडेमिक एचिवमेण्ट ऑफ एडोलेसेन्ट स्टूडेन्ट्स इन रिलेशन टू देयर लोकल्टी एण्ड टाइप ऑफ स्कूल, *इण्डियन इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च,* 1(3), पृ0 42–49
- बसंल, एस0; थंड, एस0के0 एवं जसवाल, एस0 (2006). रिलेशनशिप बिटविन क्वालिटी ऑफ होम इनवायरमेण्ट, लोकस ऑफ कण्ट्रोल एण्ड एचिवमेण्ट मोटिवेशन एमंग हाई एचिवर अर्बन फीमेल एडोलेसेन्ट्स, *J. Hum. Ecal.* 19(4), पृ0 253–257
- भारती, ऋषिराज (2011). सरकारी एवंम् गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा–9 के विद्यार्थियों का विज्ञान के प्रति उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कोटवा–जमुनीपुर दुबावल, इलाहाबाद
- मोहम्मद–अल–मटालका एवं फैजल, इब्राहिम (2014). द इन्फ्लूऐन्स ऑफ पैरेन्टल सोशियो–इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ देयर इन्वालमेन्ट एट होम, पी–एच.डी., समाजशास्त्र विभाग, *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमिनिटिज एण्ड सोशल साइंस,* वाल्यूम–4, नं0 5, मार्च 2014
- वर्मा, पूनम जगदीश (2017). इफेक्ट ऑफ फैमिली क्लाइमेट एण्ड पैरेन्टल इन्क्रेजमेण्ट ऑफ ऐकेडमिक एचिवमेण्ट ऑफ स्कूल गोइंग एडोवलेन्ट्स, द *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ इण्डियन साइकोलॉजी,* वॉल्यूम–4, इश्शू–4, पृ0 5–17
- सिंह, परमिन्दर (2016). स्ट्डी ऑफ एकेडेमिक एचिवमेण्ट इन रिलेशन विथ स्ट्डी हैबिट्स एण्ड होम इनवायरमेण्ट, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव साइंस, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी,* 3(1), पृ0 107–118

टेलीविजन न्यूज चैनल्स एवं सोशल मीडिया के अंतर्वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन

प्रो० राम मोहन पाठक

शोध निर्देशक
पूर्व कुलपति,
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज

पंकज कुमार यादव

शोधछात्र (पत्रकारिता एवं जनसंचार)
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय),प्रयागराज
pankajeshyadav@gmail.com

शोध सार – मानव निरंतर अपनी सूचना जरूरतों को पूर्ण करने के लिए संदेशों के नये–नये रूपों की खोज करता रहता है। सन् 105 ई. में एक चीनी नागरिक के द्वारा कपास एवं मलमल से की गई कागज के अविष्कार ने एक शुरूआत की। चीन से ही सन् 712 ई. में ब्लाक प्रिंटिंग प्रकाश में आई। इसमें एक लकडी के ब्लाक को प्रिंटिंग के लिये डिजायन किया गया था। सन् 650 ई. में हीरक सूत्र नामक पहली पुस्तक मुद्रित कराकर प्रकाशित की गई। पाई शेंग नामक व्यक्ति ने सन् 1041 ई. में चीनी मिट्टी के मदद से अक्षरों को तैयार किया। जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग ने पहली बार चल टाइपों का अविष्कार किया। जॉन गुटेनबर्ग को दुनिया का पहला छापाखाना स्थापित करने का श्रेय जाता है। दुनिया में संचार के क्षेत्र में रेडियो का पदार्पण हुआ जो दुनिया में अपने सशक्त संचार के जरिये एक लम्बे वक्त से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। सिनेमा के दस्तक ने संसार को एक नया आयाम दिया। सिनेमा के बाद टेलीविजन ने दुनिया को सजीव प्रसारण व दुनिया को घर के एक कोने में ला दिया। कम्प्यूटर, इण्टरनेट एवं मोबाइल के संयोजन ने दुनिया की सारी दीवारों को तोड़ दिया। सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर, वाह्ट्सएप्प जैसे नेटवर्किंग साइट्स के आ जाने के बाद सोशल मीडिया ने दुनिया ही बदल दी। जहॉ एक ओर मुख्य धारा की मीडिया दिनभर की देश दुनिया के खबरों को लगातार प्रेषित करती रहती है वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में व्यापक रूप से सूचनाओं को साझा किया जाता है। सोशल मीडिया में सूचनाओं के सन्दर्भ में विश्वसनीयता का संकट है जबकि इलेट्रानिक न्यूज चैनलों में विश्वसनीयता तो है लेकिन उसमें गेटकीपर की भूमिका उसके सूचनाओं के फलक को सीमित कर देता है। सोशल मीडिया में दबती खबरों के

लिए भी स्पेस है जबकि न्यूज चैनल्स एजेंडे पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। सोशल मीडिया की प्रकृति सोशल होने के कारण वह अंतरव्यक्ति साधनों के अधिक समीप है जबकि न्यूज चैनल्स राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं के ज्यादा समीप हैं।

की वर्ड्स – सोशल साइट, इन्फोटेंमेंट, इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, सामाजिक सम्बन्ध, मुख्य धारा की मीडिया, सहभागी संचार

शोध पत्र

प्रस्तावना– संसार में संचार के माध्यमों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। संचार के द्वारा ही विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इंसान अपनी सूचना जरूरतों के लिए लगातार संचार के नित नए तरीकों की खोज करता रहा है। संसार में छपे हुए शब्दों के माध्यम से संचार के लिए एक लम्बी यात्रा से गुजरना पड़ा। यह यात्रा चीन से शुरू होती है जब पहली बार सन् 105 ई. में एक चीनी नागरिक के द्वारा कपास एवं मलमल से कागज के अविष्कार से एक नई शुरूआत हुई। भारत में पुरातन समय से ही तामपत्रों एवं भोजपत्रों पर संदेश लेखन का कार्य किया जाता रहा कमोबेश विश्व में भी यही स्थिति रही। चीन से ही सन् 712 ई. में ब्लाक प्रिंटिंग प्रकाश में आया। इसमें एक लकड़ी के ब्लाक को प्रिंटिंग के लिये डिजायन किया गया था। सन् 650 ई. में हीरक सूत्र नामक पहली पुस्तक मुद्रित कराकर प्रकाशित की गई। पाई शेंग नामक व्यक्ति ने सन् 1041 ई. में चीनी मिट्टी के मदद से अक्षरों को तैयार किया। जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग ने पहली बार चल टाइपों का अविष्कार किया। जॉन गुटेनबर्ग को दुनिया का पहला छापाखाना स्थापित करने का श्रेय जाता है। दुनिया में संचार के क्षेत्र में रेडियो का पदार्पण हुआ जिसने दुनिया में अपने सशक्त संचार के जरिये एक लम्बे वक्त से सूचना शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। कहा जाता है कि गति में ही प्रगति है। जहॉ गति है वहॉ प्रगति बड़ी तीव्र गति से होती है।[1] "साधारणतया उच्चारित शब्द एक सेकेण्ड में 332.5 मीटर की यात्रा तय करता है। हवा की पीठ पर सवार इससे तीव्र गति से (बिना किसी तकनीकी सहायता से अधिक तेज) नहीं चल सकते। पानी में इसकी गति 1449 मीटर प्रति सैकेण्ड हो जाती है। लोहे के तार में शब्द एक सैकेण्ड में 5130 मीटर दौड़ सकता है।" उन्नींसवीं शताब्दी तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया लेकिन माइकल फैराडे, जेम्स क्लार्क, मैक्सबेल और हेनरिक हर्ट्ज के आ जाने के बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज हुई ऑलिवर लॉज, सोवियत संघ के ऐलेक्जेंडर पापो, फ्रांस के एडार्ड ब्रानले और इटली के अगस्टो रिकी ने विद्युत चुम्बकीय तरंगें पैदा करने और इन्हें पहचानने के तरीके खोजे। इटली के मारकोस गुगलेम्मी मारकोनी ने 2 जून 1896 को वायरलैस टेलीग्राफ का पेटेन्ट प्राप्त कर लिया। इसी के साथ दुनिया में संचार की एक अमिट महायात्रा मोर्स कोड की शुरूआत हुई। रेडियो का प्रथम प्रायोगिक प्रसारण ब्रिटेन में दिसम्बर

1919 में किया गया। 1922 में ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कम्पनी की स्थापना हुई। भारत में रेडियो का नियमित प्रसारण 1926 में भारत सरकार और दि इण्डियन ब्राडकास्टींग कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी के बीच करार के साथ प्रारंभ हुआ।"[2] हर माध्यम लोक को अपनी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करता है। रेडियो जहॉ शब्दों एवं ध्वनियों का समन्वय बनाता है वहीं प्रिन्ट माध्यम लेखन एवं चिन्हों की महत्ता के साथ अपनी बात रखता है। टेलीविजन अपनी क्षमता के कारण कुछ जानी पहचानी चीजें पेश करता है जिससे मनोरंजन एवं सूचना मिलता है। प्रसिद्ध माध्यम समालोचक **गरबनर** ने अपने प्रसिद्ध लेख **कल्चरल इण्डीकेटर्स द थर्ड वॉयस** में लिखा कि यह ठीक है कि जीवन का यथार्थ व्यक्त होना चाहिये।"

सोशल मीडिया आधुनिक संचार प्रणाली में इस समय सर्वाधिक प्रचलित माध्यम बनता जा रहा है।सोशल साइट्स में हम किसी भी प्रकार के टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। सोशल बुक मार्किंग, टैगिंग, फाइंडिंग आदि टूल्स सोशल मीडिया को और अधिक उपयोगी अैर इंटरैक्टिव बना देते हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की कम्युनिटी भी हैं, जिनसे जुड़कर विशेष तरह के विचारों के लोगों के साथ वैचारिक सापेक्षता स्थापित किया जा सकता है।

टेलीविजन :– स्कॉटलैण्ड के इंजीनियर जॉन बेयर्ड के एक प्रयोग ने सम्पूर्ण विश्व को ऐसी चित्रीय यांत्रिक प्रणाली दिया जिसके द्वारा आज हम सजीव प्रसारण को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाते हैं। टेलीविजन तकनीक के द्वारा चित्रों एवं दृश्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सक्षम है। दुनिया तेज रफ्तार तरंगों इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट माध्यम में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर के उपयोग से यह विधा तीव्र गति से शहरों के साथ ही साथ ग्रामीणांचल में सम्प्रेषण करने में अग्रणी है। जनसंचार के अन्तर्गत संचार के वे सभी माध्यम आते हैं जो छितरे

हुये अनगिनत जन तक को संचार सम्प्रेषण में सक्षम हों। समाचारपत्र, रेडियो, टेलीविजन एवं सोशल मीडिया जनसंचार माध्यमों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जनसंचार माध्यमों की प्रकृति, कार्य एवं प्रभाव में पर्याप्त भेद हैं। रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है, तो टेलीविजन दृश्य एवं श्रव्य दोनों जबकि समाचार पत्र मुद्रित माध्यम है, सोशल मीडिया माध्यमों का माध्यम है क्योंकि यह सभी माध्यमों को समाहित कर बहुप्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विजुवल का प्रभाव लगातार सभी मीडिया में बढ़ता चला जा रहा है। किन्तु इतना सब होते हुए भी मीडिया के प्रभाव का जब अध्ययन किया गया तो, यह भी पाया जाता है कि सामान्य दिनों में मीडिया का प्रभाव जितना माना जाता है, वह उस रूप में नहीं है। पॉल लेजर्स फलड ने बताया कि मीडिया उतना प्रभावी नहीं है जितना हम समझते हैं। मीडिया को ओपनियन लीडर प्रभावित करते हैं। ओपनियन लीडर के रूप में ही व्यक्तिगत सम्बन्धों का जाल बनता है। संचार विद्वान पॉल लीगन्सन का कहना है कि संचार एक प्रक्रिया है जिससे दो य दो से अधिक व्यक्ति ऐसे सभी विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का

सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह सम्प्रेषक और प्रापक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की सृंखला प्राप्त करने के लिये की गई। यह सम्मिलित क्रिया है। इसलिये अर्थ का संचार होता है, समाजिक मान्यताओं का संचरण होता है, और अनुभव को विस्तााार मिलता है। संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जो सम्बन्धों पर आधारित है। वह सम्बन्ध और व्यक्तियों को जोड़ने का एक बड़ा जरिया है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति को एक समूह से, एक समूह से दूसरे समूह को और एक देश से दूसरे देश से जोड़ने का काम भी संचार के आधार पर ही होता है।

टेलीविजन न्यूज चैनल्स के अंतर्वस्तु :–

टेलीविजन न्यूज चैनल्स में हर कार्यक्रम के लिए एक समय सीमा निश्चित रहती है। दिनभर के कार्यक्रमों के लिए ब्रेकिंग न्यूज से लेकर एक्सक्लूसिव न्यूज तक सबके लिए एक निश्चित प्रक्रिया के तहत प्रसारण होता है। टेलिविजन न्यूज चैनलों में विश्वसनीयता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। टेलीविजन चैनल पूर्ण रूप से कुछ भी दिखाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, उनके लिए भारतीय सवंधिान के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्तता की कसौटी पर भी खरा उतरना रहता है।[4] "मार्शल मैक्लुहान ने अपनी पुस्तक **(Understanding Media ; The Extension of Man) में (Innis)** के सिद्धान्त को बढ़ाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि माध्यम ही संदेश है । इनके अनुसार टेलीविजन प्रचार प्रसार का उन्मादी दबाव वाला तटतोप है।" दबाव समूहों के साथ चैनल की नीतियॉ तथा सरकारी नीतियों की प्रकृति भी उनके लिये सीमांकन का कार्य करती हैं। इन सबके अलावा टेलिविजन चैनलों को पत्रकारीय नीति को भी पालन करना होता है। जिस तरह हर विधा का अपना एक उद्देश्य उसकी पहुॅच आदि हुआ करता है, उसी तरह टेलिविजन चैनल का खबरों के प्रति प्रक्रिया होती है।

हार्ड न्यूज : हार्ड न्यूज यानि ऐसी घटनाएं जो अचानक ही घटती हैं और बड़ी खबर बन जाती हैं। जैसे– कहीं प्राकृतिक आपका, टेरर एटैक, दुर्घटना आदि।

सॉफ्ट न्यूज : ऐसे समाचार होते हैं जिनकी जानकारी एक रिपोर्टर को पहले से ही रहती है। और इनमें रिपोर्टर को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे– रैलियॉ, कोई कार्यक्रम, संसद सत्र, न्यायालय के फैसले आदि।

फालोअप : किसी भी घटना के घटित हो जाने के बाद उसका समाचार तो प्रकाशित कर दिया जाता है किन्तु दर्शक यह जानना चाहता है कि उस घटना के सन्दर्भ में क्या प्रगति हुई इसके फालोअप न्यूज प्रसारित किये जाते हैं।

साइड बार : साइड बार में किसी ऐसी घटना के साथ पूर्व में घटित उसी तरह की घटनाओं का वर्णन साइड बार कहलाता है। इसका मकसद इतना है कि इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग को और प्रभावी बनाना।

सीरीज : किसी ऐतिहासिक घटना या घटनाओं पर सिलसिलेवार ढंग से बताने के तरीके को न्यूज सीरीज कहा जाता हैं।

ब्रेकिंग न्यूज : जब कोई बड़ी घटना होती है जिसकी व्यापकता सर्वाधिक हो है तो वह ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ब्रेकिंग न्यूज में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोई चैनल किसी भी बड़ी घटना को पहले ब्रेक करता है तो वही ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। ब्रेकिंग न्यूज आते ही प्रसारित किये जा रहे कार्यक्रम को फ्लैश आउट कर दिया जाता है।

एक्सक्लूसिव न्यूज : ऐसी न्यूज स्टोरी या समाचार जो किसी चैनल या रिपोर्टर के अलावा किसी के पास न हो और खबर बहुत महत्व रखती हो वह एक्सक्लूसिव न्यूज कहलाती है। जैसे– किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का साक्षात्कार, किसी घटना के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण उद्घाटित तत्व आदि।

किकर एण्ड फाइनली : किकर एण्ड फाइनली को तब प्रस्तुत किया जाता है। जब दर्शक आधे घण्टे के बुलेटिन में समाज में नकारात्मक खबरों को सुनकर निराशा की ओर चला जाता है तब किकर एण्ड फाइनली के माध्यम से समाज की कुछ सकारात्मक खबरों के साथ बुलेटिन को समाप्त किया जाता है।

स्टिंग : स्टिंग आपरेशन के अंतर्गत इसमें किसी के ईमान के परख द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि किस स्तर पर कामकाज ठीक चल रहा है अथवा अन्दर से कोई घपला या कमियॉ मौजूद हैं? यह ट्रांस्परेसी और कॉन्सिपिरेसी को प्रलोभन के माध्यम से सच निकलवाने का एक तरीका है।

टेलीविजन न्यूज चैनलों में निम्नांकित प्रभावों को बढाने वाले अंतर्वस्तु मिलते हैं–

- एक विश्वसनीय माध्यम जहॉ लोगों को तथ्यात्मक खबरें मिलती हैं।
- व्यक्तियों को एजेंडे की ओर ले जाने की प्रवृत्ति
- एकतरफा माध्यम
- जनमत निर्माण में प्रभावी भूमिका
- एक नीतिगत आचार संहिता
- खबरों पर गेटकीपिंग की प्रकिया का होना
- समाजिक जागरूकता का एक जरिया
- विज्ञापनों से आय के स्रोत बढे हैं।

- सामाजिक वैमनस्यता को कम कर सकता है।
- कभी–कभी महत्वपूर्ण खबरों को उतना महत्व नहीं मिलता
- सरकार का एक तरफा भोपूं बन सकता है।
- राष्ट्रीय एकता बढाने में सहायक
- जनता की आवाज
- सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक प्रेषित करता है।

सोशल मीडिया – सोशल मीडिया वर्तमान समय में तीव्र गति से संचार के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति से सबको जोड़ने एवं विभिन्न सुविधाओं के उपयोग में अग्रणि है। सामाजिक मीडिया (आभासी मीडिया) एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से सहभागी संचार (Participatory Communication) का बाखूबी उपयोग किया जा रहा है। एन्ड्रायड तकनीक ने इण्टरनेट को तीव्र गति से मोबाइल पर एक्सेस करना आसान बनाने के साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी मोबाइल पर ला दिया, जिससे इसका तीव्र गति से विस्तार होने के साथ ही कनेक्टीविटी भी बढ़ गई।[3] "न्यूमैन ने 1991 में इस बात को बताया कि मीडिया में सभी श्रोताओं का एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क की जरूरत है, यह भी सम्भव है कि नए मीडिया श्रोताओं में एक विशिष्ट समय काल के कारण समाजिक या सांस्कृतिक पूर्वधारणा आ जाए।"

सोशल नेटवर्किंग साइट्स– सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑनलाइन स्पेस है जहॉ एक समय में कई सामाजिक संचारक अपनी इच्छानुसार भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इसमें Facebook, Twitter, Instagram, Myspace, Whatsapp, Google+, Skype, Viber, Line, Snapchat, LinkedIn आदि हैं जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध सामाजिक माध्यम हैं– Facebook, Twitter और Instagram.

फेसबुक (Facebook)- Facebook Inc. एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग पर आधारित कम्पनी है, जो कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में है। इस वेबसाइट को 04 फरवरी 2004 को लांच किया गया था। उस समय इसका नाम The Facebook रखा गया था। जब इसकी ख्याति बहुत बढ़ गई तब 2005 में इसका नाम फेसबुक रखा गया।

Twitter- ट्विटर 21 मार्च 2006 को शुरू हुआ था। इसको बनाने के पीछे चार प्रमुख व्यक्तियों का योगदान है–जैक डोर्सी (Jack Dorsey), नोह ग्लॉस (Noah Glass), बिज स्टोन (Biz Stone) और इवेन विलियम्स (Evan Willims)। ट्वीटर (Twitter) को हम एक ऑनलाइन न्यूज या व्यूज का सोशल नेटवर्क कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल यूजर्स एक दूसरे के साथ संचार–सम्प्रेषण के रूप में करते हैं।

Instagram- यह एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप है, जिसे सन् 2010 में लांच किया गया। इसे बनाने वाले केविन इस्ट्रॉम (Kevin Systrom) और माइक क्रिगर (Mike Krieger) हैं। इसकी बढ़ती ख्याति को देखते हुए फेसबुक ने इसे सन् 2012 में इसे खरीद लिया। यह कैप्शन युक्त फोटोज शेयर करने के विभिन्न फीचर्स इसमें उपलब्ध हैं।

Youtube- यूट्यूब अमेरिका की एक वीडियो देखने वाली वेबसाइट है, जिसमें पंजीकृत सदस्य वीडियो क्लिप देखने के साथ ही कमेंट कर सकते हैं और अपना वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। इसे पेपल के तीन पूर्व कर्मचारियों–चाड हर्ले, स्टीव चैन तथा जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था। इसे नवम्बर 2006 में गूगल ने खरीद लिया।

सोशल मीडिया के अंतर्वस्तु : – सोशल मीडिया आधुनिक संचार प्रणाली में इस समय सर्वाधिक प्रचलित माध्यम बनता जा रहा है। सहभागी संचार पर आधारित यह प्रकिया विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अपने उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है, जिसमें कन्टेन्ट निर्माण, फोटो, वीडियो शेयरिंग, कमेंट लाइक आदि की सुविधा उपलब्ध रहती है। इन सुविधाओं द्वारा उपयोगकर्ता को यूजर फ्रेंडली का आभास होता है। टेक्स्ट, वीडियो, फोटो व सूचना के वितरण एवं भागीदारी द्वारा सामग्री का वितरण एवं संयोजन किया जाता है। सोशल साइट्स में हम किसी भी प्रकार के टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। सोशल बुक मार्किंग, टैगिंग, फाइंडिंग आदि टूल्स सोशल मीडिया को और अधिक उपयोगी और इंटरैक्टिव बना देते हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की कम्युनिटी भी हैं, जिनसे जुड़कर विशेष तरह के विचारों के लोगों के साथ वैचारिक सापेक्षता स्थापित किया जा सकता है। सोशल मीडिया में आज असीमित सामग्री का उपयोग हो रहा है, जहॉ विभिन्न प्रकार की पुरानी समृतियॉ एवं सूचनाएं सुरक्षित मिल जाएंगी। यूजर जनरेटेड सामग्री, सुरक्षित संकलित, प्रेषणीय आदि का सर्वाधिक सरल माध्यम बन गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का उपयोग लगभग हर देश की सरकारें भी करने लगी हैं वे अपने देश से सम्बन्धित सूचनाएं, जनता के लिये किये कार्यों, लागू की गई योजनाओं के बारे में लगातार सामग्री का वितरण सोशल मीडिया प्लेटफार्म से करती रहती हैं। भारत जैसे लोतांत्रिक देश में हर राजनीतिक पार्टी का सोशल मीडिया वार रुम है जो समान्य दिनों में जनमत निर्माण कार्य में तथा प्रतिद्वंदी दलों की कमियॉ गिनाने में संलग्न रहता है वहीं दूसरी ओर चुनावा नजदीक आते ही ये अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। सोशल मीडिया की लोकप्रियता इतनी अधिक होती जा रही है कि मुख्य धारा की मीडिया भी इसके प्लेटफार्म पर अपने डिजिटल वर्जन के साथ न केवल मौजूद है बल्कि विविध तरीके से इनका उपयोग भी कर रही हैं।

सोशल मीडिया में निम्नांकित प्रभावों को बढाने वाले अंतर्वस्तु मिलते हैं–

- सोशल मीडिया एक स्वतंत्र मीडिया है जहॉ सहभागी संचार किया जाता है।
- सोशल मीडिया में व्यक्ति की रचनात्मकता के लिये पर्याप्त स्पेस उपलब्ध है।
- यह टेलीविजन न्यूज चैनलों की तरह एकतरफा माध्यम नहीं है।
- यह माध्यम विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है।
- सोशल मीडिया में फेक सूचना एवं अश्लीलता की भरमार है।
- यह दबाई जा रही सूचनाओं को उजागर करने का एक माध्यम भी है।
- यह आय का भी एक जरिया बन गया है।
- विज्ञापनों से आय आय के स्रोत बढे हैं।
- सामाजिक वैमनस्यता बढाने में कभी–कभी सहायक
- एकाकी जीवन की तरफ ले जाता है।
- दुष्प्रचार का माध्यम।
- आत्मसंतुष्टि का पोषक
- डिजिटल नशा का पोषक

टेलीविजन न्यूज चैनल्स एवं सोशल मीडिया के अंतर्वस्तु में अंतःसम्बंध :–

5"आरंभ में सिर्फ शब्द थे जो सिर्फ कहे जा सकते थे, फिर आविष्कार हुआ लेखन का जिसने कहे जाने वाले शब्दों को पिघलाकर एक दर्शनीय सॉचे में ढाला। इस आविष्कार ने भाषा के रूप का कायाकल्प किया। तत्पश्चात् शुरू हुई प्रिंटिंग की जिसने लिखित शब्दों को एक बड़े जनसमूह तक पहुँचाया और भाषा को दो प्रकार में बॉटा – लिखित और मौखिक, इसी के साथ बंटी जनता दो समूहों में– साक्षर और निरक्षर और फिर शुरूआत हुई आज के आधुनिक युग की जिसने विश्वस्तर पर सूचना एवं विचारों, दृश्यों और खबरों का विस्तार किया जो कि बहुत व्यापक है। आज के आधुनिक माध्यमों से कोई भी व्यक्ति उनमुक्त नहीं। परन्तु हम आज भी इन सबके मध्य में हैं, इसी विचार के साथ कि यह परिवर्तन हमें कहॉ तक प्रभावित कर रहा है।" आधुनिक माध्यमों के अंतर्गत टेलीविजन न्यूज चैनलों एवं सोशल मीडिया के अंतःसम्बंध को यदि देखें तो सोशल मीडिया में वायरल की प्रवृत्ति टेलीविजन के टीआरपी की तरह महत्व पर आधारित नजर आती है।

सोशल मीडिया में वायरल की प्रवृत्ति : 6"सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत किये गये पोस्ट बहुत ही तीव्र गति से साइट पर फैलते हैं। जब भी कोई रोचक, अजीब, अप्रत्याशित सकारात्मक या नकारात्मक घटना होती है और उसके सन्दर्भ में सोशल साइट पर डालने योग्य ऑडियो,

वीडियो, फोटो या फिर अन्य प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है तो बहुत से विजिटर तेजी से एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं"

टेलीविजन न्यूज चैनलों में टीआरपी : टेलीविजन न्यूज चैनलों में जिस तरह वायरल के क्रम में महत्व बढता है उसी तरह किसी चैनल की टीआरपी बढने से उसका महत्व बढता जाता है जिससे प्राप्त विज्ञापनों से आय और कार्यक्रमों की मांग बढ जाती है।

खबरों का विश्लेषण : टेलीविजन न्यूज चेनलों में खबरों या घटनाओं का विश्लेषण आमंत्रित विशेषज्ञगण करते हैं जबकि सोशल मीडिया में चल रही खबरों का विश्लेषण स्वतः ही लोग करते हैं।

निष्कर्ष – टेलीविजन न्यूज चैनलों एवं सोशल मीडिया के अंतर्वस्तु के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता जब वे सोशल मीडिया में किसी सामग्री की संरचना प्रेषण के लिये कर रहे होते हैं तो अपने आपमें एक प्रशारणकर्ता के रूप में व्यवहार करते हैं। टेलीविजन न्यूज चैनल आज भी विश्वसनीय खबरों के सर्वाधिक सशक्त माध्यम बने हुए हैं, यहॉ तक कि सोशल मीडिया में चल रही खबरों के लिए लोग टेलीविजन चैनलों की तरफ खबर को पुष्ट करने हेतु रुख करते हैं।

जहॉ एक तरफ दोनों में यह असमानताएँ हैं वहीं दूसरी ओर कुछ समानताएं भी प्राप्त होती हैं–

- सोशल मीडिया और टेलीविजन न्यूज चैनल सूचनाओं के बड़े स्रोत हैं।
- सोशल मीडिया में वायरल सामग्री चर्चित हो जाती है तो टेलीविजन में टीआरपी से उसका महत्व बढता है।
- सोशल मीडिया में खबरों के विभन्न स्रोत हैं और टेलीविजन में सोशल मीडिया की सूचनाएं भी टेलीविजन में खबर का स्थान ले लेती हैं।
- दोनों माध्यम इन्फोटेनमेंट पर आधारित हैं।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची</u> :–

1. डॉ0 इन्द्र प्रकाश श्रीमाली, अकाशवाणी एवं प्रसारण विधाएँ, हिमांशु पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृष्ठ सं– 3–4
2. ज्ञानेन्द्र रावत– मीडिया के सामाजिक दायित्व, प्रकाशन– श्री नटराज प्रकाशन, ए–507/12, साउथ ग्रामड़ी एक्सटेन्शन, दिल्ली–110053 – पृष्ठ सं0–83
3. डॉ0 संजीव भनावत – विकास एवं विज्ञान संचार– राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी – पृष्ठ संख्या 96
4. डॉ0 आशा हींगड़, डॉ0 मधु जैन, डॉ0 सुशीला पारीक–संचार के सिंद्धांत–राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृष्ठ संख्या 164

5. वीर बाला अग्रवाल–पत्रकारिता एवं जनसंचार मार्गदर्शिका–कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी प्राइवेट लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 192
6. अरविंद कुमार सिंह–सोशल मीडिया तकनीक एवं प्रभाव–ऋषभ बुक्स नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 25
7- https://www.wtechni.com/facebook-kya-hai-hindi/
8- https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/impact-of-social-media/

'स्मृति की रेखाएँ' संस्मरण का तात्त्विक अनुशीलन

शिखा तिवारी

असिस्टेण्ट प्रोफेसर
हिन्दी विभाग, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भदोही

हिन्दी गद्य की अन्य नवीन विधाओं की भाँति संस्मरण भी 20वीं शताब्दी की देन है। प्रायः प्रत्येक नयी विधा अपने ''आगमन की घोषणा पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से करती है। 'संस्मरण' के विकास में 'सरस्वती' पत्रिका का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त 'हंस', 'माधुरी', 'सुधा', 'विशाल भारत' आदि पत्रिकाओं का भी 'संस्मरण' के विकास में योगदान रहा है। 'संस्मरण' के विकास को युगानुरूप निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है–

1. आरम्भिक युग 2. द्विवेदी युग 3. छायावाद युग 4. छायावादोत्तर युग 5. समकालीन युग।

यद्यपि 'संस्मरण' का विधागत स्वरूप 'द्ववेदी युग' से ही मिलता है परन्तु इसके पूर्व 'भारतेन्दु युग' में 'भारतेन्दु' के कुछ 'यात्रावृत्तान्तों' में 'संस्मरण' के तत्त्व दृष्टिगत हैं।

'छायावाद युग' के संस्मरणकारों में 'महादेवी वर्मा' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रमुख संस्मरण संग्रहों में – 'अतीत के चलचित्र', 'स्मृति की रेखाएँ', 'पथ के साथी' एवं 'मेरा परिवार' प्रमुख हैं।

'संस्मरण' एक अनुभूतिगत विधा है जिसको विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है– ''हिन्दी साहित्य कोश' में संस्मरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है– ''संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी संवेदनाएँ एवं अनुभूतियाँ भी रहती हैं।''[1]

1. **'महादेवी वर्मा'–** 'अतीत के चलचित्र' में लिखती हैं– ''शैशव की स्मृतियों में एक विचित्रता है जब हमारी भाव प्रवणता गंभीर और प्रशांत होती है, तब अतीत की रेखाएँ कुहरे में से स्पष्ट होती हुयी वस्तुओं के समान अनायास ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगती हैं।''[2]
2. **'डॉ0 जगदीश गुप्त'–** संस्मरण को परिभाषित करते हुए लिखते हैं– ''जो तरंगाघात मन अपना अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं वहीं संस्मरण बन जाते हैं।''[3]
3. **'डॉ0 नगेन्द्र'** ने 'संस्मरण' को व्याख्यायित करते हुए लिखा– ''व्यक्तिगत अनुभव से रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन ही संस्मरण है।''[4]

इस प्रकार संस्मरण जीवन का 'यथार्थ' स्वरूप है, जिसमें लेखक स्मृतियों में अनुभूतिमय अभिव्यक्ति' के साथ 'तटस्थ' एवं 'प्रामाणिक' स्वरूप में व्यक्त करता है। 'अनुभूतिमय' एवं 'वैयक्तिक' अभिव्यक्ति होने पर भी संस्मरणकार उस व्यक्ति को ही महत्त्व देता है, जिसका संस्मरण लिख रहा है।

'विद्वानों' ने 'संस्मरण' की जो परिभाषाएँ दी हैं उसके आधार पर 'संस्मरण' के तत्त्वों में– 'स्मृति', 'यथार्थता', 'वैयक्तिकता', 'प्रामाणिकता', 'तटस्थता', 'संवेदना' एवं 'अनुभूति' आदि की प्रधानता है। इन तत्त्वों के आधार पर यदि 'महोदवी वर्मा' कृत – 'स्मृति की रेखाएँ' संस्मरण संग्रह का अनुशीलन करें तो इनमें से कुछ तत्त्वों को प्रत्यक्षतः स्पष्ट किया जा सकता है।

'स्मृति की रेखाएँ'– जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है– 'स्मृतियों का रेखांकन' इसमें 'स्मृति' का उल्लेख कर देने मात्र से ही 'संस्मरण' का स्पष्ट स्वरूप झलकने लगता है। 'स्मृति की रेखाएँ' संग्रह में सात (7) 'संस्मरण' संगृहीत है'– 'भक्तिन', 'चीनी फेरीवाला', 'जंग बहादुर', 'मुन्नू', 'ठकुरी बाबा', 'बिबिया', 'गुंगिया'। इन सभी 'संस्मरणों' में उपर्युक्त तत्त्वों का पूर्ण समावेश हुआ है, जिसका वर्णन निम्नवत् है– 'स्मृति', 'संस्मरण' का प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। संस्मरणकार अतीत का चित्रण मानस–पटल पर अंकित स्मृतियों के आधार पर ही करता है। 'महादेवी वर्मा' के संस्मरणों में भी इस तत्त्व का पूर्ण निर्वहन हुआ है।

'भक्तिन' नामक संस्मरण में 'स्मृति' के आधार पर ही एक सेविका का वर्णन हुआ है। जिसके पहले दिन आने से लेकर अनेक प्रकार के क्रिया–कलापों की स्मृतियों को लेखनी बद्ध किया गया है। उसकी स्मृतियों का जो शब्दांकन किया गया है, उसके सन्दर्भ में निम्नलिखित पंक्ति उल्लेखनीय है– ''छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले–पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है।''[5]

'भक्ति' (लछमिन या लक्ष्मी) के अनेको हाव–भाव, क्रिया–कलापों एवं वेश–भूषा आदि को 'स्मृतियों' के माध्यम से सजीव बनाया गया है। सेवक–धर्म में उसे (भक्तिन) को 'हनुमान जी' से स्पर्द्धा करने वाली बताया गया है। उसके हाव–भाव इत्यादि से सम्बन्धित एक पंक्ति है–

''भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का समिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया– 'क्या तुम खाना बनाना जानती हो ? उत्तर में उसने ऊपर के ओंठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा– 'ई कउन बड़ी बात आय! रोटी बनाय जानित है, दाल राँध लेइत है, साग–भाजी छउँक सकित है, अउर बाकी का रहा।''[6] सेवक रूप में भक्तिन की कर्तव्य परायणता की स्पष्ट स्मृति को प्रस्तुत किया गया है–

''पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आँखे मिचमिचाती हुई भक्तिन, प्रशान्त भाव से जागरण

करती है। वह उँघती भी नहीं, क्योंकि! सिर उठाते ही उसकी धुँधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ, तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है, यदिमें कलम रख देती हूँ, तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ, तो वह दूसरी फाइल टटोलती है।''[7]

'चीनी फेरीवाले' की 'स्मृतियों' में उसके संघर्षों को एवं समाज के विद्रूप चेहरे को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। 'चीनी फेरेवाले' की आत्मीयता पूर्ण 'स्मृति' में भाई–बहन के पवित्र रिश्ते को भी अभिव्यक्ति मिली है। उसके 'स्मृति' को साकार रूप देती हुई निम्न पंक्तियाँ उल्लेखनीय है–

'पर आज मुखों की एक समष्टि में मुझे एक मुख्य आर्द्र नीलिमामयी आँखों के साथ स्मरण आता है।''[8]

वर्षों पहले 'चीनी फेरेवाले' से हुई प्रथम भेंट की स्मृतियों को व्यक्त करती हुई लिखती है–

''कई वर्ष पहले की बात है, मैं तांगे से उतर कर भीतर आ रही थी और भूरे कपड़े का गट्ठर बायेंक न्धे के सहारे पीठ पर लटकाये हुए और दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरीवाला फाटक से बाहर निकल रहा था। सम्भवतः मेरे घर को बन्द पाकर वह लौटा जा रहा था। 'कुछ – लेगा मेम साहब' – दुर्भाग्य का मारा चीनी।''[9]

'चीनी' से ज्ञात अनेक बातों को जो उसके जीवन से सम्बद्ध थी को स्पष्ट किया गया है। जिसमें कहीं उसके जीवन की 'मार्मिकता' है तो कहीं आर्थिक विषमता–

''पिता ने जब दूसरी बर्मी चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिषिक्त किया, तब उन मातृहीनों की यातना की कठोर कहानी आरम्भ हुई। दुर्भाग्य इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि उसके पांचवे वर्ष में पैर रखते– न– रखते एक दुर्घटना में पिता ने भी प्राण खोये।''[10]

'जंग बहादुर' नामक संस्मरण में दो भाईयों, 'जंग बहादुर' एवं 'धनिया' की स्मृतियों का वर्णन है, जो कुली का काम करेते हैं। उनके साथ 'केदारनाथ' से 'बदरिकानाथपुरी' के यात्राओं की अनेक स्मृतियाँ है। जिसमें कहीं उन दोनों चचेरे भाईयों का एक–दूसरे के प्रति अगाध प्रेम का वर्णन है तो कहीं उनके जीवन की आर्थिक विषमताओं का 'यथार्थ' वर्णित है। 'जंग बहादुर' उर्फ 'जंगिया' की 'स्मृति' को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है जो उल्लेखनीय है– ''घनी भौहों के नीचे मुख चौड़ा और नाक कुछ गोल हुई थी...........गेहुँऑ रंग निरन्तर धूप में रहने के कारण कहीं पुराने ताँबे जैसा और कहीं झाईंदार हो गया है। बोझ बाँधने की गाँठ–गँठीली पुरानी रस्सी एक छोर गले की माला बनता हुआ कन्धे से लटक रहा था, दूसरा कमरबन्द बनकर कोट के झबरेपन में कहीं छिपा कहीं प्रकट था। ऐसा ही था वह जंग बहादुर सिंह उर्फ 'जंगिया'।''[11]

उन दोनों की अनेक स्मृतियों के साथ–साथ उनके व्यवहार में संवेदनशीलता और सहानुभूति मार्ग के अन्य कुलियों के प्रति रहती थी, उसे भी अनेक पंक्तियों में शब्दांकित किया गया है– ''मार्ग के अन्य कुलियों के प्रति भी उनके व्यवहार में संवेदनशीलता और सहानुभूति ही रहती थी, एक बार पहाड़ से उतरती हुई गाय इतने वेग से मार्ग तक फिसलती चली आई कि उसके खुर की चोट से एक कुली का पॉव घायल हो गया। घनसिंह को सामान सौंपने के उपरान्त जंग बहादुर उस लहूलुहान पैर वाले कुली को पीठ पर लादकर झरने तक ले गया........ ....इतना ही नहीं, उसे अपना और उसका बोझ भी लाना पड़ा और अंधेरे में ठिठुरते हुए, अपने फटे कपड़ों में रक्त के दाग भी साफ करने पड़े। पर प्रश्न करने वाला उससे एक ही उत्तर पा सकता था– 'कुछ तकलीस नहीं, अस्सा है।''[12]

'मुन्नू' नामक 'संस्मरण' में एक बच्चे (मुन्नू) की 'स्मृतियों' के साथ उसकी माँ के संघर्षों की 'स्मृतियाँ' भी हैं। 'मुन्नू' के माँ की स्मृतियों में 'त्याग', संघर्ष, सहनशीलता का मिश्रण है। 'मुन्नू' पाँच वर्ष का कुशाग्र बुद्धि बालक है परन्तु आर्थिक विषमताओं के कारण न तो उसका सही से पालन–पोषण हो पाता है और न शिक्षा की व्यवस्था। 'अरैल' गाँव में प्रवेश करते जिस स्त्री से 'महोदवी वर्मा' किसी घर का परिचय पूछा और उस स्त्री ने जो उत्तर दिया था उस 'स्मृति' का शब्दांकन कुछ इस प्रकार है– ''तोहका का करै का है। शहराती मेहरारून के काम–काज नाहिन बा जौन हियाँ–उहाँ गस्ता घूमै चल देती है?''[13]

'ठकुरी बाबा' – नामक संस्मरण में कल्पवास की स्मृतियों के साथ–साथ, कल्पवास करने आये 'ठकुरी बाबा' एवं उनकी मण्डली की भी स्मृति सजीव हो गई है। 'कल्पवास' के प्रथम दिन की 'स्मृति' को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है– ''अन्त में भक्तिन– जैसे मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिरकी, बाँस आदि के गट्ठर समुद्रकूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गये और मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे.................उत्तर बरामदा मेरे पढ़ने–लिखने के लिए निश्चित हुआ और दक्षिण में भक्तिन ने अपने चौके का साम्राज्य फैलाया......... धनिया आटा, दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियाँ और मेरे न जाने कब के पुरातन तथा सूक्ष्म ज्ञान से आपूर्ण संस्कृतग्रन्थ आदि से वह पर्णकुटी एकदम बस गई।''[14]

'कल्पवास' में 'ठकुरी बाबा' एवं उनके साथ के लोग जब पहले दिन 'महादेवी वर्मा' के कुटिया में प्रवेश किये, उस स्मृति को स्पष्ट करने के लिए कुछ पंक्तियाँ उल्लेखनीय है– ''उठकर देखा– एक वृद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिलित भीड़ थी। गठरी–मोटरी, बरतन, हुक्का, चिलम, पिटारा, लोटा–डोर सब गृहस्थी लादे–भाँदें, वह अनियन्त्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, यह समझना कठिन है।''[15]

बूढ़े बाबा 'ठकुरी' की आत्मीयता पूर्ण स्मृति को स्पष्ट करती हुई निम्न पंक्ति द्रष्टव्य है– ''अरूचि के कारण घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च–अचार के बिना ही में खिचड़ी खाती हूँ, यह अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने माना नहीं और मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक ओर अचार रख दिया। दही का दोना थाली में टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा– तनिक सा चीखौ तो बिटिया रानी ! का पढ़े–लिखे मनई इहैं खाय कै जियत हैं।''[16]

संस्मरण जीवन का 'यथार्थ' स्वरूप है, जिसमें लेखक स्मृतियों में अनुभूतिमय अभिव्यक्ति' के साथ 'तटस्थ' एवं 'प्रामाणिक' स्वरूप में व्यक्त करता है।'अनुभूतिमय' एव ं 'वैयक्तिक' अभिव्यक्ति होने पर भी संस्मरणकार उस व्यक्ति को ही महत्त्व देता है, जिसका स ंस्मरण लिख रहा है। 'विद्वानों' ने 'संस्मरण' की जो परिभाषाए ँ दी हैं उसके आधार पर 'संस्मरण' के तत्त्वों में– 'स्मृति', 'यथार्थता', 'वैयक्तिकता', 'प्रामाणिकता', 'तटस्थता', 'संवेदना' एव ं 'अनुभूति' आदि की प्रधानता है।

इसी प्रकार 'महादेवी वर्मा' ने 'कल्पवास' के प्रत्येक क्षण की स्मृतियों को लिपिबद्ध किया है। 'ठकुरी बाबा' के परिवार से सम्बन्धित स्मृतियों को भी सजीव किया गया है। जिसमें एक स्त्री के विषमताओं से लेकर उसके संघर्ष तक का वर्णन समाहित है।

'बिबिया' नामक संस्मरण में एक स्त्री के प्रति समाज के विद्रूप एवं दकियानूसी सोच को दृष्टिगत कराया गया है। 'बिबिया' की स्मृतियों में उसके जीवन की विषमताओं, विद्रूपताओं के साथ–साथ उसके संघर्षशील जीवन के कारूणिक अन्त का वर्णन है। 'बिबिया' की स्मृति 'महादेवी वर्मा' को बरेठा (धोबी) 'मदड़ी' एवं उसकी माँ को देखकर होता है– ''कभी–कभी दृश्य, चित्र या व्यक्ति को देखकर हमें उसका विरोधी दृश्य, चित्र या व्यक्ति स्मरण हो आता है। मुझे भी इन हंसोड़, प्रसन्न और बात–बात पर, उलझने वाले माँ–बेटों को देखकर बिबिया और उसकी माई याद आ जाती हैं।''[17]

'बिबिया' की 'स्मृति' में उसके सम्पूर्ण जीवन की स्मृतियों को समेट लिया गया है। वह बाल–विधवा थी एवं उसके भाई 'कन्हई' ने उसका विवाह 'रमई' नाम के घोबी से किया परन्तु उसमें अपमानित होकर वह ससुराल छोड़कर मायके आ गयी–

''कुछ महीने बाद अचानक एक दिन मैले–कुचैले कपड़े पहने हुए बिबिया आ खड़ी हुई। उसके मुख पर झाँई आ गई थी और शरीर दुर्बल जान पड़ता था, पर न आँखों में विषाद के आँसू थे, न ओठों पर मुख की हँसी। न उसकी भाव–भंगिमा में अपराध की स्वीकृति थी और न निरपराधी की न्याय–याचना। एक निर्विकार उपेक्षा ही उसके अंग–अंग से प्रकट हो रही थी।''[18]

पुनः उसका विवाह 'झनकू' नामक विधुर अधेड़ से कर दिया गया। बिबिया' के अत्यन्त सहनशीलता पूर्वक संघर्ष करते हुए भी समाज से तिरस्कार एवं अपमान ही मिला। समाज के इस विद्रूप चेहरे को सहन करने में असमर्थ, संघर्षशील बिबिया' ने अपने जीवन का अन्त कर लिया।

'गुंगिया' के संस्मरण में एक मातृत्व स्नेह को सजीव स्वरूप प्रदान किया गया है। बोलने में असमर्थ 'गुगिया' ने अपने सम्पूर्ण जीवन के अभावों , अन्यायों को भुलाकर अपने बहन के पुत्र–हुलासी' का पालन–पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए भले ही उसे कितने कष्ट उठाने पड़े हो या कठिन परिश्रम करना पड़ा हो। अपने पुत्र– 'हुलासी' के खो जाने पर 'गुंगिया' (धनपतिया)ने युवा वियोग में 'प्राण त्याग दिये। इस 'संस्मरण' में लेखिका स्वयं के द्वारा लिखी गयी है पत्र–पत्रिकाओं की स्मृतियों को भी लिपिबद्ध किया है। कभी पीपल के नीचे, कभी पत्तों के ढेर पर और कभी किसी का आँग नही पत्र लेखन का स्थान बन गया था। इसी पत्र–लेखन से जुड़ी 'गुंगिया' की स्मृति भी सजीव हो उठती है– ''यह सब तो जैसे–तैसे चल ही रहा था; पर एक दिन जग गुंगिया मेरे आँचल का छोर थामकर विधि हाव–भाव द्वारा पत्र लिख देने का संकेत करने लगी, तब तो मैं स्वयं आवाक् रह गई है।''[19]

'संस्मरण' में वर्णित घटनाएँ 'यथार्थ' एवं वास्तविक होती है, क्योंकि वे स्वयं संस्मरणकार के द्वारा देखी एवं अनुभव की होती है।

'भक्तिन' की स्मृति में 'भक्तिन' के जीवन के संघर्षों के तमाम यथार्थ पहलू वर्णित है। कहीं न कहीं उसके जीवन की यथार्थता– 'स्त्री–विमर्श' के एक पक्ष को प्रकाश में लाता है। भक्तिन जब पुत्रियों की माँ बनती हैं तो उसकी जो उपेक्षाएँ हुई, तिरस्कार मिले उसका यथार्थ उल्लेख निम्न पंक्ति में द्रष्टव्य है–

''जब उसने गेहुएँ रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण और कर डाले तब सास और जिठानियों ने ओंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की।''[20]

पुत्रियों के जन्म के पश्चात् उसे जो दुर्व्यवहार परिवार से मिला उसका उल्लेख इस प्रकार है–

''जिठानियाँ बैठकर लोकचर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, राँधती और उसकी नन्हीं लड़कियाँ गोबर उठाती, कण्डे पाथती। जिठानियाँ अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और लड़कियाँ चने, बाजरे की घुघरी चबाती।''[21]

29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाने पर भक्तिन समस्त विषमताओं का संघर्ष एवं दृढ़ता से सामना करते हुए ओजस्वी वाणी में इसका जवाब दिया–

''हम कुकरी–बिलारी न होयँ, हमार मन पुसाई तौ हम दूसरा के जाब नाहिं त तुम्हार पचै के छाती पै होरहा भूँजब और राज करब, समुझे रहौ।''[22]

जब भक्तिन की अनुपस्थिति में तीतर–बाज लड़का जो भक्तिन की विधवा लड़की से विवाह करने के लिए भक्तिन के जिठौतों द्वारा बुलाया गया है। उसका, उस लड़की ने किस

प्रकार साहस के साथ सामना की यह स्पष्ट करने के लिए एक पंक्ति उल्लेखनीय है– ''एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी के कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बन्द कर लिया और उसके समर्थक गाँव वालों को बुलाने लगे। अहीर युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुण्डी खोली तब पंच बेचोर समस्या में पड़ गये।''[23]

इसमें एक तरफ उस युवक के चरित्र में समाज की विद्रूपता नजर आती है, तो दूसरी तरफ उस लड़की का संघर्ष एवं साहस भी सामने आता है। इस प्रकार भक्तिन के जीवन की यथार्थ स्मृति को एवं उसके भाव की यथार्थता को प्रस्तुत किया गया है।

'चीनी फेरीवाले' की स्मृति में उसके जीवन की विषमताओं के साथ–साथ समाज के निकृष्ट चेहरे की यथार्थता भी सिद्ध होती है। 'चीनी फेरीवाले' की सौतेली माँ की क्रूरताओं एवं अत्याचारों से आहत उसके बहन की यथार्थता भी वर्णित है। बाल्यावस्था की यथार्थ स्मृति को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट किया जा सकता है–

''कितनी ही बार सबेरे, आँख मूँदकर बन्द द्वार के बाहर दीवार से टिकी हुई बहिन की ओर से गीले बालों में, अपनी ठिठुरी उँगलियों को गर्म करने का व्यर्थ प्रयास करते हुए, उसने पिता के पास जाने का रास्ता पूछा था। उत्तर में बहिन के फीके गाल पर चुपचाप ढुलक आने वाले आँसू की बड़ी बूँद देखकर वह घबराकर बोल उठा था– उसे कहवा नहीं चाहिए, वह तो पिता को देखन भर चाहत है।''[24] उन दोनों भाई–बहनों के जीवन की विषमताओं की यथार्थता को व्यक्त करने वाली एक पंक्ति उल्लेख्य है– ''कई बार पड़ोसियों के यहाँ रकाबियाँ धोकर और काम के बदले भात माँगकर बहिन ने भाई को खिलाया था।''[25]

विमाता के क्रूरताओं की यथार्थता का उल्लेख किया गया है जिसमें उसकी बहन के ऊपर हो रहे अत्याचारों का संवेदनात्मक वर्णन है– ''विशाल शरीर वाली विमाता का जंगली बिल्ली की तरह हलके पैरों से बिछौने से उछलकर उतर आना, बहिन के शिथिल हाथों से बटुए का दिन जाना और उसका भाई के मस्तक पर मुख रखकर स्तब्ध भाव से पड़े रहना आदि क्रम ज्यों के त्यों चलते रहे।''[26] जब फेरीवाला गिरहकटों के हाथ लगा था उस समय की मार्मिकत यथार्थता स्पष्ट है– ''कुत्ते के पिल्ले के समान ही वह घुटनों के बल खड़ा रहता और और हँसने –रोने की विविध मुद्राओं का अभ्यास करता।............पर क्रन्दन उसके भीतर इतना अधिक उमड़ा रहता था कि जरा मुँह बनाते ही दोनों आँखों से दो गोल–मोल बूँद निकल आती................इसे अपनी दुर्लभ शिक्षा का फल समझकर उसका शिक्षक प्रसन्नता से उछलकरर उसे एक लात, जमाकर पुरस्कार देता।''[27]

इन सब यथार्थताओं के साथ उसके देश–प्रेम की भावना की यथार्थता तब सिद्ध हुई जब उसे 'चीन' से बुलावा आया और लेखिका द्वारा यह कहा गया– ''तुम्हारे तो कोई है ही

नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा।''[28] इस पर उसने जो प्रतिउत्तर दिया उससे, उसके देश प्रेम की यथार्थता का बोध हुआ–

''हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है ? हम कब ऐसा बोला सिस्तर ?''[29]

'जंग बहादुर' के 'संस्मरण' में उसके कुली जीवन की सम्पूर्ण कहानी को यथार्थ रूप में वर्णित किया गया है। साथ ही यात्रा के समय उनके अनेक संघर्षों को यथार्थता व्यक्त किया गया है। 'जंग बहादुर' उर्फ जंगिया एवं उसके चचेरे भाई 'धनिया' के अगाध प्रेम को 'भरत' का स्मरण हो जाना स्वाभाविक ही है। कुलियों के जीवन की यथार्थता व्यक्त करने के लिए संस्मरण की कुछ पंक्तियाँ उल्लेखनीय है–

''चट्टी–चट्टी पर इनमें से दो–एक बीमार पड़ते हैं और कहीं–कहीं मरर भी जाते हैं। अन्त्येष्टि का काम यात्रियों से माँग–जाँचकर सम्पन्न किया जाता है। साधन न मिलने पर गहरा खड्ड तो स्वाभाविक समाधि है।''[30]

'मुन्नू' से जुड़ी हुई स्मृतियों में 'अरैल' गाँव की विषमताओं के साथ 'मुन्नू' के परिवार का भी यथार्थ वर्णित है। जहाँ उसके परिवार में पिता, निकम्मा, कामचोर है, वहीं माता का जीवन, जिम्मेदारियों से पूर्ण एवं संघर्षशील हैं मुन्नू कुशाग्र बुद्धि का दुबला–पतला बालक है, जिसका जीवन विषमताओं से भरा हुआ है। 'मुन्नू' की माँ के संघर्षमय जीवन की यथार्थता को व्यक्त करने में निम्नलिखित पंक्तियाँ सहायक है– ''उसकी स्थिति में रोज कुँआ खोदना रोज पानी पीना' ही प्रधान है, इसी से उसकी गृहस्थी का रूप बनजारों की चलती–फिरती गृहस्थी के समान हो गया है; पर अपनी अनिश्चित आजीविका को वह अपनी कुशलता से कष्टकर नहीं बनने देती।''[31]

'ठुकरी बाबा' के संस्मरण में जहाँ ठुकरी के सम्पूर्ण जीवन के उतार–चढ़ाव की यथार्थता है, वहीं दूसी तरफ 'कल्पवास' के अनुभव की भी यथार्थता वर्णित है। उनके जीवन में एक पुत्री, अन्धा जमाई था। अनेक विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने के बाद भी उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही था कि वे एक सहृदयी व्यक्ति थे– ''ठुकरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं, इसी से उनकी सहृदयता वैयक्तिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है।''[32]

'बिबिया' की स्मृति में एक स्त्री के ऊपर हो रहे अत्याचारों का कटु सत्य वर्णित है, जिसमें स्त्री कितना भी संघर्ष कर ले परन्तु समाज के सफेदपोशी, क्रूर, अत्याचारी जनों से उसका बच निकलना मुश्किल होता है। 'बिबिया' के स्मृतियों का भी यही यथार्थ है, उसका कोई दोष न होने पर भी सजा मिलती है और दोषी समाज में स्वतन्त्र घूमता है। 'बिबिया' के साथ हुए अत्याचारों का यथार्थ इस प्रकार व्यक्त है–

''बिबिया के शरीर पर घूँसों के भारीपन के स्मारक गुम्मड़ उभर आये थे,...........उस पर द्वार बन्द हो जाना उसके लिए क्षमा की परिधि से निर्वासित हो जाना था। वह अन्धकार में अदृष्ट रेखा जैसी पगडंडी पर गिरती–फिरती, रोती–कराहती अपने नैहर की ओर चल पड़ी।''[33]

'गुंगियाँ' की स्मृति में माह वत्सलता का यथार्थ है। गूँगेपन के कारण पति द्वारा त्याग दिये जाने पर भी वह उसी के पुत्र 'हुलासी' के पालन–पोषण में अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर देती है। ससुराल से गूँगेपन को अभिशाप समझकर उसको त्याग दिया गया– ''बहू गूँगी है, उसके बाप ने सबको ठग लिया, इससे गहने छीनकर निकाल दो, आदि उद्‌गारों में गुँगिया ने अपने जीवन के निठुर अभिशाप की वह छाया देखी जो नैहर में माँ–बाप की ममता से ढकी हुई थी।''[34] 'वैयक्तिकता' संस्मरण का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है क्योंकि सम्पूर्ण स्मृतियां संस्मरणकार की स्वयं की ही होती है। 'भक्तिन', 'चीनी फेरीवाला', 'जंग बहादुर', 'मुन्नू', 'ठकुरी बाबा', 'बिबिया', 'गुगियाँ' आदि की स्मृतियाँ कहीं–न–कहीं 'महादेवी वर्मा' के स्वयं के व्यक्तित्व से भी सम्बन्ध रखते हुए आत्मीय हो उठते हैं।

'भक्तिन' की स्मृति में अनेक स्थलों पर अपनी स्वयं ककी बातों, आदतों इत्यादि का तटस्थ वर्णन किया गया है–

'पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रूँआसे भाव से कहा– 'यह बनाया है' तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियाँ अच्छी संकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गयी हैं;...... .... भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं, मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुँची और न्याय–सूत्र पढ़ते–पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अन्तर पर विचार करती रही।''[35]

इसी प्रकार प्रत्येक स्मृतियों ने वैक्तिकता की प्रधानता है। 'चीनी फेरीवाले' संस्मरण की एक पंक्ति द्रष्टव्य है– ''मैंने उसे कुछ बोलने का अवसर न देकर व्यस्त भाव से कहा– 'अब तो मैं कुछ न लूँगी ! समझे ?''[36]

'जंग बहादुर' संस्मरण में 'वैयक्तिकता' की स्पष्टता निम्न पंक्तियों में होती है– ''उनके बेटे जिन तीर्थों में उन्हें नहीं ले जा सकते, वहीं मैं ले जा रही हूँ, अत' मैं सब बेटों में सबसे बड़ी हूँ और मेरी बुद्धि सब प्रकार विश्सनीय है, इस सम्बन्ध में उन्हें कोई संदेह नहीं था।''[37]

संस्मरणकार का स्मर्यमाण के प्रति अनुभूति एवं संवेदना होना स्वाभाविक है क्योंकि इसके बिना स्मृति को इतना सजीव स्वरूप नहीं प्रदान किया जा सकता है।

'भक्तिन' सेविका है परन्तु उसके प्रति जो अनुभूतियाँ एवं संवेदनाए दिखती हैं वह 'भक्तिन' को 'सेविका' से कहीं ऊपर ले जाकर 'संरक्षिका' की कोटि में खड़ा कर देता है– ''भक्तिन और मेरे बीच में सेवक– स्वामी का सम्बन्ध है यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई

स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा में हटा न सके और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया, जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी–बारी से आने–जाने वाले अंधेरे–उजाले और आँगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार अस्तित्व रखते हैं....................उसी प्रकार भक्तिन का स्वतन्त्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है।''[38]

'भक्तिन' के प्रति जो अनुभूतिगत–आत्मीयता प्राप्त होती है, उसके वर्णन के लिए निम्न पंक्तियाँ उल्लेखनीय है– ''मेरे भ्रमण की एकान्त साथिन भक्तिन ही रही है...........किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ।''[39]

'महादेवी वर्मा' का 'भक्तिन' के प्रति एवं 'भक्तिन' का 'महोदवी वर्मा' के प्रति जो संवेदनाएं एवं अनुभूतियाँ थी उनका स्पष्टीकरण एक पंक्तियों में हो जाती है– ''भक्तिन की कहानी अधूरी है; पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती।''[40]

'चीनी फेरीवाले' के प्रति अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएँ ही है जो लेखिका को सिल्क खरीदने के लिए विवश कर देता है। 'चीनीफेरीवाले' की अनुभूतियों ने 'महादेवी वर्मा' को 'बहन' के रूप में स्वीकारा है। अनुभूतिगत – संवेदना को व्यक्त करती हुई निम्न पंक्ति उल्लेखनीय है– ''और आज कई वर्ष हो चुके हैं........चीनी को फिर देखने की सम्भावना नहीं, उसकी बहिन से मेरा कोई परिचय नहीं, पर न जाने क्यों वे दोनों भाई–बहिन में स्मृति पट से हटते नहीं।''[41]

'जंग बहादुर' की स्मृतियों में अनुभूतियों एवं संवेदना का अनूठा मिश्रण है। जो 'महादेवी वर्मा' के ममत्त्व को जागृत करता है। जंग बहादुर एवं धनिया की अनुभूति एवं संवेदनाएँ ही हैं जो महादेवी वर्मा में माँ का स्वरूप देखते हैं और उनके विदा के समय आँसू के रूप में सामने आते हैं। इस सन्दर्भ में एक पंक्ति उल्लेखनीय है– ''जीवन में बहुत छोटी अवस्था से ही मैं माँ का सम्बोधन और उसके उपयुक्त ममता का उपहार पाती रही हूँ; परन्तु इन पर्वत–पुत्रों के माँ सम्बोधन में जो कोमल स्पर्श और ममता की सहजस्वीकृति रहती थी, वह अन्यत्र दुर्लभ रही है।[42]

'मुन्नू' की स्मृतियों में एक बालक के प्रति अनुभूति एवं संवेदनाएँ स्पष्ट हैं, वहीं मुन्नू की माँ के प्रति इतना अधिक ममत्त्व है कि वह 'महादेवी वर्मा' के घर को अपना एक–मात्र नैहर स्वीकारती है– ''तब से मुन्नू की माई 'हम तौ आज नैहरे जाब' कहकर प्रायः यहाँ चली आती है। मेरा घर उसका एक मात्र नैहर है। यह सोचकर मन व्यथित होने लगता है।''[43]

वृद्ध, 'ठकुरी बाबा' के संस्मरण में ठकुरीबाबा के प्रथम परिचय से ही अनुभूतियाँ ही द्रष्टव्य हैं। अनुभूतिगत संवेदना के साथ ही 'महादेवी वर्मा' उन्हें एवं उनके साथियों को अपने

तम्बू में शरण देती है और धीरे–धीरे वे सब उनके साथ एक परिवार के रूप में दृष्टिगत होते हैं। 'महादेवी वर्मा' को भी उन लोगों से जो स्नेह प्राप्त हुआ उसमें 'अनुभूतियां एवं 'आत्मीयता' स्पष्ट है– ''वृद्ध के कण्ठस्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बलात् आकर्षित कर लिया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा– ''आप यही ठहरे बाबा । मेरे लिए तो यह कोठरी ही काफी है।..................इतना बड़ा बरामदा है, आप सब आ जायेंगे। रैन–बसेरा तो है ही।''[44]

'बिबिया' की स्मृतियों में अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएँ ही हैं जो उसके जीवन के यथार्थ को निष्पक्ष प्रस्तुत करता है।

'गुगिया' के प्रति संवेदनात्मक, यथार्थता ने ही 'महोदवी वर्मा' को उसके पुत्र (हुलासी) को ढूँढने के लिए प्रेरित करता है। जिससे वे अपनी सहपाठिनी को पत्र के माध्यम से– गुगियाँ की स्थितियों से अवगत कराके 'हुलासी' को ढूँढने के लिए कहती है। 'गुगियाँ' का अपमानित होकर भी 'हुलासी' को स्वीकारना, पूर्ण ममत्त्व से उसका पालन–पोषण करना और उसके (हुलासी) के वियोग में प्राण त्याग देने आदि में संवेदनात्मक अनुभूतियों को प्रत्यक्षता स्पष्ट किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचनाओं से नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि 'स्मृति की रेखाएँ' संग्रह में '–संस्मरण' के उपर्युक्त तत्त्वों का पूर्ण निर्वहन हुआ है। जो पाठक के हृदय पर अपना अमिट प्रभाव अंकित करते हैं।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची</u> :–

1. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्य कोश, तृतीय संस्करण, पृ0 सं0 714
2. महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र–रामा लोकभारती प्रकाशन, पृ0 सं0 11
3. जगदीश गुप्त, सारिका–संस्मरण विशेषांक, चित्र ये बनाने में चित्रकार थाने में', पृ0सं0 37
4. जयकिशन खण्डेलवाल, हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, पृ0 सं0 785
5. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'भक्तिन', लोक भारती, पृ0 सं0 9
6. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'भक्तिन', लोक भारती, पृ0 सं0 13
7. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'भक्तिन', लोक भारती, पृ0 सं0 16–17
8. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ, 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती, पृ0 सं0 20
9. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ, 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती, पृ0 सं0 20–21
10. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ, 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती, पृ0 सं0 23
11. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'जंग बहादुर', लोक भारती, पृ0 सं0 31
12. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'जंग बहादुर', लोक भारती, पृ0 सं0 37–38
13. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'मुन्नू' लोक भारती, पृ0 सं0 41

14. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'ठकुरी बाबा', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 58–59
15. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'ठकुरी बाबा', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 61
16. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'ठकुरी बाबा', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 66
17. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाए– बिबिया, लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 84
18. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाए– बिबिया, लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 86
19. महोदवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'गुगियाँ', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 106
20. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'गुगियाँ', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 10
21. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'गुगियाँ', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 10–11
22. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'गुगियाँ', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 11
23. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'गुगियाँ', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 12
24. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 23
25. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 23
26. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 24
27. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 25
28. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 27
29. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 27
30. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'जंग बहादुर', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 33
31. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'मुन्नू', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 46
32. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'ठकुरी बाबा', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 79
33. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'बिबिया', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 94
34. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'गुगियाँ', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 18
35. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'भक्तिन', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 13–14
36. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 21
37. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'जंग बाहादुर', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 32
38. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'भक्तिन', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 18
39. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'भक्तिन', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 17
40. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'भक्तिन', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 19
41. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'चीनी फेरीवाला', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 27
42. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'जंग बाहादुर', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 35
43. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'मुन्नू', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 53
44. महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएँ– 'ठकुरी बाबा', लोक भारती प्रकाशन, पृ0 सं0 61

अध्यापक शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श का प्रशिक्षण : समय की मांग

डॉ0 जीतनारायण यादव

विभागाध्यक्ष –शिक्षा संकाय (बी0एड0)
राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सुजानगंज, जौनपुर

दैनन्दिन विकासमान तकनीकी आविष्कार, जनसंख्या के बढते दबाव, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, निर्धनता के कारण संसार में जीवन जटिल हो गया है। कुछ व्यक्ति ही सक्षम है जो अपनी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान एवं सामना कर सकते है। बालक जब जन्म लेता है, तब स्वतन्त्र कार्य करने में सक्षम नही होता है। वह निश्चित नैसर्गिक गुणों के साथ जन्म लेता है, जिनके फलस्वरुप इस भौतिक वातावरण में समायोजन करने का प्रयास करता है। वह अधिकांश समय तक अपने अभिभावकों पर आश्रित रहता है और वे उसकी आरम्भिक बाल्यावस्था के विकास के उत्तरदायी होते है। परिवार की परिधि से जब वह विद्यालय के वातावरण में आता है तब नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष की शुरुआत कर देता है। यह मनुष्य एवं वातावरण के बीच संघर्ष का ही परिणाम है जिसमें उसके रहने की स्थिति, रीति–रिवाज, नियमों, सामाजिक बाध्यताओं,मूल्यों के साथ संस्कृतिकरण का प्रयास किया है सभ्यता और संस्कृति वें अभेद्य पहलू है, जिन्होने व्यक्ति के जीवन में और अधिक जटिलता ला दी है। आधुनिक विज्ञान तकनीकी ने जहॉ अप्रत्याशित उन्नति की राह दिखाई है, वही अनचाही समस्याओं को भी पोषित किया है। श्रेष्ठ सम्प्रेषण के माध्यम, वित्तीय अन्तः निर्भरता एवं अर्थपूर्ण जीवन की तलाश के दबाव ने जीवन शैली एवं स्तर में भी तेजी से बदलाव ला दिया है विभिन्न विषयों, क्षेत्रों, माध्यमों के सामने खड़ा देश का भावी नागरिक जीवन के विकट मोड़ो पर अपने आप को निस्सहाय पाता है। उसका सम्पर्क ज्यों–ज्यों समाज के साथ बढ़ता है, त्यों–त्यों स्वंय को समस्याओं से घिरा हुआ अनिश्चय की स्थिति में वह घर, समाज एवं विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यो में निर्देशन की आवश्यकता महसूस करता है।

एक प्रौढ़ व्यक्ति अपेक्षाकृत स्वनिर्देशन एवं अपने सामाजिक अनुभवों की मदद से जीवन के स्थायित्व में सफल हो सकता है। लेकिन एक बालक को अनेक विकल्पों में से किसी एक को या कुछ को चुनना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी भी आती है कि उसे यह पता नही होता कि उसके सामने कौन–कौन से विकलप है। इस सम्बन्ध में उसे अपनी योग्यता की और क्षमताओं की वास्तविक जानकारी भी नही होती है, तब स्थिति या परिस्थिति और भी विकट रुप

ले लेती है। कभी–कभी बालकों की यह मजबूरी होती है कि वे दूसरो की सहायता प्राप्त करें। निर्देशन एवं परामर्श में अप्रशिक्षित व्यक्ति/अध्यापक द्वारा किये जाने वाले निर्देशन एवं परामर्श के विषयों में यह आवश्यक नही है कि वह बालक के लिए विशेष लाभकारी हो और यह भी सम्भव है कि वह सलाह उसके लिए हानिकारक हो। यदि निर्देशन त्रुटिपूर्ण होगा तो बालक का मानसिक विकास, भावात्मक परिपक्वता, सौन्दर्य के प्रति प्रसंसात्मक दृष्टिकोण का विकास भी त्रुटिपूर्ण होगा। बालक के हित में सर्वोत्कृष्ट निर्देशन एवं परामर्श भलीभॉति योग्यता अर्जित अध्यापक द्वारा ठीक समय पर एवं उचित रीति से दिया जायें। विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवा का सही ढंग से संगठन एवं संचालन करने के लिए अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श का सभी सेवारत तथा भावी अध्यापकों को अनिवार्य रुप से प्रशिक्षण समय के सापेक्ष आवश्यक है।

विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श सेवा के कार्य

1. बालक की क्षमताओं और आवश्यकतों के अनुरुप पाठ्यचर्चा का विकास करते हुए अपव्यय एवं अस्थिरता को दूर करना।
2. बालकों की योग्यता, क्षमता, अभिरुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम चयन करने में सहायता प्रदान करना। शिक्षा आयोग के अनुसार ''माध्यमिक स्तर पर निर्देशन का मुख्य कार्य किशोरों की योग्यता की पहचान करना है।'' यह छात्रों को उनकी शक्तियों एवं सीमाओं को समझने में सहायता देगा और उनके स्तर के अनुसार विद्वतापूर्ण कार्य में सहायक होगा, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक सूचनाएं देगा, शिक्षा को यथार्थवादी बनायेगा। घर तथा विद्यालय में वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन के लिए आधार प्रस्तुत करेगा''।
3. असफल एवं त्रटिपूर्ण प्रयासों/ कार्यो की मात्रा कम करने में सहायता देना।
4. बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिकीय परिस्थितियों में जब विभिन्न व्यवसायों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता है बालक को व्यावसायिक नेतृत्व के लिए तैयार करना। मुदालियर आयोग के अनुसार ''अच्छी शिक्षा का रहस्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने छात्रों की रुचि–रुझान का परिचय करायें एवं सामाजिक समायोजन तथा अच्छें रोजगार के लिए उनमें शक्ति उत्पन्न करायें''।
5. अनुशासन एवं अपराध की समस्या का समाधान प्राप्त करना।
6. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायों के लिए योग्य कर्मियों की आपूर्ति में योगदान देना।
7. परिवार नियोजन के लिए निर्देशन प्रदान करना।

8. जनसंख्या वृद्धि औद्योगिकीकरण, भू–मण्डलीकरण एवं पाश्चात्यीकरण में किशोरों के सामने निराशा, द्वन्द, संघर्ष, तनाव और अन्य तरह के दबाव की स्थिति ला दी है। अतः उन्हे विकसित समाज के दबाव एवं तनाव से बचाना।
9. प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक स्थितियों में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसकी वैयक्तिकता का अधिकतम विकास करना।
10. कामकाजी महिलाओं के साथ पारिवारिक समायोजन की समस्या प्रायः दृष्टिगोचर हो रही है।
11. समाज में अनुसूचित जाति, धार्मिक वर्ग, सामाजिक संघर्ष, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना।

निर्देशन एवं परामर्श के प्रशिक्षण के उद्देश्य

1. विद्यालयी अध्यापकों में बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की सम्प्रत्यात्मक समझ विकसित करना।
2. निर्देशन एवं परामर्श में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं क्रिया विधियों के साथ छात्राध्यापकों का तादात्मीकरण करना।
3. स्कूली बालकों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने की दक्षता विकसित करना।

विद्यालयी अध्यापकों को निर्देशन एवं परामर्श के प्रशिक्षण की आवश्यकता

निर्देशन एवं परामर्श का प्रशिक्षण दिये जाने पर अध्यापक–

1. बलकों को व्यावसायिक एवं शैक्षिक चुनाव में उपयोगी सहायता कर सकता है। शिक्षा आयोग के अनुसार–''बहुउद्देश्यीय पाठ्यक्रम के कारण अध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधकों पर यह अतिरिक्त कर्तव्य का भार, कि वे विद्यार्थियों को ठीक ढंग से निर्देशन कर सकें जिससे व्यावसायिक एवं शैक्षिक चुनाव में उपयोगी सहायता दी जा सकें''।
2. बालक को उसकी योग्यता, अभिरुचियों तथा अभिवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकता है।
3. बालक की मानसिक क्षमताओं के संदर्भ में उसकी आकांक्षाओं का ज्ञान कराने में सहायता कर सकता है।
4. वांछित मूल्यों के विकास में विद्यार्थी की सहायता कर सकता है।
5. बालक को ऐसे अवसर उपलब्ध करा सकता है, जिनकी सहायता से वह अपने कार्य क्षेत्र एवं प्रयासों के विषय में और सीख सकें।
6. बालक को ऐसे अनुभव प्राप्त कराने में सहायता कर सकता है, जिससे वह अपनी निर्णय–शक्ति में वृद्धि कर सकें।
7. बालक को अधिकाधिक आत्मनिर्देशित बनने में सहायता कर सकता है।

8. मानसिक प्रवृत्तियों को समझने, स्वीकारनें और काम में लेने में सहायता दे सकता है।
9. सहयोगियों को बेहतर ढंग से समझकर समुचित समायोजन कर सकता है।
10. यौन एवं अवकाश काल के सदुपयोग के लिए निर्देशन प्रदान कर सकता है।

उपर्युक्त कार्य एवं आवश्यकताओं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि यह कार्य एक नियमित परामर्शदाता द्वारा भी करायें जा सकते है, फिर अध्यापक को निर्देशन एवं परामर्श का प्रशिक्षण क्यों ? शिक्षक बालक के बहुत नजकीक होता है। वह नियमित रुप से पॉच–छः घण्टे उसके साथ कार्य करता है, वही उसकी परिस्थिति व समस्या को शीघ्रता व आसानी से समझ सकता है और उसे दूर करने का सरलतम तरीका भी ढूंढ सकता है। बालक के अस्थिर व्यवहार को सही संदर्भ में उसका शिक्षक ही समझ सकता है। बालकों की समस्याएं कई प्रकार की हो सकती है– जटिल संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, यौन आदि या साधारण समस्याएं जिनका प्रर्दशन वे कभी–कभी ही करते है। जैसे– कक्षा में ध्यान न देना, मन नही लगना, परिवार की याद आना, पढ़ने में अरुचि, बार–बार पेंसिल टूटना, अन्य विद्यार्थी को धक्का देना, असत्य या गलत भाषा का प्रयोग करना, पाठ याद न करना आदि। इन समस्याओं का तुरन्त व सही निदान एवं उपचार नहीं होने पर सामान्य सी लगने वाली समस्याएं गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। भारत जैसे विकासशील देश में अलग से परामर्शदाता की नियुक्ति कर पाना स्वप्न सा प्रतीत होता है। वह भी तब जब नियमित विषय अध्यापकों की नियुक्ति भी छात्रों एवं विद्यालयों की आवश्यकतानुसार कर पाना संभव नही हुआ है। छात्राध्यापकों को निर्देशन एवं परामर्श का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कर इस अभाव की पूर्ति संभव है। शिक्षा आयोग (1964–66) के अनुसार–''प्राथमिक विद्यालयों में पृथक रुप से परामर्शदाता की नियुक्ति कर पाना कठिन है, क्योकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। यह व्यवस्था बहुत खर्चीली होगी। अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनके शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में निर्देशन सम्बन्धी बातों का ज्ञान दिया जाय जिससे वे इस कार्य को सफलतापूर्वक चला सकें। उन्हें इस काल में सरल निदानात्मक परीक्षणों तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आवश्यक रुप से अवगत कराया जायें।''

भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों ने बालकेन्द्रित शिक्षा के महत्व को समझते हुए, जनतांत्रिक मूल्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय–समय पर अध्यापक शिक्षा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये है। नवीनतम प्रौद्योगिकी का शिक्षा में प्रयोग इसका उदाहरण है। शिक्षक की विद्यालय एवं समाज में अपेक्षित भूमिकाओं के आधार पर उसकी प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय, अनुदेशकीय, पाठ्यक्रम निर्माता, मूल्यांकन कर्ता, पाठ्यसहगामी क्रियाओं का संचालन तथा संगठन कर्ता आदि भूमिकाओं के विकास पर बल दिया है। लेकिन जिसकी अनदेखी की गयी है, वह है परामर्शदाता के रुप में उसकी भूमिका। विद्यालय में एवं विद्यालयों के बाहर अध्यापक को निर्देशन एवं परामर्श करना पड़ता है।

बहुउद्देश्यीय पाठ्यक्रमों में बालक को उसकी योग्यता, उसकी अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों की जानकारी देने, अधिकाधिक आत्मनिर्देशित बनाने, मानसिक प्रवृत्तियों को समझने, स्वीकारने, काम में लेने, वांछित मूल्यों का विकास करने, कार्य क्षेत्र एवं शैक्षिक प्रयासों के विषय में सीखने, सहपाठियों के साथ बेहतर समायोजन करने के, दैनन्दिन कक्षा में एवं कक्षा के बाहर आने वाली समस्याओं को जानने एवं उनके उपचार के लिए निर्देशन एवं परामर्श दिया जाना आवश्यक है। नियमित परामर्शदाता के अभाव में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तीव्र रफ्तार वाले युग में, उचित दृष्टिकोण से तथा सही समय पर नही समझा गया तो उसके सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न होना अवश्यम्भावी है, जो प्रकारान्तरेण विद्यालय, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए भी अहितकारक होगा। अतः विद्यालय में निर्देशन व परामर्श सेवा के महत्व एवं बालकों के लिए इसकी आवश्यकता को समझते हुए अध्यापक शिक्षा में समय के सापेक्ष सेवारत एवं भावी अध्यापकों को निर्देशन एवं परामर्श के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष से परिचित कराया जाना अपेक्षित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची :–

चौहान, एस. एस. : प्रिंसिपल एण्ड टैक्निक्स ऑफ गाइडेन्स, विकास पब्लिशिंग हाउस (1982), न्यू देहली।

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन : रिपोर्ट ऑफ दी एजुकेशन कमीशन (1964–66), एजुकेशन एण्ड नेशनल डेवलपमेंट, गवर्मेंट ऑफ इण्डिया, न्यू देहली।

राव नारायण, एस. : काउंसलिंग एण्ड गाईडेन्स टाटा मेग्राहिल पब्लिशिंग कम्पनी सेकण्ड एडिशन–2000,न्यू.देहली।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में अभिनव प्रयोग है अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट

डा. शैलेश मिश्र

असिस्टेंट प्रोफेसर
पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
नरगाकोठी, चम्पानगर, भागलपुर, बिहार

नई शिक्षा नीति–1986 के 34 वर्षों उपरान्त इसरो प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की घोषणा की। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा, 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी–4) में लक्षित वैश्विक विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने" का लक्ष्य है। बिग डेटा मशीन लर्निंग और आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे अनेकों वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के दृष्टिगत एक ओर जहाँ विश्वभर में अकुशल कामगरों की जगह मशीनें काम करने लगीं वहीं दूसरी तरफ डेटा साइंस, कम्प्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगरों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों।

राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) की तर्ज पर अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई है। इस अर्थ में, एनएडी एबीसी की रीढ़ है, जहां छात्रों के शैक्षणिक डेटा को रखा जाता है और अकादमिक पुरस्कारों को संग्रहीत किया जाता है (अर्थात शैक्षणिक पुरस्कारों का भंडार)। इस तथ्य के बावजूद कि एबीसी छात्रों को क्रेडिट हस्तांतरण को पंजीकृत करने या शुरू करने में सक्षम बनाता है। क्रेडिट रिडेम्पशन के अंतिम परिणाम और प्रमाण पत्र जारी करने के साथ–साथ पुरस्कार रिकॉर्ड के संकलन को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एनएडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। इसलिए अकादमिक पुरस्कारों के मालिक होने के नाते, अकादमिक संस्थानों को अनिवार्य रूप से एनएडी के माध्यम से एबीसी के तहत खुद को पंजीकृ त करना होगा।

शिक्षण अधिगम प्रथाओं के मूल्यांकन से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने तक, यूजीसी गुणवत्ता आश्वासन के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करता रहता है। परिवर्तनकारी शैक्षिक ढाँचे के निर्माण की श्रृंखला को जारी रखते हुए यूजीसी ने

"अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट्स" (एबीसी) की शुरुआत की है। यह फैकेल्टी को छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट का प्रबंधन और जांच करने में मदद करता है।

यूजीसी के मुताबिक, ABC क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम बनाएगा जिसके तहत छात्र, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या कोई और शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकेंगें। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उन्हें देशभर के कई संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के चयन की सुविधा देगा। साथ ही इससे अध्ययन के पाठ्यक्रम में लचीलापन भी रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए शुरू की जा रही है, क्योंकि छात्र केन्द्रित पाठ्यक्रम या बहुविषयक पाठ्यक्रम, विषय संयोजन में अपनी क्षमता के अनुरूप चयनित कर सकें। 40 प्रतिशत क्रेडिट तक स्वयं (SWAYAM) के ई–पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अर्जित कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन हायर एजुकेशन) रेगुलेशंस–2021 को भी अधिसूचित कर दिया गया है।

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक क्रेडिट सुविधा है 'अकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट'। इस योजना में एक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान हैं। यह विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को एकत्रित करेगा। एबीसी को विद्यार्थियों के शैक्षणिक खाते खोलने, बंद करने और सत्यापित करने जैसी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। यह उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को इकट्ठा करने, क्रेडिट को सत्यापित करने, क्रेडिट को एकत्र करने, क्रेडिट को स्थानांतरित करने या रिडीम करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाएगा। अपने हितधारकों मध्य जरूरत के मुताबिक बढ़ावा देगा।

विद्यार्थियों को 'अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऑफ इंडिया' के साथ मैनुअल रूप से एक खाता खोलना होगा और एबीसी द्वारा उन्हें बताए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसमें एक विशिष्ट आईडी भी होगी जो एबीसी के साथ एक छात्र के खाते की पहचान करती है। शैक्षणिक सत्र 2021–2022 में भाग लेने वाले 290 से अधिक शीर्ष भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ बैंक ने काम करना शुरू कर दिया है। इनमें वे सभी संस्थान हैं जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के शीर्ष 100 की सूची में हैं। ऐसे संस्थान जिन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा ग्रेड 'ए' मान्यता प्राप्त है।

यह एक वर्चुअल/डिजिटल स्टोरहाउस है जिसमें प्रत्येक छात्र द्वारा उनकी सीखने की प्रक्रिया के दरम्यान अर्जित किए गए क्रेडिट की जानकारी होती है। यह छात्रों को अपना खाता खोलने और कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए कई विकल्प देने में सक्षम करेगा। उच्च शिक्षा अवधि के दौरान "एकाधिक प्रविष्टियां" होंगी और क्रेडिट एबीसी के

माध्यम से मूल रूप से स्थानान्तरित किए जाएंगे। किभी भी, किसी भी छात्र के क्रेडिट रिकार्ड की जांच करने के लिए एबीसी को एक प्रमाणिक सन्दर्भ माना जा सकता है। इस प्रकार एबीसी की अवधारणा संकाय की दक्षता को बढ़ावा देने और छात्रों को बहु–विषयक शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करने के लिए एक उपयोग यंत्र साबित होगा। यह विचार छात्रों को "कुशल पेशेवर" बनाने, उनके समय विकास में मदद करेगा है। संक्षेप में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भारती शिक्षा को काफी हद तक बदलने में एक गेम चेंजर साबित की भूमिका का निर्वहन करेगा।

एबीसी के मुख्य उद्देश्य :

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे –

- छात्र केन्द्रित शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षार्थी के अनुकूल शिक्षण दृष्टिकोण पर ध्यान देना।
- एक अन्तर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण लागू करना।
- छात्रों को उनकी रुचि के सर्वोत्तम पाठ्यक्रम सीखने देना।
- छात्रों को अपनी गति से सीखने में सक्षम बनाना।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बना।

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कार्य :

अकादमिक बैंक छात्रों के शैक्षणिक खातों को खोलने, बन्द करने और मान्य करने के लिए जवाबदेह होगा। यह छात्रों के क्रेडिट संचय, क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट हस्तांतरण/मोचन जैसे कार्य करेगा। पाठ्यक्रम में सरकार और संस्थानों द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले ऑनलाइन, दूरस्थ मोड पाठ्यक्रम शामिल हैं।

छात्रों द्वारा अर्जित इन अकादमिक क्रेडिट की वैधता सात साल तक होगी और छात्र इन क्रेडिट को रिडीम कर सकते हैं। क्रेडिट को भुनाया जा सकता है और छात्र सीधे दूसरे वर्ष में किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। वैधता सात साल तक होगी, इसलिए छात्रों को सात साल के भीतर फिर से शामिल होना होगा।

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का महत्त्व :

अपने पाठ्यक्रम और शिक्षाविदों को चुनने में छात्रों की स्वतंत्रता को बढ़ाता है। छात्रों को किसी भी वर्ष ड्रॉप आउट करने में सक्षम बनाता है और यदि वे योग्य हैं तो प्रमाणपत्र, डिप्लोमा के साथ अब तक अर्जित क्रेडिट का अदान–प्रदान करते हैं। वे क्रेडिट को भुना सकते

हैं और भविष्य में उसी या किसी अन्य संस्था में फिर से शामिल हो सकते हैं और अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।

संस्थान पैसे कमाने के लिए छात्रों को उनकी इच्छा के विरुद्ध पाठ्यक्रमों में नहीं रख सकते हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, छात्रों के क्रेडिट रिकार्ड की जांच करने के लिए संकाय के निमित्त एक संदर्भ बिदु के रूप में कार्य करेगा। एबीसी का हिस्सा बनने के लिए छात्रों को दिए गए दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा।

इसरो प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की घोषणा की। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा, 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी–4) में लक्षित वैश्विक विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने" का लक्ष्य है।

एबीसी खाता खोलना :

सर्वप्रथम छात्रों को एक शैक्षणिक बैंक खाता खोलने की आवश्यकता है। एबीसी खाता बनाने के लिए उन्हें अपने नाम, पता, प्रमाण–पत्र, पाठ्यक्रम विवरण आदि जैसे विवरणों की आवश्यकता हो सकती है। एक विशिष्ट आईडी और पासवर्ड बनाया जाएगा, जहाँ से छात्र अपने अर्जित क्रेडिट की जांच करने के लिए किसी भी बिन्दु पर लॉग इन कर सकते हैं।

पाठ्यक्रम के अनुसार क्रेडिट सूचना :

पाठ्यक्रम के अनुसार, सरकार द्वारा एक क्रेडिट संरचना बनाई जाएगी। जब कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है और परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो क्रेडिट स्वचालित रूप से उन्हें प्रदान किए जाएंगे। संस्थानों को विवरण भरने और छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट बैंक खाते में जमा राशि को डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है।

क्रेडिट का मूल्यांकन और सत्यापन :

अकादमिक क्रेडिट बैंक द्वारा नियमित अन्तराल पर किसी भी प्रकार का क्रेडिट मूल्यांकन और सत्यापन किया जाएगा। अगर छात्र क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए एबीसी से सम्पर्क करना होगा। यह परम प्रमाणिकता के साथ प्रक्रियाओं को विनियमित करने में मदद करेगा।

पाठ्यक्रम के प्रकार :

ऑनलाइन और ऑफ लाइन योजना में दो प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल हैं, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल हैं जैसे :

- एनपीटीएल
- स्वयं

- वी.–लैब

एनपीटीएल (National Program on Technology Enhanced Learning) : यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जिसकी शुरुआत सन् 1999 में की गई थी। मूलभूत विज्ञान तथा इंजीनियरिंग अवधारणा के सीखने को बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया एवं वेब तकनीकी ने अधिगम के मार्ग को प्रशस्त किया। एनपीटीएल के शैक्षिक लक्ष्यों में : एनपीटीएल गतिविधि के लिए वेबसाइट की रचना करना, पूरक कक्षा शिक्षण हेतु ई–लर्निंग सामग्री, वेब वीडियो व्याख्यान उपलब्ध कराना, वेब आधारित सामग्री का निर्माण करना तथा डीवीडी से इंजीनियरिंग छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तकनीकी चैनल "एकलव्य" के माध्यम से वीडियो व्याख्यानों को उचित प्रारूप में प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय परियोजना के लाभ के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर आवश्यकताओं के सम्बन्ध में संस्थानों को सलाह देना शामिल है।

स्वयं (Swayam) : स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरु किया गया एक कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा नीति के मुख्य सिद्धान्तों, पहुंच, समता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन उपलब्ध कराना है। स्वयं उन छात्रों के लिए डिजिटल अन्तराल को पाटने का प्रयास करता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवसथा की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो जाए हैं। स्वयं एक ऐसा प्लेटफार्म है जो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी समय, किसी भी स्थान पर किसी को भी एक्सेस करने के लिए सभी पाठक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव हैं, जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और किसी भी शिक्षार्थी के मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है। स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम 4 भाग में है। (1) वीडियो लेक्चर, (2) विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है, (3) परीक्षण और क्विज के माध्यम से स्व–मूल्यांकन परीक्षण और (4) संदेह दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा बेंच है। ऑडियो–वीडियो, मल्टीमीडिया और कला शिक्षण/प्रौद्योगिकी की स्थिति का उपयोग करके सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार, एबीसी हर सम्भव स्ट्रीम के छात्रों की मदद करने के लिए दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम सहित लगभग सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों को कवर करेगा।

वर्चुअल लैब (V. Lab) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के मद्देनजर अब विद्यालयों में वर्चुअल लैब से पढ़ाई की व्यवस्था होगी। इस योजना में केन्द्र सरकार ने देश के 750 स्कूलों में विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित वर्चुअल लैब और 75 कौशल ई–लैब स्थापित करने की

योजना बनाई है। इसमें बच्चों में तर्कसंगत सोच की क्षमता विकसित करने एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022–23 के दौरान गणित एवं विज्ञान में 750 वर्चुअल लैब तथा अनुकरणीय पठन–पान का माहौल बनाने के उद्देश्य से 75 कौशल ई–लैब स्थापित करने की योजना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अब तक लगभग 200 वर्चुअल लैब स्थापित किये जा चुके हैं। कक्षा 9 से 12 तक के लिए गणित, भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब की रूपरेखा रखी गयी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित देश के कुछ शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से एक ऐसे आभासी जगत का सृजन किया गया है जहां वर्चुअल लैब के जरिए छात्र विाान सम्बन्धी प्रयोग एवं नवाचार कर सकते हैं।

क्रेडिट की वैधता :

छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट सात साल के लिए वैध होगा। हालांकि क्रेडिट की वैधता पाठ्यक्रम या विषयों के प्रकार के आधार पर परिवर्तन के अधीन है। ऐसे मामलों में एबीसी छात्रों को अपवादों का विवरण प्रदान करेगा। यहां तक कि अगर कोई छात्र अवकाश लेता है या अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम नहीं है तो वे भविष्य में अर्जित क्रेडिट को सात साल की समय सीमा के भीतर पुनः उपयोग कर सकते हैं।

शैक्षिक प्रणाली पर एबीसी का अपेक्षित प्रभाव :

यूजीसी को आगामी वर्षों में एबीसी के अभ्यास के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है। इस योजना में भाग लेने वाले एचईआई क्रेडिट को सुचारु प्रबंधन के कारण अत्यधिक लाभान्वित होंगे। अन्तर अनुशासनात्मक और बहु अनुशासनात्मक दृष्टिकोण समय की आवश्यकता है। अकादमिक क्रेडिट बैंक के साथ एचईआई छात्रों को उनकी पसंद के विषय सीखने और कौशल उन्मुख स्नातक बनने में मदद करने में सक्षम होंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची :–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. नई व्यवस्था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन, अब माइग्रेशन की माथापच्ची खत्म, यूजीसी ने जारी किए आदेश, भूपेंद्र पंवार, संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 17 May 2022 03:09 AM IST
3. Academic Bank of Credit : Ministry of Education, Government of India.
4. Hindi News/Career/NEP 2020| What Is Academic Bank Of Credit (ABC); Functions Of ABC And Its Benefits| One Year Of New Education Policy.

गीतरामायणम् में लोकगीतों का परम्परागत प्रयोग : एक अध्ययन

इंदुजा दुबे

शोध छात्रा
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रमोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट, सतना,
मध्यप्रदेश

जगदगुरू स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपने महाकाव्य गीतरामायणम् में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में गाये जाने वाले लोकगीतों की धुनों को देवभाषा संस्कृत में आधार बनाकर लोकगीतों की विलुप्त होती परम्परा को नव जीवन प्रदान किया हैं। गीतरामायणम् में अवध क्षेत्र में गाये जाने वाले लोकगीतों जैसे – लचारी, कजरी, सोहर, बधाई, कहरवा, लोरी आदि के साथ ही अन्य प्रान्तों के प्रसिद्ध लोकगीतों की धुन को समाहित किया गया है। महाकवि ने गीतरामायणम् में सोहर गीत का बहुतायत गायन किया है, जो लोकजीवन में पुत्रजन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है। राम के जन्म अवसर पर अनेक सोहर गीत गाये गये है। वस्तुतः सोहर को मंगलगीत भी कहा जाता है। हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्रों में यह गीत विशेष रुप से प्रचलित हैं। अवध क्षेत्र में सोहर गीत विलम्बित एवं द्रुत दोनों प्रकार की लयों में मिलते हैं। राम की जन्मभूमि होने के कारण यहॉं के सोहर गीतों में अधिकतर राम, सीता आदि पात्रों का वर्णन हुआ है। गीतरामायणम् महाकाव्य में महाकवि ने रामजन्म के अवसर पर अनेक सोहर और बधाई गीत रचा है, जो अत्यन्त उत्कृष्ट है। एक बधाई गीत द्रष्टव्य है–

" आद्याजागरीदयोध्याभागः प्रकटितो रघुनाथः ।
राज्ञी कौसल्यायाः कुक्षिः सुफलितासफलितो दशरथभागः ।
सफला सज्जन वा०छालतिका सफिलतो भूतलविभागः।
ऋष्यश्रृङ्गः पुत्रेष्टिः सफला सफलो वसिष्ठस्य त्यागः ।
सफला दिशा सुसफला विदिशा सफलो वैष्णवविरागः।
सफला गिरिधर मङ्गल कविता सफलः शुभानुरागः।।[1]

अर्थात आज श्री अयोध्या का सौभाग्य जग गया , यहॉं रघुकुल के नाथ श्री राम प्रकट हो गये। महारानी कौसल्या जी की कोख फलवती हो गयी, महाराज दशरथ का यज्ञ भी सफल हो गया। रघु अर्थात् जीवमात्र के स्वामी श्रीराम प्रकट हो गये। सज्जनों की इच्छा रूपी लता में आज फल लग गये, यह भारत भूमि का भाग कोशलदेश सफल हो गया, यहाँ संपूर्ण जीवों की प्रार्थना का विषय श्रीराम प्रकट हो गये। महर्षि ऋष्यश्रृंग की पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुई और गुरुदेव

वशिष्ट का त्याग भी सफल हुआ, क्योंकि इन्हीं दोनों ऋषियों के प्रयोग से जगत के रघु अर्थात् इष्टदेव स्वामी श्रीराम प्रकट हुए। आज दिशाएँ और विदिशाएँ सफल हो गयीं और श्री वैष्णवजनों का वैराग्य भी सफल हो गया। इन्हीं की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्रीराम प्रकट हुए हैं और यह बधाई गाकर गिरिधर कवि की कविता सफल हो गयी तथा इस कवि का कल्याणकारी श्रीराम अनुराग भी सफल हो गया, क्योंकि रघु अर्थात् संपूर्ण जीवों के नाथ अर्थात् आशीर्वाद रुप में यथेष्ट वरदान देने के लिए भगवान श्रीराम प्रकट हो गये हैं।

श्री अयोध्या में श्रीराम का जन्म हुआ है, चारों ओर बधाई के गीत गाये जा रहे हैं, सोहर गीत गाये जा रहे हैं। जातकर्म संपन्न होने पर नान्दीमुख श्राद्ध के साथ प्रभु श्रीराघव का नख काटती हुई, नाचती हुई नाइन कहती है–

" आदास्ये महीपते! कौसल्याकरकङ्कणम् ।

सुमित्रा करकङ्कणं कैकेयी करकङ्कणम् ॥

विभ्रती निजाङ्के राम लोकलोचनाभिरामम् ।

नापिती नमितनयना प्राह पङ्क्तिधोरणम् ॥

वृद्धेऽपि वयसि विधिसूनू कृपया विधाता।

विधये विधिज्ञो महाराजभङ्गलक्षणम् ॥

शिवस्यापि दुर्लभं भवत्कृते सुलभमिदम्।

पुत्ररत्नमेतत् प्राप्तवान् प्रभो विलक्षणम्॥

कोटिकामकमनीयं नखशिखरमणीयम्।

विशदविरुदमेतं महापुरुष लक्षणम् ॥

श्रृणु श्रृणु राजराज चक्रवर्तिमहाराज प्रीतिदानम्।

विना नानुमोदिष्ये सुतेक्षणम् ॥

गिरिधरप्रभुमय स्वाञ्चले निगूहयन्ती राजयन्ती।

विरराज रघुराज प्राङ्गणम् ।[2]

अर्थात् हे महाराज! आज मैं लाला के नख काटने के नेग में कौसल्या जी के हाथों का कङ्कण (कंगन) लूँगी। इसी प्रकार कैकेयी के हाथ का कंगन और सुमित्रा जी के हाथ का कंगन भी लूंगी। हे महाराज! आपकी साठ हजार वर्ष की वृद्धावस्था में भी ब्रह्माजी के पुत्र वशिष्ठ जी की कृपा से विधि को जानने वाले विधाता ने यह मंगल क्षण उपस्थित किया है। हे स्वामिन! शिव

जी के लिए भी दुर्लभ यह क्षण आपको सुलभ हो गया, आपने सभी बालकों से विलक्षण यह पुत्ररत्न प्राप्त किया है। हे महाराज! यह बालक करोड़ों कामदेवों के भी इच्छा का विषय है, यह नखशिख पर्यन्त सुन्दर तथा निर्मल यश वाला है, इसमें तो महापुरुष साकेत बिहारी भगवान श्रीराम के सभी लक्षण दिख रहे हैं वही पीताम्बर, वही शार्ङ्गधनुष, वे ही दो तरकश, उनमें उसी प्रकार अक्षयबाण, उसी प्रकार वक्ष पर श्रीवत्सलंघन, उसी प्रकार वैजयन्ती माला और कौस्तुभमणि, वे ही किरीट–कुण्डलादि आभूषण, वही नील–मेघ जैसा श्यामल कलेवर, मुझे लगता है कि साकेतबिहारी श्रीराम ही अवध– बिहारी बन गये हैं। हे राजाओं के राजा ! हे चक्रवर्ती ''महाराज! सुनिये सुनिये जब तक मेरा नेग नहीं दीजियेगा, तब तक मैं पुत्र–दर्शन का अनुमोदन नहीं करूँगी। इस प्रकार गिरिधर कवि के प्रभु श्रीराघव को अपने आँचल में छिपाती हुई, नउनियाँ रघुराज दशरथ के प्रांगण को शोभित करती हुई स्वयं भी सुशोभित हो रही है।

गीतरामायणम् में अवध क्षेत्र में गाये जाने वाले लोकगीतों जैसे – लचारी, कजरी, सोहर, बधाई, कहरवा, लोरी आदि के साथ ही अन्य प्रान्तों के प्रसिद्ध लोकगीतों की धुन को समाहित किया गया है। गीतरामायणम् में सोहर गीत का बहुतायत गायन किया है, जो लोकजीवन में पुत्रजन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है। वस्तुतः सोहर को मंगलगीत भी कहा जाता है।

जिस प्रकार चिलचिलाती धूप से व्याकुल लोग मेघ का गर्जन सुनकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार बालक श्रीराम का रोदन सुनकर सभी अयोध्यावासी प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं और स्तुति गान करने लगते है। महाकवि एक सुन्दर बधाई गीत के द्वारा इसे चित्रित करते हैं–

'वदति वर्धापी आण्ङ्गणेषु वदति वर्धापी आङ्गणेषु ।
अद्याड्योध्यामिती राघवो लोका नृत्यन्तयाङ्गणेषु।।
अयोध्याकाः प्रेमभरमुदिताः सर्वे गायन्त्यङ्कणेषु।
कौसल्या कैकयी सुमित्रा मंगल रचनाः प्राङ्गणेषु ।।
नृपो वारयति हयराजरत्न क्वापि न लज्जारङ्गणेषु।
वर्धापनं गिरिधरो गयति भग्नस्तरलतरङ्गणेषु ।।[3]

अर्थात् आज महाराज दशरथ के आँगन में बधाई बज रही है, आज ही अयोध्या में श्रीराम प्रकट हुए हैं, लोग महाराज के आँगन में नाच रहे हैं। अयोध्यावासी प्रेम की निर्भरता से प्रसन्न हैं और सभी महाराज के आँगन में बालगीत गा रहे हैं। कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी राजप्रांगण में मंगलों से सजी हुई है। महाराज हाथी, घोड़ा, मणि लुटा रहे हैं, कहीं भी दरिद्रों में लज्जा नहीं है और भगवान की प्रेम तरंगों में मग्न हुआ गिरिधर कवि भी बधाई गा रहे हैं।

महाकवि ने श्रीराम की बरही पर एक सुन्दर बधाई गीत प्रस्तुत किया है, जिसमें सखी कहती है–

आद्यसख्यः सुखेनागता द्वादशी।
आगता द्वादशी स्वगता द्वादशी।।
बारहीति सामान्य लोके प्रसिद्धा बाराही श्रुतीव चागता द्वादशी।
शिशूनां चतुर्णां च सूतिका विशुद्धयै जाह्नवीकृतीव चागता द्वादशी।
नखच्छेदरीतिं नापितानी विधन्ते गङ्गलविभूतीवागता द्वादशी।
अङ्केषु गृहणीध्वं भाग्यं वृणीध्वं मज्जुल समूती वागता द्वादशी।
प्रभुस्पर्शमभिलषति गिरिधरः शरणागतिरिवागता द्वादशी।।

मिथिला के एक लोकगीत 'आज आरती उतारो सखी 'सियवर की। के आधार पर महाकवि ने यह गीत प्रस्तुत किया है –

'पश्य सखि! रामः शिशुः किल खेलति।
तल्पगतो जाह्नवी प्रवाहगतमिन्दीवरमवहेलति ॥
रहसि रहस्यमयो रभसा काकेन समं किल क्रीडति।
जम्बूफलपरिलुब्धमदनमधुकर शोभायामपि ब्रीडति।।
रहसि मुदाकमदं चालयंश्चपलो बालनिसर्गात् ।
वारयती चतुर्भक्तान् ननु चतुविधादवर्ग्गात् ।।
कौसल्या पश्यन्ती सुभगं बालं हदये ध्यायति।
स्वनन्दाय गिरा दैव्या गिरधरो गीतमपिगायति।।[5]

अर्थात् श्री अवध की एक सखी दूसरी सखी से कहती है– हे सखी! देखो शिशु श्रीराम खेल रहे हैं और वे पतंग पर विराजमान होकर गंगाजी के प्रवाह को प्राप्त नीले कमल को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। स्वयं रहस्यमय होकर बाल– रूप श्रीराम काकभुशुण्डि के साथ खेल रहे हैं। वे जामुन के फल पर लुब्ध कामदेव के भ्रमर की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं। बालस्वभाव से एकान्त में चंचल श्रीराम हाथ–चरण चलाते हुए, अपने आर्त–जिज्ञासु– अर्थार्थी तथा ज्ञानी इन चारों प्रकार के भक्तों को अर्थ– धर्म–काम–मोक्ष इस पुरुषार्थ के चतुर्वर्गों से दूर कर रहे हैं। माता कौसल्या कल्याणकारी बालक श्रीराम को निहारती हुई ह्रदय में ध्यान कर रही हैं तथा अपने आनंद के लिए गिरिधर कवि भी हवेली परम्परा में संस्कृत में यह गीत गा रहे हैं।

महाकवि ने 'गीतरामायणम्' महाकाव्य में कजरी लोकगीतों का भी उत्कृष्ट प्रयोग किया है। यह गीत मुख तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में गाये जाते हैं। इस लोकगीत के तीन रूप विशेषतः प्रचलित है– भोजपुरी कजरी, बनारसी कजरी तथा मिर्जापुरी कजरी। वस्तुतः कजरी का

नाम काजल सरीखे काले बादलों की कालिया के कारण हुआ है। यह गीत श्रावण मास में रिमझिम फुहार के साथ झूला झूलते हुए स्त्री–पुरुष झूम–झूमकर गाते हैं। भविष्य पुराण के उत्तरपर्व के बीसवें अध्याय में कजरी पर्व और हरिकाली व्रत का विस्तृत विवरण है। मार्कण्डेय पुराण और काशी के स्वामी देवतीर्थ कजरी पर्व का सम्बन्ध विन्ध्याचल देवी से मानते हैं, जो यशोदा के गर्भ से जन्मी थीं। भविष्य पुराण में एक कथा मिलती है, जब युधिष्ठिर के एक के उत्तर में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि एक बार शिव ने विष्णु आदि की उपस्थिति में नीलकमल–सी आभा वाली अपनी पत्नी हरिकाली को परिहास में काजल – सी कह दिया। हरिकाली ने इसे अपना अपमान समझा और अपनी श्याम कान्ति को हरित शाद्वल में छोड़कर भस्म हो गयीं। बाद में उन्होंने हिमालय के घर माँ गौरी के रूप में जन्म लिया। 'आल्हखण्ड' मैं कजरी के खेल का वर्णन है। संभवतः कजरी नृत्य और गीत भी उस समय अर्थात् बारहवीं शताब्दी में प्रचलित हो। कजरी में मुख्यतया कहरवा 'और 'दादरा' इन दो तालों का प्रयोग होता है। यह उल्लास के गीत हैं, इसमें चंचलता का भाव होने से दादरा का प्राधान्य होता है।[6]

''महाकवि ने मीरजापुरी कजली 'जामवंतजी के पद सीस नाइके, चले हनुमत हरपाई के, को आधार बनाकर यह गीत प्रस्तुत किया है–

''अद्य रामस्य दोला सुख दोल्यताम् ।
मानसं च सतां लोलताम् ।
श्रावणं सुखं विभातु संवृतं च खं प्रभातु ।
नभोनीलनीलनीलितं निचोलताम् ॥

कलां कोकिलाः कूजन्तु शुभे षट्पदाः गुज्जन्तु ।
दिव्यसर्गो निसर्गतो महोलताम् ।
माता पितृ.ां सुखानि भक्तिसल्लसन्मुखानि ।
प्राप्य सरयूस्तरङ्गैः कल्लोलताम् ॥

कोसलेश कज्जलीं भक्तिभावनाज्जलिं।
वीक्ष्य गिरिधरकवेर्मनो विलोलताम्।[7]

अर्थात् आज श्रीराम का हिंडोला सुख से आन्दोलित हो और सन्तों का मन इस पर लहराता रहे। श्रावण सुशोभित हो, आकाश मेघो से घिरा हुआ शोभा पाये, आकाश मण्डल गहन नीलिमा से घिरा हुआ नीला अंगवस्त्र धारण कर ले। कोकिल कुहकें और भौरें गुंजार करें, देवताओं का स्वर्ग प्राकृतिक तेज से युक्त हो जाये।

भक्ति से सुशोभित भविष्यों वाली श्री राघव के पिता महाराज दशरथ एवं प्रभु की सभी माताओं का सुख प्राप्त कर भगवतर सरयू तरंगो से कल्लोलित हो उठें। इस प्रकार भक्ति की

भावनांजली से युक्त भगवान श्रीराम की कज्जली को देखकर गिरिधर कवि का मन चंचल होकर उसी में लग जाये।

झूले पर झूलते हूए अपने प्रिय पुत्र राघव को देखकर म नही मन मुस्कराती हूई देवी कौशल्या सखियों को मना करती हूई सी मधुर स्वर में कज्जली गीत गाने लगती हैं–

"मा मा दोलयतां सखिवर्गो रामो भीतो राजति हे।
शुभे श्रावणे विलसति गगनं मेघघटायां भग्न सखि हे।
गायति कज्जलीं खगवर वर्गो रामो भीतो राजति हे।
मन्दं कन्दो वर्षति सलिलं हृष्यति भावसुकलिलं सखि हे।
ईर्ष्यत्यस्मभ्यं सुस्वर्गो रामो भीतो राजति है।
द्रुतं चालयति परिजनवर्गो विस्तृतसुखापवर्गः सखि हे ।
नास्ते तस्मिन् बालविसर्गो रामो भीतो राजति हे।
गिरिधरप्रभुं दोलयति दोला क्रियतां शीघ्रमलोला सखि हे।
चिरं मोदतां वैष्णववर्गो रामो भीतो राजाति हे।[8]

'गीतरामायणम् महाकाव्य में महाकवि ने लोरी गीत का भी विधान किया है। लोरी का प्रयोग अपने शिशु को नींद आने के लिए माता द्वारा किया जाता है। माता कौसल्या श्रीराम को सुलाने हेतु लोरी गाती हैं। एक सुन्दर लोरी गीत दृष्टव्य है–

" त्वं शेष्वाऽहं गायेयं तव विधु वदनं ध्यायेयम्।
सुत पश्य शर्वरी माता निद्रासम्मुखमायाता ॥
सान्ध्ये त्वाम् सन्ध्यायेयं तव विधुवदनं ध्यायेयम्।
चन्द्रमास्समुदिती भातः मृदु वाति मलयवरवातः ।
तव चरितं निध्यायेयम् तव विद्युवदनं ध्यायेयम् ॥
तव मुखमभिलषति प्रमीला सुखमपि वितरति शिशुलीला।
गिरिधरगिर मनुध्यायेयं तव विधुवदनं ध्यायेयम् ।।[9]

अर्थात् माँ कौसल्या कहती हैं– हे वत्स राघव ! आप सो आयें, मैं गीत गाऊँ और आपके चन्द्रमुख का ध्यान करुं। हे पुत्र ! देखो रात्रिमाता भी निद्रा के निकट आ गयी हैं, आप सो जाइये। इस सांध्यबेला में मैं आपका सम्यक् ध्यान कर लूँ। देखिए, इस समय पूर्व उदित हुए चन्द्रमा शोभित हो रहे हैं और मन्द–मन्द मलय वायु भी चल रही है। आप शयन करें। मैं आपके चरित्र का बार–बार अभ्यास कारुं। हे राघव ! आपके मुख पर प्रमिला अर्थात् (जमुहाई) सुशोभित हो रही है और आपकी बाललीला सभी को सुख का वितरण कर रही है। मैं कवि गिरिधर की

वाणी का अनुशीलन कर लूं। आप शयन करें, मैं आपको शयनशीत सुनाऊँ और आपके श्रीचन्द्रमुख का ध्यान कर लूँ।

एक अन्य गीत में माँ कौसल्या लोरी गीत गा रही हैं। लोरी गीत द्रष्टव्य है–

"शेतां शेताम् कुमारो राघवः।
मम प्राणाधारो राघवः शेतां शेताम् ॥

हे दिनकर वंशविभूषण जितदूषण दूषणदूषणा
खलकमल तुषारो राघवः शेतां शेताम् ॥

कमलिनी वियुक्ता पत्या कुमुदिनी सभर्ता मत्या।
हृतभूतलभारो राघवः शेतां शेताम् ॥

अनुनयते त्वामथ निद्रा अभिनयते वदने तन्द्रा ।
सुखमङ्गल सारो राघवः शेतां शेताम् ॥

मा वार्ता कुरु दनुजारे अङ्गीकुरु शयनमधारे ।
हृतगिरिधर कारो राघवः शेतां शेताम् ॥"[10]

अर्थात् माँ कौसल्या लोरी के ढाल के गीत गा रही हैं। हे मेरे प्राणाधार ! रघुकुल में प्रकट सम्पूर्ण जीवों के हितैषी 'कुमार राघव! आप शयन करें, शयन करें। हे सूर्यकुल के आभूषण दूषण नामक राक्षस को जीतने वाले दोषों को भी नष्ट करने वाले प्रभु! आपराक्षस रूपी कमलों को नष्ट करने के लिए हिमपात के समान है। आप शयन कर लीजिये। कमलिनी अपने पति से बिछुड़ गयी है और कुमुदिनी सौभाग्य प्राप्ति के कारण चन्द्रमा 'से युक्त हो गयी है और आप संसार का भार हरने वाले हैं। अतः शयन कर लीजिये। देखिये, निद्रा आपका अनुनय कर रही है और तन्द्रा आपके मुख पर अभिनय कर रही है और आप सुखों और मंगलों के सारभूत वस्तु है, आप शयन कर लीजिये। हे दैत्यों के शत्रु ! आप वार्तालाप मत कीजिये, हे पापनाशक ! अब शयन स्वीकार कर लो। हे भगवान! आप कवि गिरिधर की भी यत्रकार को नष्ट करने वाले हैं, आप शयन करिये।

उत्तर प्रदेश के पूरबी क्षेत्र में गोंड (कहार) जाति के लोग निवास करते हैं, इनका कार्य सेवा करना है। विवाह आदि उत्सवों पर ये लोग एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, जिसे 'गोड़ऊनाच' कहते हैं। वाहनों की सुविधा अब नहीं थी, तो इस जाति के लोग डोली ढोते थे, पालकी बारात लेकर जाते थे। यह एक श्रमसाध्य कार्य था, इसलिए थकान मिटाने के लिए ये लोग गीत गाते थे, इनके गीत को ही 'कहरवा' गीत कंहा आता है। ये कहरऊआ नाच भी नाचते थे, जो 'हुडुक' नाम के वाद्य के साथ किया जाता था। जाति सम्बन्धी 'लोकगीतों में

'कहरवा' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'गीतरामायणम्' महाकाव्य में महाकवि ने 'कहरवा' लोकगीत का विधान किया है–

''सखि हे रामभद्र उन द्वादशवर्षः पुरारिचापं कथं त्रोटयते्।
आलि पश्य रामं घनश्याम कोमलराजकिशोरम् ॥
क्वेद धनुः कठिनसर्वाङ्ग शतशतकुलिश कठोरम्।
सखि हे। नितरामसम्भवोडनेन धनुष्कर्षः पुरारि चापं कथं त्राटयेते् ।
क्वेदं कच्छपपृष्ठनिष्ठुरं ' शङ्करधनुर्विशालम्।
क्वेदं पश्यसि शिरिषकोमलं दशरथबालभराजमा
आलि! कथं शक्यः शिवकार्मुकविकर्षः पुरारि चापं कथं त्राटयेते् ।
नाशकुवन् दानवा देवा तिलमपि यच्चालियितुम्।
कथमलमहो मानवो रामो जनकपणं' पालयितुम् ।।
दृष्ट्वा जयते प्रसन्नतापकर्षः पुरारिचाप कथं त्रोटयेत्।
प्रसीदतां पार्वतीगणपती मृञ्यतु मृडो वागीशः।
तृष्णभज्जं विभनक्तु शिवधनु श्रीरामो वागीशः ॥
द्रष्टागिरिधरेण निजप्रभु पराक्रमोत्कर्षः पुरारिचापं कथं त्रोटयेत्।[11]

अर्थात् सखी गाने लगी– हे सुखी! श्रीरामभद्र अभी 12 वर्ष से भी अल्प अवस्था के हैं। ये शंकर जी का धनुष कैसे तोड़ सकेंगे? हे सखी! नीले बादल के समान श्यामल, कोमल राजकिशोर श्रीराम को देखो कहाँ ये इतने कोमल और कहाँ सर्वांग कठिन करोड़ों वज्रों से भी कठोर यह पिनाक इनके द्वारा इसका चढ़ाया जाना अत्यन्त असम्भव है। सभी देख रही हो कहाँ कछुए की पीठ के समान कठोर, विशाल शिवधनुष और कहा शिरीष पुष्प के समान सुकुमार दशरथ जी के बालहंस श्रीराम को देख रही हो। इनके द्वारा इस धनुष का आरोपण कैसे सम्भव है? अरी सखी। जिस धनुष को देवता और दानव तिलभर भी नहीं खिसका सके, वही 'धनुष खिसकाकर मनुष्याकृति श्रीराम जनक की प्रतिज्ञा को कैसे पूर्ण कर पायेंगे? यह विसंगति देखकर मेरी प्रसन्नता समाप्त होती जा रही है। गौरी–गणपति प्रसन्न हों और नन्दी बैल पर सवारी करने वाले शिवजी और ब्रहमा जी अनुकूल हो, जिससे श्रीराम पिनाक को तिनके के समान तोड़ दें और गिरिधर कवि भी अपने प्रभुखी राम का पराक्रम देखे।

ब्रह्मगीत 'बरसाने की गली कान्हा के वरसन को राधिका चली की ढाल में निबद्ध 'श्रीतरामायणम्' महाकाव्य का एक गीत दृष्टव्य है–

''मिथिलाधिपसुता गिरिजा पुरः पूजयितुमागता।
मङ्गल गायाद्भिर्वाद्यञ्च वादयाद्भिः।
प्रीयते तुरीयायाश्तूर्यं नादयाद्भिः।

सखीवृन्दैर्वृता गिरिजां पुरःपूजयितुमागता ॥
पद्भ्यां चलन्तीव हंसी हसन्ती।
रूपदीपिकेव पथि परमा लसन्ती ॥
भक्तिभावन्विता गिरिजां पुरः पूजयितुमागता ।
प्रकृत्या विशुद्धाङपि सरोवरे स्नाता ॥
पीतपटं परिदधाना नियमे निष्णाता।
गौरी मन्दिरमिता गिरिजां पुरः पूजयितुमागता ।
प्रीतिपूर्वं पूर्वेद्युः स्वयम्बरा सुस्त्रग्धरा।
अपुपुजत् प्रीत्या पार्वती सा पतिम्बरा।।
विश्वविश्ववन्दिता गिरिजां पुरः पूजयितुमागता ।
षोडशोपचारैः पूजयित्वा भवानीम् ।
वरं बव्रे रघुवरं सीता भृडानीम्।
गिरिधाराभिनन्दिता गिरिजां पुरः पूजयितुमागता ॥''[12]

अर्थात् मिथिलाधिप राजकुमारी सीता जी गिरिजापूजन के लिए पधार आई हैं। मंगलगान करती तथा बाजे–बजाती एवं तुरीयावस्था रूपिणी सीता जी की प्रसन्नता के लिए तूर्य अर्थात् तुरुही–वाद्य का उद्‌घोष करती हुई सखी समूहों से घिरी जनकनन्दिनी जी गिरिजा पूजन को पधार आयी हैं। श्रीचरणों से चलती हुई हंसिनी का परिहास करती हुई–सी मार्ग में श्रेष्ठरूप दीपमालिका की भाँति भक्तिभाव से युक्त हैं। स्वभावतः पवित्र होकर भी जानकी जी ने सरोवर में स्नान किया, नियम से निपुण मैथिली की मे पीला वस्त्र धारण किया और पार्वती जी के मंदिर में आयीं। सम्पूर्ण विश्व की वन्दनीया अगले दिन स्वयंवरं में उपस्थित होने वाली सुन्दरमालिका धारण की हुई। जनक नन्दिनी जी ने अनुरूप वर के वरण की इच्छा से प्रेमपूर्वक पार्वती जी की पूजा की। गिरिधर कवि के द्वारा अभिनन्दित भगवती सीता जी ने षोडशोपचार ने पार्वती जी की पूजा कर के उनसे रघुवर श्रीराम को ही वररूप में वरदान माँगा।''

अतः कहा जा सकता है कि महाकवि स्वामी राम भट्टाचार्य जी ने अपने 'गीतरामायणम्' महाकाव्य में अवसर अनुसार विविध लोकगीतों का संस्कृत भाषा में विधान किया है। बधाई गीत, कजरी गीत, लोरी गीत, कहरवा गीत तथा ब्रजगीत के कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन गीतों के भाव एवं लय आदि यहाँ उसी रूप में यथावत् हैं, किन्तु भाषा परिवर्तित है। स्वामी जी विभिन्न अवसरों पर इन गीतों को उसी रूप में, उसी गेय–विधान के साथ गाते हैं और लोग मन्त्र मुग्ध होकर सुनते हैं।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची</u> :–

1. स्वामी श्री रामभद्राचार्य– गीतरामायणम्, जगद्गुरुरामभद्राचार्य– विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ० प्र०, संस्करण – 2011, श्लोक– 1.2.26.
2. वही, श्लोक 1.2.18.
3. वही ,श्लोक – 1.2.11
4. स्वामी श्रीरामभद्राचार्य– गीतरामायणम्, जगद्गुरुरामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ०प्र०, संस्करण– 201, श्लोक– 1.2.34.
5. वही, श्लोक –1.3.13.
6. जैन, डॉ० शान्ति– लोकगीतों के संदर्भ और आयाम, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण–1999, पृ० – 218.
7. स्वामी रामभद्राचार्य – गीतरामायणम्, जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ०प्र०, संस्करण–2011, श्लोक– 1.3.18.
8. वही, श्लोक –1.3.19.
9. वही, श्लोक– 1.4.9.
10. स्वामी रामभद्राचार्य – गीतरामायणम्, जगद्गुरुरामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ०प्र०, संस्करण – 2011 श्लोक – 1.4.10.
11. वही, श्लोक – 1.7.32.
12. वही, श्लोक – 1.8.4.

साहित्य, संस्कृति और समाजः एक विश्लेषण

अभिषेक मणि तिवारी

शोधार्थी
कुटीर पी0जी0 कालेज,
चक्के, जौनपुर

साहित्य, संस्कृति और समाज के बीच अंतर्संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि संस्कृति एक समग्रता है और समग्रता का सृजन करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक साहित्य है। सम्यकरूपेण विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि संस्कृति के निर्माण में साहित्य, ज्ञान, कला, नैतिकता, धार्मिक विधि–विधान एवं सामाजिक रीति–रिवाजों का विशिष्ट योगदान होता है। इस दृष्टि से साहित्य वह महत्वपूर्ण अवयव है, जिसका न सिर्फ संस्कृति के निमार्ण मे विशेष योगदान है। बल्कि यह संस्कृति को परिष्कृत और परिमार्जित भी करता है। यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि साहित्य उन अवयवों में से एक है, जो श्रेष्ठ संस्कृति का निर्माण करता है।

मनुष्य जब से सुशिक्षित हुआ और अपने को तथा अपनी प्रकृति को समझने की योग्यता पायी तब से उसने अपने ज्ञान एवं संस्कृति को व्यवस्थित करने और अग्रिम पीढ़ी को अग्रसारित करने हेतु उसे परिभाषाओं और लक्षणों की सीमा में बाँधना चाहा। परन्तु ज्ञान जैसे विशिष्ट गुण को परिभाषाओं और लक्षणों की संकीर्ण सीमा में नही बाँधा जा सकता और न ही उसे सीमाओं में बाँधकर उसके सार्थक स्वरूप का बोध किया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञान और परम्परा को हमें अपनी चेतना के विस्तृत पटल पर रखकर अवलोकन करना होगा। कुछ इसी प्रकार विषय हैं–**साहित्य, संस्कृति और समाज**।

साहित्य, संस्कृति और समाज के अन्तर्सबंध को विद्वानों ने कभी अलग–अलग, कभी एक ही दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया। किन्तु नवीनतम ज्ञान इनको प्रायः अलग ही मानते है। फिर भी सार्थक बोध हेतु इनको समग्रता में रखकर इनके अन्योन्याश्रित सम्बन्ध का विश्लेषण करना होगा चूँकि साहित्य प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच में होता है, अतएव इसका प्रभाव भी व्यापक है। यह समाज में एकजुटता को बढ़ाकर इन्हें एक मंच पर लाता है और उस जनसंस्कृति का सूत्रपात्र करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध होती है। सत्य तो यह है कि संस्कृति के विकास में न सिर्फ साहित्य का अमूल्य योगदान है बल्कि यह श्रेष्ठ

संस्कृति का आधार स्तम्भ भी है। समाज और संस्कृति तो प्रत्येक देशकाल, वातावरण के अनुसार परिवर्तित होते रहते है। किन्तु यह सत्य है कि एक दूसरे के बिना ये अपूर्ण है तथा समग्रता में ही इनकी सार्थकता है। हमारा भारतीय समाज आधुनिकाता की दौड़ में भी अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये हुए है, जिसका प्रमुख कारण है साहित्य। भारतीय संस्कृति और समाज के परिपेक्ष्य में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है।

साहित्य वह विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व है, जो हमें सांस्कृतिक जड़ता से बचाता है। श्रेष्ठ साहित्य के अभाव में सांस्कृतिक जड़ता बढ़ती है, जिससे समाज पतन की ओर उन्मुख होता जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्य ही कहा है कि–"सारे समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य है।" साहित्य की यह विशिष्टिता है कि वह संस्कृति को स्थिर नहीं होने देता। वह संस्कृति को गति एवं लय देकर जहाँ उसे जीवंतता प्रदान करता है, वहीं उसे स्थिरता से बचाता है। इस प्रकार साहित्य जहाँ संस्कृति को विकार रहित बनाये रखता है, वहीं जड़ता से सुरक्षा प्रदान करता है। संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में तथा समाज को संस्कारित करने में साहित्य ने अपूर्व भूमिका निभाई है। वस्तुतः यह कहना असंगत न होगा कि साहित्य की अभिप्रेरणा द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को मूर्तरुप देकर अपनी संस्कृति का पथ प्रदर्शन करता है। उदाहरण के लिए अनेक रंग और कागज पर एक कुशल चित्रकार ही उत्कृष्ट चित्र उकेर सकता है। उसी प्रकार साहित्य संस्कृतियों का समन्वय कर एक आदर्श समाज की स्थापना करता है। साहित्य की इसी विशिष्टिता के कारण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है–"साहित्य समाज का दर्पण है।" क्योकि साहित्य के माध्यम से ही समाज के रीति–रिवाज, परम्पराएँ तथा प्राचीन संस्कृति को हम समाज में जीवंत रुप में प्रचलित पाते हैं। किसी भी समाज का साहित्य ही वह अमूल्य निधि है, जिसमें उसकी संस्कृति के निर्धारक तत्व यथा–सौन्दर्य, प्रेम, कला, नैतिकता, संस्कार निहित होते है। संस्कृति एवं समाज के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व नैतिक मूल्यों के निर्धारण में साहित्य की भूमिका कम नहीं हैं।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह बात किसी से छिपी नहीं है कि किसी भी देश को अराजकता से बचाने के लिए वहाँ एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होनी ही चाहिए। प्राचीन समय में यह व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी जो कि आज लोकतंत्रात्मक हो गयी है। परन्तु यह व्यवस्था किस मूल्य को लेकर चलेगी इसके निर्धारण में साहित्य की भूमिका अवश्य रहती है। यूरोपीय देशों के साहित्य ने राजा का मुख्य कर्त्तव्य धर्म प्रचार बताया तो वहाँ सामाजिक संरचना में विधिक विकृतियाँ उत्पन्न हुई। परन्तु भारतीय साहित्य ने राजा का प्रमुख कर्त्तव्य लोकहित बताया तो भारतीय समाज में इस प्रकार की विकृतियाँ नहीं अपने पायीं।

"एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः। अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्।"

(भागवत पुराण 1/17/10–11)

सामाजिक और पारिवारिक संरचना को भी देखें तो इसके मूल्यों तथा परम्पराओं के निर्धारण में भी साहित्य की भूमिका कम नहीं है। उदाहरण के तौर पर पुरुष का नारी के प्रति आकर्षण एक प्राकृतिक और नैसर्गिक प्रक्रिया है किन्तु इस आकर्षण को मर्यादित और संस्कारित करने का कार्य साहित्य ने ही किया है। यथा–

अनुज वधू भगिनि सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी।
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकई–जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई।।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाहे जिस कालखण्ड की संस्कृति हो, जहाँ ऐसे संस्कार और मर्यादाओं का पालन नहीं हुआ वहाँ पारिवारिक तथा सामाजिक तौर पर अराजकता फैली और उसका विनाश हुआ। नैतिक और मानवीय मूल्यों की बात करें तो हाल ही में घटित कोरोना आपदा जिसका अभी भी प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। यह आपदा चाहे मानव निर्मित रही हो या प्राकृतिक लेकिन विनाश मानव जाति का ही हुआ। इस आपदा में जब पश्चिमी देशों ने आपदा से बचाव हेतु टीका/वैक्सीन बनाया तो उसका सूत्र और निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री अन्य देशों को देने से मना कर दिया। इसका मूल कारण ये था कि ये देश इसे किसी नैतिक मूल्य या मानवीय दृष्टि से न देखकर पूँजीवादी दृष्टि से देख रहे थे। वहीं जब भारत ने कोरोना आपदा से बचाव हेतु टीका बनाया तो स्वहित के साथ–साथ परहित की भावना से प्रेरित होकर पिछड़े और गरीब देशों को भी समान रुप से निर्यात किया क्योंकि हम किसी पूँजीवादी दृष्टि से प्रेरित नहीं थे अपितु हममें यह भावना थी जो कहती है कि सम्पूर्ण विश्व ही एक परिवार है, जिसका वर्णन हमारे साहित्य में कुछ इस प्रकार हुआ है–

साहित्य, संस्कृति और समाज के बीच अंतर्संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि संस्कृति एक समग्रता है संस्कृति के विकास में न सिर्फ साहित्य का अमूल्य योगदान है बल्कि यह श्रेष्ठ संस्कृति का आधार स्तम्भ है। ये दूसरे के बिना अपूर्ण है तथा समग्रता में ही इनकी सार्थकता है। हमारा भारतीय समाज आधुनिकाता की दौड़ में भी अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये हुए है, जिसका प्रमुख कारण साहित्य है। भारतीय संस्कृति और समाज के परिपेक्ष्य में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्।
उदाचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्।। (महोपनिषद्, अध्याय 6 मंत्र–71)

इस प्रकार भारतीय संस्कृति का आदर्श यह था जो हमारे साहित्य ने स्थापित किया। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्यवादिता, सार्वभौकिता एवं सर्वांगीणता ये सभी भारतीय संस्कृति की विशिष्टताएँ हैं जिनसे मिलकर भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील रही। इसने अपनी निरन्तरता को बनाए रखा। ये सभी विशिष्टिताएँ प्रायः दूसरी संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलती है। स्थानीयता एवं संकीर्णता से बचते हुए भारतीय संस्कृति में सार्वभौमिकता

पर बल दिया है। यानी विश्व के कल्याण की कामना करने वाली यह संस्कृति लोक कल्याण की उदार भावना प्रेरित है। लोक कल्याण के हमारे सांस्कृति मूल्य कितने श्रेष्ठ है, इसका पता इस कल्याणकारी श्लोक से चलता है–

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत्।। (तैत्तिरीय उपनिषद्)

अर्थात् सभी सुखी हों, विघ्न रहित हों, कल्याण का दर्शन करें, तथा किसी को कोई दुःख प्राप्त न हो। सार्वभौमिकता का इससे श्रेष्ठ उदाहरण और क्या हो सकता है।

अतः हमें यह कहना समीचीन प्रतीत होता है, कि साहित्य, संस्कृति और समाज का मार्गदर्शन करता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि संस्कृति के निर्माण में और समाज को दिशा बोध कराने में साहित्य का कोई योगदान नहीं है। हमारी संस्कृति जैसी रहती है उसी मनोदशा का साहित्य भी लिखा जाता है। यथा–गुप्तकाल हमारे राजनीति इतिहास का स्वर्णकाल रहा तो उसी श्रेणी के कवि जैसे–कालिदास हुए। उसी प्रकार जब संस्कृति गिरी जैसे–औरंगजेब के समय तो साहित्य भी उसी कोटि का रहा। कभी हमारी संस्कृति में समाज का अपार महत्व था और साहित्य उसी का गान करता था। किन्तु स्वतंत्रता पश्चात् जब प्रथम प्रधानमंत्री भारतरत्न पं0 जवाहर लाल नेहरू ने श्रम के महत्व का आह्वान किया तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह "दिनकर" को लिखना पड़ा–

धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की।
है सच्चा मनुष्य ग्रन्थियाँ। सुलझाना जीवन की।। (कुरूक्षेत्र पृ0–89)

जैसा कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने ग्रन्थ–"हिन्दी साहित्य का इतिहास" में लिखा है– "जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ–साथ साहित्य के स्वरुप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। .... जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है।

साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। इसलिए प्रत्येक युग के साहित्य में उस युग का समाज और उसके मूल्य प्रतिबिंबित होते है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, यह साहित्य और समाज की एकांगी व्याख्या है। साहित्य एवं समाज का अन्तर्संबंध एकांगी नहीं पारिस्थितिक है, इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण ही नहीं माना जाना चाहिए। बल्कि दर्पण के साथ साथ दीपक भी माना जाना चाहिए। क्योंकि साहित्य समाज को दीपक के समान मनुष्य को दिशाबोध कराता है। साहित्य समाज में एकता की भावना के साथ–साथ मनुष्य में मनुष्यत्व की भावना को प्रेरित करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य

घोषित करते हुए कहा है कि – "निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही साहित्य की साधना है।"

इस प्रकार साहित्य, संस्कृति और समाज एक दूसरे से प्रभावित तथा परिभाषित होते रहते हैं। इस क्रम में यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शब्द–अर्थ का हर आलंकारिक संयोग साहित्य ही नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहें तो –"जो साहित्य मनुष्य तथा समाज को रोग, शोक, दारिद्र, अज्ञान, तथा परमुखोपेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है।"

निष्कर्षतः हम कह सकते है कि साहित्य संस्कृति और समाज के मध्य गहरा अन्तर्संबंध ही नहीं अटूट रिश्ता है। साहित्य जहाँ श्रेष्ठ संस्कृतियों को गढ़ने वाला शिल्पकार है, वहीं कालातीत हो चुकी संस्कृतियों को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। साहित्य वह सांस्कृतिक अवयव है, जो संस्कृतियों के कालातीत हो जाने के बाद भी उन्हें जीवित बनाये रखता हैं तथा समाज को एक सूत्र में बँधे रहकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि साहित्य, संस्कृति और समाज के ह्रदय का आदर्श रुप है।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची</u> :–

1. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली भाग–10 पृ0सं0 25
2. कुरुक्षेत्र–रामधारी सिंह 'दिनकर' पृ0सं0 89 (राजपाल एण्ड सन्स–संस्करण 2019)
3. रामचरित मानस–किष्किंधाकाण्ड
4. भागवत पुराण श्लोक 1/17/10–11
5. महोपनिषद् अध्याय 6, मंत्र 71
6. हिन्दी साहित्य का इतिहास–आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृ0सं0 19
7. तैत्तिरीय उपनिषद्।

"तबले के नामकरण में विभिन्न मतों का विमर्श"

डॉ० नरेन्द्र देव पाठक

सहायक आचार्य (तबला),
टी०डी० पी०जी० कालेज,
जौनपुर, (उ०प्र०)

तबले के नामकरण के बारे में निश्चित, सर्वमान्य तथा सर्वोच्चित तथ्य सामने नहीं आए हैं। अभी तक जितने मत आए है। सब में कुछ न कुछ कमियाँ अवश्य गिनायी जा सकती है तबला वाद्य का नाम तबला पड़ने के बारे में विद्वानों के निम्न गत हैं। उतर भारत में साधारणतः ऐसा जनप्रवाद है कि मध्य युग में मृदंग अर्थात् पखावज को बीच से काट कर दो हिस्सो में उर्ध्वमुखी स्थिति में रख कर बजाने से तबला वाद्य की उत्पत्ति हुई है। इस तरह पखावज के दो भाग करने पर भी उन्हें ऊ यमुखी रूप से बजाया जाना सम्भव हुआ। अर्थात् पखावज दो भागों में बँट कर भी नये वाद्य के रूप में बोला। अतएव तब भी बोला शब्दों का अपभ्रंश होकर तब (भी) +बोला= तयबोला तब्बोला.. तब्बोला, तबला शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इस परिकल्पना के अनुसार यह हिन्दी भाषा की देहज शब्द सिद्ध होता है।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि तबला वाद्य की वादन प्रक्रिया के विकास में मध्ययुग के अनेक पखावज वादकों का बहुत योगदान रहा है तबला वाद्य के अविष्कारक के रूप में समझे जाने वाले सुधार खाँ ढाढ़ी को भी लोग मूलतः पखावजी ही मानते है। इसके अतिरिक्त तबले के पंजाब बाज की शाखा का प्रारंभ भी लगभग अठारहवीं शताब्दी में भवानी दास पखावजी के शिष्य फकीर मुहम्मद द्वारा माना जाता है। इसीलिए भवानी दास पखावजी के प्रशिष्य तथा उन्नीसवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध पखावज वादक कुदऊसिंह ने अवध के तत्कालीन शासक वाजिद अली शाह के लखनऊ दरबार में आबिद अली ढाढ़ी तबलीए के संदर्भ में तबला वादको को पखावज चादको का "गुलाम व शिख्याकार (शिष्य) कहा जाता था। तबला वादन प्रक्रिया के विकाश में पखावज वादको का विशेष योगदान होने पर भी पखावज को भागों में विभक्त करके तबला वाद्योत्तपत्ति और तबबोला से तबला' शब्द की व्युत्तपत्ति का तर्कसंगत वैज्ञानिक समाधान नहीं होता। क्योंकि बनावट की दृष्टि से पखावज को दो भागों में काट लेने पर उसका प्रत्येक भाग विदेशी अनवद्ध वाद्य बांगों के दोनों भागो की भाँति नीचे से खुला होना चाहिए, जबकि वस्तुतः तबला वाद्य के दोनों भागों के नीचे पेंदे पूर्णतयाः बन्द होते हैं। फिर मध्ययुग में तबला वाद्य के पूर्ण रूप तब्बोला' या "तबोला नाम के किसी अनवद्ध वाद्य का किसी भी संदर्भ में कहीं

कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बलकि उनके साथ तब्ल या तबल शब्दों का उल्लेख मध्यकालीन संस्कृत, फारसी, हिन्दी, असमिया और उर्दू साहित्य में अवश्य मिलता है। अतएव इन आधारों पर पखावज को दो भागों में काटकर तबले की उत्पत्ति और तब (भी) बोला शब्दों से 'तबला' शब्द की व्युत्पत्ति एक काल्पनिक किवदंती मात्र सिद्ध होती है। उल्लेखनीय है कि आज के सुप्रसिद्ध तबला वादक पं० किशन महाराज भी पखावज को काटकर दो भाग करने से तबला वाद्योत्पत्ति की धारणा को असंगति मानते हैं। मध्य एशिया में दजला और फरात नदियों के मैदानी भाग में स्थित मेसोपोटेमिया (वर्तमान ईराक) की प्राचीन सुमेरियन, बेबिलोर्नियन, असीरीयन इत्यादि सभ्यताओं के साहित्य में 'बलग' और अक्कादियन साहित्य में उसके पर्याय 'बलग्गू' नाम के एक महत्वपूर्ण अनवद्ध वाद्य का उल्लेख मिलता है, जो कि लगभग दो हजार वर्ष पूर्व के प्राचीन युग में 'इया' अथवा 'इन–की' नामक देवता के मन्दिरों में विशेष अवसर पर बजाया जाता था।

'बलग' या बलग्गू शब्दो का पहला अंश बल क्रिया पद है, जिसका अर्थ प्रार करना या पीटना होता है। अतः बहुत सम्भव है कि प्रहार से या पीट कर बजाए जाने के कारण, उस अनवद्ध वाद्य का नाम 'बलग' या बलग्गू पड़ा होगा। संस्कृत भाषा में बल का अर्थ शक्ति होता है, जो कि प्रहार या पीटने की क्रिया के अनिवार्य होता है। अतः इस दृष्टि से बलग या 'बलग्गू' शब्द का क्रियापद संस्कृत के 'बल' से तुलनीय है। 'बनग' शब्द के अन्य अर्थ हर्ष, आनंदपूर्ण कोलाहल, ध्वनि, चिल्लाना, गुर्राना या गर्जना है।

इससे श्री अरविन्द मुलगाँवकर ने अपने ग्रंथ तबला में उच्चार एवं अर्थ साम्य के आधार पर बलग' शब्द के प्रथम और तबल' शब्द के अंतिम अंश 'बल' क्रियापद अथवा 'बलाग' शब्द के प्रथम और तबला शब्द के अंतिम अंश कला क्रियापद को शब्द विकास की मूल कड़ी मानते हुए 'बल' से 'तबल' या 'बला से तबला शब्द के व्युत्पत्ति की संभावना अभिव्यक्त कि है। श्री मुलगाँवकर की यह परिकल्पना ध्वनि के उच्चारण व अर्थसाम्य पर आधारित होने पर भी, उसमें भाषा वैश्रानिक दृष्टि से 'बल' या बला क्रियापद के पूर्व 'त' उपसर्ग के योग व अर्थ विकास का कोई निश्चित और प्रमाणिक आधार नहीं मिलता। अतः 'बल या बला' से 'तबल' या तबला शब्द की व्युत्पत्ति होने की संभावना संदेहास्पद प्रतीत मालूम होती है।

3. ईरान (फारस) में तब्ल बदली व तब्ल तुर्की, तब्ल जंग, तब्ल सामी, तब्ल मिगरी, तब्ल अल–मरकब तब्ल अलगाविग या तब्ल अल साविस और तब्लो अलम नामक अनेक अवनद्ध वाद्य प्रचलित हैं, जो कि उर्ध्वमुखी रूप में बजाए जाते हैं। अतएव अनेक विद्वान तबला शब्द की व्युत्पत्ति तब्ल शब्द से मानते हैं। वास्तव में तब्ल भी मूलतः फारसी भाषा का न होकर अरबी भाषा का शब्द है और यह शब्द अरबी भाषा से आकर फारसी भाषा में आकर प्रचलित हुआ।

एक किवदंती के अनुसार अरबी संगीत परंपरा के सुप्रसिद्ध व्यक्ति 'लमक के पुत्र 'टुबल' ने तब्ल वाद्य का अविष्कार किया। अतः उससे संबद्ध होने के कारण इस अनवद्ध वाद्य का नाम

'तब्ल' पड़ा। अरबी 'तब्ल के विषय में अरबी संगीत के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० हेनरी जान फार्मर का कथन है कि बैबीललोनियन–असीरीयन अनवद्ध वाद्य तब्ल की तुलना अरबी तब्ल से की जा सकती है। अतः इन शब्दों के पारस्परिक संबंध और उनसे अरबी 'तब्ल' शब्द के विकास की संभावना हो सकती है। (17:39, 2/3/2022)। उपज ठरच कोलम्बीया यूनिवर्सिटी के ओरियन्टल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डा० जेफे के मतानुसार "तब्ल' सा तबुल शब्द वस्तुत अरबी मूल का शब्द न होकर लैटिन टेबुल से लिया गया है। इस प्रकार अरबी भाषा के तब्ल या तबूल शब्द का विकास भी मूलत लैटिन शब्द "टेबुल" शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ चिकना चौरस व समतल होता है।

मध्य युग में मृदंग अर्थात् पखावज को बीच से काट कर दो हिस्सो में उर्ध्वमुखी स्थिति में रख कर बजाने से तबला वाद्य की उत्पत्ति हुई है। इस तरह पखावज के दो भाग करने पर भी उन्हें ऊ यमुखी रूप से बजाया जाना सम्भव हुआ। अर्थात् पखावज दो भागों में बँट कर भी नये वाद्य के रूप में बोला। अतएव तब भी बोला शब्दों का अपभ्रंश होकर तब (भी) +बोला= तयबोला तब्बोला.. तब्बोला, तबला शब्द की व्युत्पत्ति हुई।

इस विषय में एक तथ्य यह है कि अधिकतर यूरोपिय भाषाओं के विकास का संबंध लैटिन भाषा से रहा है। अतः अंग्रजी फ्रेंच, जर्मन इटैलियन तथा स्पैनिश इत्यादि भाषाओं में चौरस, चिकने, समतल या लकड़ी की चौरस, चिकनी, समतल मेज के अर्थ में इस्तेमाल होने वाले टेबल या उससे विभिन्न रूपों के मूल विकास का संबंध भी लैटिन भाषा के टेबुल शब्द से है इसीलिए यूरोपिय भाषाओं में टेबल या उससे 6 वनिसाम्य वाले समानार्थी शब्द प्रायः उर्ध्वमुखी समतल दस्तुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

तुर्की फारसी इत्यादि भाषाओं में व्यवहृत होने वाला अरबी या तब्ल या तबल् शब्द ऊपरी सतह पर चौरस तथा समतल वस्तुओं के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, जैसे अरबी भाषा में तब्ल फलों को रखने की उस पाएदार मेज या ट्रे को भी कहते हैं, जिसके मध्य भाग की उपरी सतह बराबर व चौरस होती है। इसीलिए इन भाषाओं में तब्ल या उसके सहयोग से बने अनेक शब्दों में उर्ध्वमुखी, चौरस व समतल होने का भाव सन्निहित रहता है।

फारसी भाषा में तब्ल शब्द के अनेक अर्थों में एक अर्थ संदूकची या पिटारी भी होता है। इसीलिए फारसी भाषा में इत्र बेचने वाले अत्तार के उस संदूकची या डिब्बे को तब्ल ए अत्तार कहा जाता है, जिसका उपरी भाग चमड़े से ढ़का होता है और जो इत्र की शिशीयां रखने के काम आता है। संदूकची या पिटारी का ढ़ाचा अन्दर से खोखला होने के साथ उसके ढक्कन की उपरी सतह प्रायः चौरस होने के कारण की 'तब्ल' शब्द को इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ध्यान पूर्वक विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रायः उर्ध्वमुखी अवनद्ध वाद्यों की संरचना भी स्थूल रूप से एक ऐसी बन्द पिटारी या डिब्बे कि भांति होती है जिसका ढ़ांचा भीतर से खोखला होता है और उपर का ढक्कन एक तने हुए चर्म से चौरस व समतल रूप में मढ़ा रहता

है। संभवतः इसलिए अरब, फारस व तुर्किस्तान इत्यादि देशो में अनेक चर्माच्छादित, समतल व उर्ध्वमुखी अवनद्ध वाद्यों को प्रायः 'तब्ल' या 'तबुल' शब्द से संबोधित किया जाता है, जैसे तब्लजंग, तब्ल तुर्की, तब्ल सामी इत्यादि।

यह विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य हैकि लैटिन में तबुत अरबी के तब्ल और संस्कृत में तल धातु से बने तल शब्दों के मूल में सतह के चौरस अर्थात् समतल होने का भाव सन्नीहित है। 'ताल' शब्द व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के तल धातु से हुई है। इसीलिए ताल शब्द के मूल अर्थ में संगीत को तल अर्थात् उपरी सतह या स्तर पर प्रतिष्ठित करने का भाव है और 'ताल' को संगीता की प्रतिष्ठा का आधार माना गया है। अतएव इस दृष्टि से चौरस, चिकने व समतल अर्थ वाले लैटिन शब्द 'टेबुल' अवनद्ध तालवाद्य के अर्थ वाले अरबी शब्द 'तब्ल' और ताल से संबद्ध संस्कृत शब्द 'तल इन तीनों के मूल अर्थ में अर्थसाम्य हैं इतना ही नहीं बल्कि किसी सीमा तक शब्द संरचना की दृष्टि से चर्मनद्ध तालवाद्य के अर्थ वाले अरबी शब्द तब्ल और ताल के मूल संस्कृत शब्द तब्ल और ताल के मूल संस्कृत शब्द 'तल' दोनो में पहले 'त' और अंत में 'ल वर्ण प्रयोग की अद्भुत समानता दिखाई पड़ती है।

अरबी वर्णमाला का हाए हव्वज' अर्थात छोटी 'हे' अक्षर, अरबी फारसी भाषाओं के अनके शब्दों के अन्त में जुड़कर संस्कृत भाषा के विसर्ग (:) के उच्चारण की तरह अर्घहकार की ध्वनि देता है, जैसे ज्यादह (अधिक), उम्दः= उन्दह् (उत्तम) इत्यादि। इसी तरह तबल' शब्द के अन्त में भी छोटी 'हे' जुड़कर तब्लः= तब्लह शब्द बन जाता है। प्रायः हाए हव्वज' शब्दांत में हाए मुस्तफी अर्थात अनुच्चरित 'हे' के रूप में सुयक्त रहता है, जैसे परवानः= परवानह शब्द में अन्तिम 'ह' का उच्चारण वस्तुतः 'अ' जैसा होकर पूरा शब्द परवानअ उच्चारित होता है। ठीक इसी प्रकार तब्लः= तब्लह् शब्द को भी तब्लअ उच्चारण किया जाता है।

अरबी भाषा के व्याकरण नियमानुसार 'तब्ल' संज्ञा पुल्गि शब्द है और 'तब्ल' उसका स्त्रीलिंग रूप है। प्रकृति में साधारण एक ही प्राणिवर्ग में पुरुष जातीय जीवों का आकार, स्त्रीजातीय जीवों के आकार से बड़ा होता है। इसलिए अनेक भाषाओं में प्रायः बड़े आकार वाली किसी वस्तु के लिए संज्ञा पुल्लिग शब्द और छोटे आकार वाली उसी वस्तु के लिए उस संज्ञा पुल्लिग रूप व्यवहार किया जाता है, जैसे तम्बूरा– पु० (बड़ा तम्बूरा), तम्बूरी स्त्री (छोटा तम्बूरा), कटोरा–पु०, कटोरी स्त्री टोकरा– पु०, टोकरी– स्त्री इत्यादि। इसी प्रकार अरबी मूल के पुल्लिगवाची तब्ल' शब्द का अर्थ बड़े आकार वाला ऊर्ध्वमुखी अवनद्ध वाद्य और स्त्रीलिंगवाची 'तब्ल' शब्द का अर्थ छोटा आकार वाला ऊर्ध्वमुखी अवनद्ध होता है। अतएव अरबी व फारसी भाषाओं में अनवद्ध वाद्यों के लिए इन्ही अर्थों में तब्ल और तब्ला शब्द प्रचलित हैं। उर्दू भाषा में दोनों शब्दों का प्रयोग पुल्लिग के रूप में होता है।

कालांतर में फारसी तब्ल' शब्द का अपभ्रंश 'तबल' के रूप में विकसित होकर प्रचलित हो गया। इसीलिए मुसलमानों के भारत में आगमन के पश्चात् भारतीय भाषाओं के मध्यकालीन साहित्य में तबल शब्द का उल्लेख धीसा, नगाड़ा इत्यादि ऊर्ध्वमुखी अवनद्ध वाद्यों के अर्थ में मिलता है।

फारसी भाषा में हे अक्षर से अन्त होने वाले और विसर्ग की ध्यान देने वाले शब्दों का भारतीय उच्चारण के अनुसार लोक भाषाओं में अपभ्रंश होने पर उन शब्दों के अन्त में हे के स्थान पर दीर्घ आ का उच्चारण किया जाने लगा, जैसे उम्दह की जगह 'उम्दा और ज्यादह की जगह ज्यादा इत्यादि। इसी प्रकार तब्लः = तब्लह) झ 'तब्ला' शब्द बन गया। अतएव 'तब्ल' और 'तब्ल' = तब्लह शब्दों का भारतीय भाषाओं में निम्नलिखित रूप में विकास हुआ–

1) तब्ल झ तबल झ तबल।

2) तब्लः = तब्लह् झ तब्लअ् झ तब्ला झ तबला।

शब्द संरचना की दृष्टि से तब्ल शब्द मूलतः त. व और ल इन तीन वर्णों से मिल कर बना है। अरबी, फारसी व तुर्की भाषाओं की वर्णमाला में ता की अभिव्यक्ति के लिए ते और 'तोय ये दो वर्ण, ब के लिए वे और ल के लिए लाय वर्ण नियत हैं। अतः अरबी व फारसी लिपि में कुछ शब्दों के त को ते और कुछ में तोय' से लिखने की परम्परा है।

निष्कर्ष–

भारत के वाद्यों में आधे से भी अधिक वाद्यों का नामकरण या तो उसकी संरचना तथा उसमें प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर एवं उसके पटाक्षर या बोलों के आधार पर हुआ है। बोलों या पटाक्षरों के आधार पर नामकरण किए हुए कुछ वाद्यों के नाम करटा, वीणा, डमरू, डिमडिमी, नगाड़ा, खंजरी, टुनटुना आदि हैं।

करटा–

संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने इसका उल्लेख किया है। संगीत समयसार संगीत मकरन्द आदि ग्रन्थों में इस वाद्य का उल्लेख मिलता है। इसके पटाक्षर सांरगदेव ने, करट निरिकि तिरिकिरि बताए है। चूंकी इसके बोलया पटाक्षर करट, तिरिक आदि है और इसका नाम भी करता है अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस वाद्य का नामकरण इसके बोल के आधार पर ही हुआ है।

वीणा–

वीणा अत्यन्त प्राचीन तत् वाद्य है और इसका विकसित रूप मोहनावीणा तथा सितार आज भी बजाया जाता है। वीणा बजाते समय ण वर्ण का एहसास स्पष्ट रूप से होता है। अतः इसको भी वाद्य के बोल के आधार पर नामोतरित किया हुआ माना जा सकता है।

डमरू–

डमरू हिन्दू धर्म में शंकर जी का वाद्य माना जाता है इसको बजाने पर डम डम का रौ स्थापित होता है। इसलिए इसका भी नामकरण इसके बोल के आधार पर हुआ है।

नगाड़ा–

उपर्युक्त वाद्यों के समान नगाड़ा का भी नामकरण उसके बोल या पटाक्षर के आधार पर जान पड़ता है क्योंकि नगाड़ा में नड़–नड़ की आवृत्ति बार–बार होती है।

खंजरी–

खंजरी को बजाने पर खन खन की ध्वनि उत्पन्न होती प्रतीत होती है इसके खन खन के आधार पर खंजरी नामावतरित होना उचित जान पड़ता है।

टुनटुना–

उपर्युक्त वाद्यों की तरह टुनटुना भी पटाक्षर के आधार पर नामावतरित हुआ है। क्योंकि इस को बजाने पर दुन–दुन की ध्वनि सुनाई पड़ती है।

उपर्युक्त सभी वाद्यों के नामकरण के बारे में समझने पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि वाद्यों की ध्वनि के आधार पर बहुत से वाद्यों का नामावतरण हुआ है।

इन बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि तबले का नामावतरण उसकी ध्वनि के आधार पर हो सकता है। अगर तबले के बोलों को देखा जाय तो उसमें त अक्षर की अधिकता है तथा एक बार दाएँ तबले पर उगली से प्रहार करने पर त की ध्वनि सुनाई देती है तथा तबले के दोनों भागों (दाया बाँया) के अलग–अलग नामः तबला दाएं तथा रा तथा उग्गा बाये का है। इसलिए दाँए की ध्वनि के आधार पर ही तबला नाम त अक्षर से अवतरित हुआ है। क्योंकि दौए तबले से त घवनि निकलने पर उसे त बोलने वाला बाद्य त् + बोला = तबोला कहने लगे जिसका सुधरा हुआ या विकसित नाम तबला है।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची</u> :–

1. ताल प्रकाश, पृ० 4.
2. तबला, पृ० 237
3. मादनुल मुसीकी, पृ० 242.
4. The History of Musical Instruments, p. 75.
5. तबला पृष्ठ 16 व 17.
6. History of Arabian Music, p-17.
7. The History of Musical Instruments, p-249.
8. The Shorter Oxford English Dictionary, p-2117.
9. Muhit UI Muhit, Vol-II-p- 1367.
10. उर्दू हिन्दी शब्दकोश पृ0 278.
11. Comprehensive Person English Dictionary, p- 809.

महात्मा बुद्ध का धार्मिक चिन्तन और उनका लोकवादी स्वरूप

डा. सियाशरण त्रिपाठी

प्राध्यापक (आधुनिक विषय)
श्री सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय
नगहरिपुर, मुस्तफाबाद जौनपुर

इतिहास देश पर गर्व अनुभव करने का माध्यम होता है, और प्राचीन साहित्य हमारे गौरव के मानदण्ड होते हैं क्योंकि उनसे हमारी नाल जुड़ी हुई है, जिनसे हम संजीवनी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा ही एक साहित्य है–'बौद्ध साहित्य'। भारत मे धर्म शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता रहा है। यह शब्द केवल 'मजहब' या अंग्रेजी के 'रिलीजन' शब्द का समानार्थक नही है। 'मजहब' या 'रिलीजन' साम्प्रदायिक विश्वासों और नियमों तथा उसके संगठनात्मक स्वरुप का ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि 'धर्म' शब्द नैतिकता, कर्तव्य, आध्यात्मिक चेतना और साम्प्रदायिक संगठन सबका समाविष्ट अर्थ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भारत में धर्म का व्यक्तिक और सामूहिक, नैतिक और साम्प्रदायिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों पर व्यापक अधिकार है। यहाँ जीवन का कोई भी क्षेत्र धर्म की परिधि के बाहर नही माना गया है।

धार्मिक चिन्तन

बौद्ध साहित्य का अध्ययन करनें पर भारतीय दृष्टि से धर्म के तीन स्वरुप दिखायी पड़ते हैं।

1. सामान्य धर्म

जिसकी अभिव्यक्ति सदाचार और नैतिकता के रुप में होती है। सामान्य धर्म का स्वरुप किसी एक काल या एक देश की वस्तु नही है वह तो सार्वकालिक और सार्वदेशिक मानव धर्म है। इसको भारत में सनातन धर्म कहा गया है। बौद्ध साहित्य में विभिन्न धर्मो के आदर की बात कही गयी है। सामान्य धर्म प्रत्येक व्यक्ति को शील सम्पन्न बनाता है और विशेष रूप से सामाजिक नियन्त्रण का कार्य करता है। सामान्य धर्म मानव समाज का मेरूदण्ड है। भगवान बुद्ध जो एक क्रान्तिकारी विचारक, नेतृत्वकर्ता एवं समाज सुधारक थे, उन्होंने विशेष रूप से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करनें के लिए सामान्य धर्म पर विशेष बल दिया है और कहा–'' जो विद्या और आचरण से युक्त है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है।[1] मनुष्यों को आत्मद्वीप

(आत्मशरण अथवा स्वावलम्बी) होना चाहिए।[2] बौद्ध साहित्य में सामान्य धर्म का विशद वर्णन किया गया है।

2. साम्प्रदायिक धर्म

जिसका संचालन किसी विशेष धर्म प्रर्वतक या धर्म ग्रन्थ द्वारा निर्दिष्ट नियमों के आधार पर होता है। साम्प्रदायिक धर्मों में ब्रह्मण धर्म, तापस साम्प्रदाय, भक्ति साम्प्रदाय, शैव साम्प्रदाय, वैष्णव साम्प्रदाय, जैन साम्प्रदाय और बौद्ध साम्प्रदाय है। बौद्ध धर्म का उद्‌भव भारत के इतिहास में एक क्रान्तिकारी चरण है। बौद्ध धर्म के उद्‌भव से भारतीय चिन्तनपद्धति को एक नयी दिशा प्राप्त हुइ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बौद्ध धर्म का मुख्य उद्वेश्य रहा। बौद्ध साहित्य के माध्यम से इसके विभिन्न पक्षों को समझा जा सकता हैं। त्रिपिटक तथा अन्य बौद्ध साहित्य भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं उनके द्वारा दिये गये सिद्धान्तों के प्रतिपादन में ही रचा गया। भगवान बुद्ध सभी सुखों को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाना ही हितकर समझा जिसे 'मध्यमा प्रतिपदा' कहते हैं।[3] सभी मार्गों मे अष्टांगिक मार्ग, सत्यों मे चार आर्यसत्य पद श्रेष्ठ हैं।[4] उन्होंने प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम मृगदाव, सारनाथ में दी जिसे 'धर्मचक्रप्रर्वतन' कहते हैं।

चार आर्यसत्य **1.** दुःख, **2.**दुःख समुदय, **3.** दुःख निरोध, **4.** दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा।[5]

अष्टांगिक मार्ग

1. सम्यक् दृष्टि **2.** सम्यक् संकल्प **3.** सम्यक् वचन **4.** सम्यक् कर्मान्त **5.** सम्यक् आजीव **6.** सम्यक् व्यायाम **7.** सम्यक् स्मृति **8.** सम्यक् समाधि।[6]

चार आर्य सत्यों को जानने वाला तथा अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करनें वाला व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध नें सभी मार्गों में अष्टांगिक मार्ग को श्रेष्ठ बताया है। चार आर्यसत्य पद श्रेष्ठ हैं यही मार्ग विशुद्धि का मार्ग है, इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नही है।[7] प्रज्ञा, शील, समाधि का बौद्ध साहित्य में विशेष उल्लेख हुआ है। निर्वाण की प्राप्ति इन्ही तीनों से सम्भव है तथा जगत के कष्टों का निवारण हो सकता है। मनुष्य अपनें जीवन के अंतिम उद्वेश्य प्राप्त कर सकता है।[8]

पंचशील

1. जीव हिंसा से विरत रहना, **2.**चोरी से विरत रहना, **3.** व्यभिचार से विरत रहना, **4.** असत्य भाषण से दूर रहना, **5.** मद्यपान से दूर रहना। यह पाँचो आचरण पंचशील नाम से जाने जाते हैं।[9]

त्रिरत्न

बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को रत्न माना गया है। इसे त्रिरत्न भी कहा जाता है।[10]

1. बुद्धं शरणं गच्छामि,
2. धम्मं शरणं गच्छामि,
3. संघं शरणं गच्छामि।

3. लोक धर्म

लोक धर्म के अर्न्तगत सामाजिक जीवन तथा घरेलु व्रत, उत्सव और लोक विश्वासो पर आधारित रीति–रिवाज एवं पूजा–पाठ तथा अन्धविश्वास आदि आते हैं, जिनका किसी धर्म ग्रन्थों से सीधा सम्बन्ध नही होता फिर भी वे लोक जीवन में साम्प्रदायिक धर्म के सामान्य साँचे के भीतर ही परिगणित होते हैं। भगवान बुद्ध नें समाज मे फैली अन्धविश्वास व रूढ़ियों का विरोध व खण्डन किया, फिर भी वे समाज में विद्यमान रही। बौद्ध साहित्य में वर्णित लोक धर्म का जो स्वरूप प्रचलित था वह वैदिक समाज के लोक धर्म का ही विकसित रूप था। लोक धर्म का अन्धविश्वास एवं रूढ़ियाँ समाज में अपने मूल रूप में सदैव विद्यमान रही है।

बुद्ध व्यक्ति से समाज को उपर मानते थे और जहां व्यक्ति और समाज में से एक को चुनना हो वहां समाज को प्रधानता देते थे। यही कारण था कि लोक का प्रत्येक वर्ग चाहे राजा हो या रंक बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात कर बौद्ध धर्म राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिकूल परिस्थितियों की बाधाओं को पार कर बिना किसी भय के, बिना किसी के लालच के, बिना किसी बल प्रयोग के 'बुद्धं शरणं गच्छामि', 'धम्म शरणं गच्छामि', 'संघ शरणं गच्छामि' का उद्घोष करते हुए सम्पूर्ण विश्व का लोक धर्म बना।

लोकवादी स्वरूप

महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विषेशता उनका लोकवादी स्वरूप है। महात्मा बुद्ध ने बहुजन के हित और बहुजन के सुख के लिए धम्म की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध ने कालाम–सुत्त मे कहा, तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि वह बात परम्परागत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्मग्रन्थ के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि वह तर्क सम्मत है, न्याय सम्मत है, हमारे मत के अनुकूल है, कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है कहने वाला श्रमण, ब्राम्हण हमारा पूज्य है। किसी बात को विवेक की कसौटी पर कसकर देखो और यदि वह आपकी अनुभूति पर खरी उतरती है, वह तर्क संगत, बुद्धिसंगत, विज्ञानसंगत, न्यायसंगत और बहुजन के हित एवं सुख के लिए उपयोगी हो तभी मानो अन्यथा अस्वीकार कर दो। मैक्समूलर के अनुसार इतनी भय रहीत उत्तम कसौटी बौद्ध धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म में नहीं है।[11]

बुद्ध ने अपने संघ में आर्थिक समानता और जनतांत्रिक विधान को सर्वमान्य माना था। संघ में बुद्ध आर्थिक साम्यवाद चाहते थे और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए वैसे ही नियम बनाये जिसके अनुसार शरीर पर कपड़े अस्तुरा, सुई, तलपात्र, जैसी तीन चार चीजें ही पुद्गलिक

(वैयक्तिक) हो सकती है शेष सम्मपत्ति संघ की मानी जाती थी।[12] बुद्ध ने संघ में पूर्ण साम्यवाद स्थापित करने का प्रयत्न किया और यह साम्यवाद उत्पादन में नहीं उपभोग में संघ को बुद्ध व्यक्ति से बड़ा मानते थे। महाप्रजापति गौतमी ने अपने हाथ से कात बुनकर बुद्ध के लिए कपड़ा तैयार किया, इसे मै बुद्ध को चीवर के लिए दूंगी। भेंट के लिए ले जाने पर बुद्ध ने प्रजापति से कहा–अच्छा है तुम इसे संघ को दे दो बुद्ध होने पर भी मैं व्यक्ति (पुद्गल) हूं व्यक्ति के लिए दान की अपेक्षा संघ के लिए दिए दान का अधिक पुण्य होता है प्रजापति गौतमी से बुद्ध ने संघ के लिए दान दिलवाया।[13] महात्मा बुद्ध का संघ वस्तुतः एक धार्मिक गणतंत्र था। समस्त सदस्यों के अधिकार समान थे। संघ में न कोई छोटा था और न बड़ा और महात्मा बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी भी नियुक्त नहीं किया था।[14] संघीय कार्यों में प्रत्येक भिक्षु के अधिकार समान थे। संघ में फैसला बहुमत के आधार पर होता था जिसे यद्भूयसिक कहते थे।[15] प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रतापूर्वक अपना मत (छन्द) देता था। निर्णय बहुमत से होता था। प्रत्येक प्रस्ताव तीन बार प्रस्तुत और स्वीकृत किया जाता था तभी वह अधिनियम बनता था। संघ के अधिवेशन के लिए कम से कम 20 भिक्षु सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी।[16] इसे बिना प्रत्येक अधिवेशन और अधिनियम अवैध समझा जाता था।

बुद्ध व्यक्ति से समाज को उपर मानते थे और जहां व्यक्ति और समाज में से एक को चुनना हो वहां समाज को प्रधानता देते थे। जब किसी भिक्षु को कर्तव्य की अवहेलना करते देखते तो वह कहते 'मोधं स रट्ठपिण्डं भुजति' अर्थात् वह व्यर्थ ही राष्ट के पिण्ड को खाता है।[17] बुद्ध किसी भी व्यवहार को वर्तमान और भविष्य की जनता में हितोहित की दृष्टि से देखते थे। यही कारण था कि लोक का प्रत्येक वर्ग चाहे राजा हो या रंक बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने लगा। बुद्ध ने अपना उपदेश भी लोक भाषा पालि में दिया। महात्मा बुद्ध ने दुःख से जलते हूए लोक की सुरक्षा का उपयुक्त उपाय खोजने के लिए गृहत्याग किया था और लोक को दुःख से निवृत्त का मार्ग बाताया। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे बहुजनहितार्थ, बहुजनसुखार्थ, लोक की अनुकम्पा के लिए, हित के लिए सुख के लिए विचरण करो।[18]

तथागत का धर्म लोकवादी था यह किसी वर्ग विशेष की सम्पत्ति नहीं था। यह एहिपरिन्सको[19] अर्थात् सबसे महता है 'आओ और देखो' यही धर्म का प्रत्यक्षवाद है। बुद्ध समता के प्रचारक थे और आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व इन्होंने अपनी आवाज जातपात के विरूद्ध उठायी। भगवान बुद्ध से पूर्व भी कुछ ऋषियों ने साधारण जन को ज्ञान की कल्याणकारी वाणी सुनाने की बात कही थी अर्थात् इयां वायं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः किन्तु वैदिक परम्परा मे शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं प्राप्त था[20] शुद्र न संस्कार योग्य माना जाता था[21] और न ही यज्ञ का अधिकार होता था।[22] इसलिए हम कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में लोक जीवन का विकास वैदिक युग में नहीं क्योंकि लोक जीवन में शूद्र का भी जीवन सम्मिलित है। इसलिए

महात्मा बुद्ध ने कर्म को ही मनुष्य के मुल्यांकन का वास्तविक मापदण्ड माना था। महात्मा बुद्ध ने कहा—'जिस प्रकार आग जलाने के लिए लकड़ी का भेद नहीं देखा जाता उसी प्रकार निर्वाण के लिए मनुष्य में जात—पात और उंच—नीच का भेदभाव नहीं हो सकता।[23] उन्होंने शूद्र को लक्ष्य करके ही 'बहुजनहित' शब्द का प्रयोग किया था। यही कारण है कि मातंग, उपालि और सुनिति आदि शुद्रों ने बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठा पायी थी। आम्बपालि वैशालि की गणिका थी और इसे समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। गणिका को उचित स्थान देने वाले भी महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने लोक मे चारिका करते हुए उद्घोष किया कि जाति मत पूछो, कर्म पूछो जिससे चारों वर्णों का सहयोग धर्म को मिले। बुद्ध ने कहा जो जातिवाद मे फंसे हैं, गोत्र में फंसे हैं, एवं आहार विहार में फंसे हैं वह अनुपम विद्याचरण से दूर हैं।[24] बुद्ध वर्णव्यवस्था और यज्ञवलि के विरोधि थे, फिर भी कूटदन्त और सामदण्ड जैसे महाविद्वान ब्राम्हण भी बुद्ध के चरणों में झुके।

महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी ने कहा बुद्ध शान्ति के दूत और प्रेम के प्रचारक हैं। बौद्ध धर्म एक जीवन पद्धति और आचरण संहिता है। बुद्ध ने वर्णव्यवस्था, जातिवाद के सुदृढ़ किले को धराशायी करके लोक को समानता, एकता, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, करूणा, मैत्री, न्याय और विश्वबन्धुता का मार्ग प्रशस्त किया। लोक को मानवता का पाठ पढ़ाया। बौद्ध धर्म में राष्ट्रीय तथा अन्तराष्टीय प्रतिकूल परिस्थितियों की बाधाओं को पार कर बिना किसी भय के, बिना किसी के लालच के, बिना किसी बल प्रयोग के 'बुद्धं शरणं गच्छामि', 'धम्म शरणं गच्छामि', 'संघ शरणं गच्छामि' का उद्घोष करते हुए सम्पूर्ण विश्व का लोक धर्म बना।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची :—</u>

1. दीघनिकाय, अम्बट्ठसुत्त, पृष्ठ 39—40।
2. दीघनिकाय, चक्कावत्ति सीहनादसुत्त, पुष्ठ 233।
3. बुद्धचरित 15/34, ललितविस्तर, 416/19।
4. धम्मपद नवसंहिता, विनोबा भावे, पृष्ठ 109।
5. संयुत्तनिकाय, दुक्ख सुत्त, पृष्ठ 389।
6. दीघनिकाय, महासतिपट्ठानसुत्त, पृष्ठ 117।
7. धम्मपद नवसंहिता, विनोबा भावे, पृष्ठ 109।
8. विशुद्धिमार्ग, निदानकथा, पृष्ठ 1।
9. महावस्तु भाग—3, 368/11—13।
10. ललितविस्तर, 217/18।
11. अंगत्तरनिकाय, 3.6.5।
12. घनिकाय, 2.3।

13. मज्झिमनिकाय, 3.4.12।
14. महापरिनिब्बाणसुत्त (दिघ0 2.3)
15. विनयपिटक, चुल्लवग्ग, 4 शमथ स्कन्ध।
16. महावग्ग, 9.4.1।
17. महामानव बुद्ध, राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ–41।
18. संयुत्तनिकाय, 4.1.4 विनयपिटक, महावग्ग।
19. वत्थूपमसुत्त (मज्झिमनिकाय) 1.1.6।
20. न चे शूद्रस्थ वेदाध्ययनमस्ति, उपनयन पूर्व त्वाद्वेदाध्ययनस्य उपनयनस्य च वर्णत्रयविषयत्वात् ब्रम्हसूत्रशंकरभाष्य 1/3/34, 1/3/38।
21. न च संस्कार मर्हति। मनुस्मृति–10/6।
22. तस्मात् शूद्रो यज्ञेअनवक्लप्तः। तैत्तिरीय संहिता 7/1/1/6।
23. प्रा0 भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, विमल चन्द्र पान्डेय, पृष्ठ–246।
24. दीघनिकाय 1.3।

महाभारत कालीन कृषि एवं पशु–पालन उद्योग

डॉ0 अनिल कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर (प्राचीन इतिहास)
गोपाल जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रेवती, बलिया

महाभारत काल से बहुत पहले ही वैदिक युग के भ्रमणशील आर्य, एक नियमित समाज व्यवस्था के अन्तर्गत संगठित होकर अपनी जीवनचर्या को स्थायी रूप दे चुके थे। उनकी यह स्थिति उनके आर्थिक जीवन को अत्यधिक उन्नत एवं व्यापक बनाती थी। महाभारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुधन तथा पशुपालन बताया गया हैं। महाभारत में कहा गया है कि संसार में समृद्धि लाभ के जो भी साधन है कृषि व्यवस्था उनमें सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं लक्ष्मी कहती है, ''कृषि निरत वैश्य के शरीर में मैं स्वयंम् वास करती हूँ।''[1] महाभारत के भीष्म पर्व में पशुपालन, कृषि और वाणिज्य के लिए वैश्यों का स्वाभाविक कर्म बताया गया है।[2] भीष्म पर्व में पशुपालन, कृषि और वाणिज्य के लिए वैश्यों का स्वाभाविक कर्म बताया गया है।[3] भीष्म के अनुसार ब्रह्मा ने पशुओं की रचना करने के बाद उनकी देख–रेख का भार वैश्यों के ऊपर छोड़ दिया था। अतः वैश्यों को कृषि के साथ–साथ पशुपालन से विमुख नहीं होना चाहिए।[4] कृषि के लिए उपयुक्त महीनों का उल्लेख मिलता है।[5] कृषि की एकतरफ प्रशंसा की गयी है, तो दूसरी तरफ शांति पर्व में एक स्थानपर तुलाधार के माध्यम से होने वाली खेतों से भूमिगत जीवों की हत्या, हल जोतने वाले बैलों की दुर्दशा के कारण कृषि की निंदा भी की गयी है।

इस काल में बैलों के माध्यम से खेती का उल्लेख मिलता है।[6] बैलों की सहायता से अन्न का मर्दन भी किया जाता था और भूसा को अलग करने के लिए साफ करने के लिए 'शूर्प' का भी उल्लेख मिलता है।[7] सेवकों से भी कृषि कार्य में सहायता लिया जाता था। उद्योग पर्व के 33वें अध्याय में कहा गया है कि नौकर खेती की देखभाल भली–भाँति से नहीं करते, इसलिए खेती की देखभाल वैश्यों को स्वयं अपने से करना चाहिए।[8] एकमात्र छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए गृहस्थ को स्वयं खेती की देखभाल करनी चाहिए और दूसरे के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए।[9] भूमि को जोतने व बुवाई करने का उल्लेख मिलता है। जो भूमि कृषि योग्य होती थी या जोतने योग्य होती थी, उस भूमि को 'क्षेत्र' कहा जाता था।[10] स्वयं राजा कुरू ने 'क्षेत्र' में हल चलाने का कार्य किया था। कृषि अधिकतर प्रकृति पर निर्भर थी। शांति पर्व से ज्ञात होता है कि वर्षा काल के समय में लोग मेघ की ओर

ध्यान लगाये देखते थे और जल की प्रतीक्षा करते थे।[11] यक्ष के प्रश्नोत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि पृथ्वी अन्न है और आकाश जल है।[12]

कृषि उद्योग को राज्य का संरक्षण

महाभारत के सभा पर्व से पता चलता है कि आवश्यकता पड़ने पर कृषकों को राज्य की ओर से पूरा सहयोग मिलता था। जो कृषक दरिद्र होते थे, राजा के द्वारा उनके जीविका के लिए तथा कृषि के लिए बीज आदि की व्यवस्था किया जाता था।[13] आवश्यकता पड़ने पर राजा के द्वारा राजकोष से कृषक को उचित ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था थी। महाभारत में कृषि के उद्योग को राज्य की तरफ से पूरा संरक्षण प्राप्त था। कई जगह यह उल्लेख है कि राजा को उनकी आय के हिसाब से अधिक कर नहीं लेना चाहिए। राज्य की ओर से कृषि की उन्नति के लिए बहुत ध्यान रखा जाता था तथा कृषकों को भी अनेक सुविधाएँ प्रदान कर उनके उत्साह को बढ़ाता था।

फसल, वृक्ष और औषधियाँ

महाभारत में चैत्र तथा अश्विन की फसलों का उल्लेख मिलता है। जौ[14] और धान की भूसी का वर्णन मिलता है। तिल की खली, चावल कनी अगहनी चावल का भी उल्लेख मिलता है।[15] उड़द, तिल, जौ का सत्तु, सूर्यपर्णी (जंगली उड़द जौ दाल बनाने के काम में आता था), सांवा आदि का भी वर्णन मिलता है।[16] भीष्म पर्व में गेहूँ, जौ, चना, मूंग और चावल सात्विक आहार बताये गये है। लाल मिर्च, राई, लहसुन, प्याज, आदि का भी उल्लेख मिलता है।[17] गेहूँ, जौ, चना, मूंग, धान, मक्का, उड़द, हल्दी, धनिया आदि की खेती बीज बोकर की जाती थी।[18] द्रोण पर्व में मुनक्का, दाल, धान, जौ,[19] आदि की खेती करने का उल्लेख प्राप्त होता है।[20] जौ, गेहूँ, तिल, ब्रीही, उड़द आदि की खेती होती थी। यव (धान्य), उड़द (भाषण), कुथली (कुलत्थ) आदि पौधों का उल्लेख प्राप्त होता है।[21] फलदार वृक्षों के बारे में कहा गया है कि कंद–मूल, फल का आहार करो। आय (आम), आमड़ा (अभ्रांत), कदम्ब, आवला, जामुन, करवीर आदि का वर्णन मिलता है। आमला, कदम्ब, बैर, बेल, खजूर, हर्रें, बहेड़े की खेती की जाती थी।[22] वन पर्व में एक स्थान पर मिलता है कि कैलाश पर्वत पर परम सुन्दर केले का बगीचा था जो कई योजन दूर तक फैला था। केले के वृक्ष बहुत मोटे थे।[23] कैलाश पर्वत पर ऋतुओं के फलों से सुशोभित एवं उनके झुके वृक्षों का वर्णन मिलता है।[24] महाभारत में साग–सब्जियो, फलों के साथ–साथ फूलों के भी वर्णन प्राप्त होते है जो उद्यान की शोभा बढ़ाते है। सभा पर्व में अशोक, चम्पा, नागपुष्पा, पुन्नाग, केवड़ा आदि मनोहर वृक्षों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त किकिड़ी, मुनीपुष्प, धुर्धर, पाटल, अतिमुलक, नलमालिक, योधिक, क्षीरिका पुष्प, निगुन्डी, लांगली, जया कर्णिकार, अशोक इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है।[25] महाभारत में कुमुद, पुकउरीक, लोकनंद, उत्पल, कलदार और कमल का उल्लेख है।[26] बहुत से रेशेदार पौधों का भी उदाहरण प्राप्त

होता है जैसे सेमल[34] एवं नरकूल।[27] अनुशासन पर्व में सन की भी खेती का वर्णन मिलता है।[28] इन सभी पौधों के अतिरिक्त वनस्पतियों एवं लताओं का भी उल्लेख मिलता है। गुल्म (कुश) लता (वृक्ष पर फैलने वाली) और तृण (घास) आदि।[29] अश्वनी कुमार अनेक रंग की वस्तुओं का सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियाँ तैयार करते थे।[30] शांति पर्व में लता, बेलों, वृक्षों और औषधियों की चर्चा की गई है।[31] खस नामक तिनकों का भी वर्णन मिलता है। अनुशासन पर्व में भी लता एवं औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है।[32]

दुर्भिक्ष एवं सिंचाई व्यवस्था

महाभारत में सिंचाई कार्य प्रकृति के अतिरिक्त झील, झरनों, तालाबों, कुल्पाओं आदि से किया जाता था। जहाँ स्वाभाविक जल वर्षा नहीं होती थी वहाँ आवश्यकता पड़ने पर तालाब खुदवाना राजा का कर्त्तव्य माना जाता था।[33] हिमालय से निकलने वाली सरयू नदी बारहों महीने जल प्रवाह किया करती थी, कोशल राज्य सरयू के तटवर्ती होने के कारण सिंचाई एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धि रहती होगी और वहाँ के किसान एकमात्र वर्षा के जल पर ही निर्भर नहीं रहते रहे होंगे। महाभारत काल में सिंचाई के सम्बंध में अनेक पर्याप्त उल्लेख मिलता है। उग्रश्रवा जी कहते हैं कि जल ही देवता है, तथा जल ही पितृगण है।[34] महाभारत कालीन कृषि अधिकांश प्रकृति पर निर्भर थी।[35] वर्षा के लिए देवता से प्रार्थना का भी उल्लेख मिलता है।[36] स्थान–स्थान पर बड़े–बड़े जलाशय भी सिंचाई के लिए जल से भरे थे।[37] बड़े तालाबों में वर्षों तक पानी भरा रहता था तथा कुछ तालाबों में केवल वर्षा के समय से ही जल रहता था। इससे यह पता चलता है कि सिंचाई के लिए जलाशयों का अत्यधिक प्रयोग होता था। जो लोग नदियों के किनारे बसे थे उन लोगों को नहरों से जल प्राप्त होता रहा होगा क्योंकि सिंचाई के लिए छोटी–छोटी नालियों का उल्लेख भी जगह–जगह मिलता है।[38] उद्योग पर्व में सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग करने का उल्लेख भी मिलता है।[39] पर्वतों पर वर्षा का एकत्र जल भी सिंचाई के लिए पर्याप्त होता था।[40] वन पर्व से पता चलता है कि सिंचाई के लिए विभिन्न रूपों का उदाहरण मिलता है।[41] बिन्दुसार नामक एक विशाल तालाब का उल्लेख कैलाश पर्वत पर मिलता है।[42] कहा गया है कि सौभाग्यशाली

महाभारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुधन तथा पशुपालन बताया गया हैं। महाभारत में कहा गया है कि संसार में समृद्धि लाभ के जो भी साधन है कृषि व्यवस्था उनमें सर्वश्रेष्ठ है। महाभारत के समय कृषि का विकास हो चुका था। कृषि कार्य हल तथा बैलों के माध्यम से किया जाता था। महाभारत में पशु–पालन के सम्बंध में कहा गया है कि पशु–पालन की पूरी जिम्मेदारी वैश्यों पर निर्भर थी। रामायण की तरह महाभारत में भी गाय को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस काल में समाज में गोपालन को अत्यधिक आवश्यक माना जाता था। वैसे महाभारत में दूसरे पशु जैसे–हाथी, घोड़ा, बैल, गधा आदि का भी उल्लेख

राजा के राज्यकाल में समय के अनुसार वर्षा होती है, कृषकों को बीज व कर्ज प्राप्त होते हैं, राजा के माध्यम से सच्चे अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता था। इन्हीं समस्त कार्यों से राष्ट्र समृद्धि और विकास करता है।

महाभारत के समय कृषि का विकास हो चुका था। कृषि कार्य हल तथा बैलों के माध्यम से किया जाता था। हल काष्ट का होता था उसमें फाल तथा लोहे का वह भाग लगा होता था जो खेत जोतते समय भूमि के अंदर रहता था। वैष्णव यज्ञ में सोने के हल से भूमि जोतने का वर्णन प्राप्त होता है। एक स्थान पर लोहे के मुख वाले काष्ट की बात कही गयी है। हल और जुए के संलग्न लकड़ी के भाग को 'हर्षा' कहते थे। कृषि के उपकरणों में फरसे का भी उल्लेख महाभारत में मिलता है। कुदाल, कुठार, ढात्र आदि उपकरणों का संग्रह शिविर भी किया जाता था।

कृषि सम्बंधी श्रमिक

महाभारत में श्रमिकों का नामोल्लेख तो नहीं मिलता है परन्तु कृषि और उद्योग–धंधों के जो विस्तृत वर्णन मिलते हैं उन सबसे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि शिल्प व कृषि कार्य में दक्ष अनेक श्रमजीवी वर्ग उस समय विकसित हो चुके रहे होंगे। महाभारत से प्रतीत होता है कि राज्य में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राजा जागरूक रहता था। महाभारत में एक स्थान पर नारद ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या आप अपने राज्य में श्रमिकों की तरफ ध्यान देते हैं? राज्य की समृद्धि श्रमिकों के सहयोग पर ही अवलम्बित है।

पशु–पालन उद्योग व चिकित्सा

महाभारत में पशु–पालन के सम्बंध में कहा गया है कि पशु–पालन की पूरी जिम्मेदारी वैश्यों पर निर्भर थी। रामायण की तरह महाभारत में भी गाय को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस काल में समाज में गोपालन को अत्यधिक आवश्यक माना जाता था। वैसे महाभारत में दूसरे पशु जैसे–हाथी, घोड़ा, बैल, गधा आदि का भी उल्लेख जगह–जगह मिलता है। गायों की देख–रेख करने के लिए गृहस्थ को उपदेश दिया गया है। यह कहा गया है कि केवल नौकरी व घरवालों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इससे गो–पालन अच्छी तरह से नहीं हो पाता।

पशु चिकित्सा

महाभारत काल में पालतू पशुओं के बीमार पड़ने पर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी थी। हस्तिसूत्र, अश्वसूत्र आदि की चिकित्सा का ज्ञान राजाओं के लिए आवश्यक था। इससे प्रतीत होता है कि उस काल के समाज में काफी लोगों को पशुपालन के बारे में विशेस ज्ञान था। ऐसा देखा जाता है कि उन दिनों पशुओं की देख–रेख के लिए बड़े–बड़े राजा पशु विशेषज्ञों को रखते थे।

अश्व का ज्ञान

राजा नल अश्व ज्ञान के विशारद थे। घोड़े की पहचान व उसे चलाने में वे असमान्य रुप से पटु थे। अश्वज्ञान के बदले उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से पासा फेकना सीखा था। नकुल भी अश्व ज्ञान के पंडित थे। अज्ञातवास के समय विराट नगर में अपना परिचय देते हुए पाण्डवों ने कहा था, 'मैं राजा युधिष्ठिर के अश्वों की देखभाल करता हूँ। घोड़े के स्वभाव, उसकी चिकित्सा, निराकरण, अड़ियल घोड़े को सीधे रास्ते पर लाना एवं उनकी चिकित्सा के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ।

गो—विद्या

सहदेव गो—विषय में पण्डित थे। विराटपुरी में उन्होंने भी अपना परिचय गो—विद्या के ज्ञाता के रूप में दिया था। शांति पर्व के कुछ पालतू व अन्य पशुओं के रोगों की चर्चा मिलती है। अच्छे नस्ल के घोड़ों के लक्षण का उल्लेख वन पर्व में बाहुक के संवाद के माध्यम से हुआ है। पालतू पशुओं के चारे के लिए भूसा, घास आदि की व्यवस्था की जाती थी। पशुओं के स्थान की व्यवस्था की जाती थी। पशुओं के स्थान को गोष्ठ और घोषोड अर्थात् गोशाला कहते थे। साड़ों का प्रयोग गर्भाधान के लिए किया जाता था।[56] एक स्थल पर कौरवों द्वारा विराट के गोष्ठों में भगदड़ मचाने और गौओं को अपहृत करने का उल्लेख है। यह उल्लेख प्रारम्भिक जनों के सघर्ष की छवि प्रस्तुत करता है।

<u>**सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची**</u> :—

1. महाभारत, अनुशासन पर्व, अनु0 पं0 रामनारायण शास्त्री, गीता प्रेस, गोरखपुर, अध्याय 11, श्लोक 19, पृ0 5461।
2. कृषि गौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्य कर्मः स्वभावजम्।महाभारत, भीष्म पर्व, अध्याय 42, श्लोक संख्या 44, पृ0 2799।
3. वैश्यस्यापि हि यो धर्मस्तंते वक्ष्यामि शाश्रवतम्। वही, शांति पर्व, अध्याय 60, श्लोक संख्या 21—23, पृ0 4580।
4. वही, आदि पर्व, अध्याय 25, श्लोक संख्या, 12—14, पृ0 95।
5. कृषि गौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्य कर्मः स्वभावजम्।महाभारत, भीष्म पर्व, अध्याय 42, श्लोक संख्या 44, पृ0 2799।
6. वही, अनुशासन पर्व, अध्याय 83, श्लोक संख्या 18, पृ0 5721।
7. वही, शांति पर्व, अध्याय 165, श्लोक संख्या 12, पृ0 4841।
8. वही, उद्योग पर्व, अध्याय 33, श्लोक संख्या 86, पृ0 2132।
9. वही, उद्योग पर्व, अध्याय 33, श्लोक संख्या 86, पृ0 2132।
10. वही, शल्य पर्व, अध्याय 52, श्लोक संख्या 4, पृ0 4281।
11. वही, शांति पर्व, अध्याय 37, श्लोक संख्या 22, पृ0 4517।

12. वही, अरण्य पर्व, अध्याय 313, श्लोक संख्या 86, पृ0 1831।
13. वही, विराट पर्व, अध्याय 1, श्लोक संख्या 12–13, पृ0 1842।
14. वही, सभा पर्व, अध्याय 5, श्लोक संख्या 79, पृ0 681।
15. वही, शांति पर्व, अध्याय 179, श्लोक संख्या 21, पृ0 4882।
16. वही, शांति पर्व, अध्याय 280, श्लोक संख्या 15–16, पृ0 5147।
17. वही, भीष्म पर्व, अध्याय 41, पृ0 2778।
18. वही, भीष्म पर्व, अध्याय 41, श्लोक संख्या 13, पृ0 2778।
19. वही, द्रोण पर्व, अध्याय 63, श्लोक संख्या 9, पृ0 3263।
20. वही, द्रोण पर्व, अध्याय 63, श्लोक संख्या 15, पृ0 3263।
21. वही, अनुशासन पर्व, अध्याय 88, श्लोक संख्या 3, पृ0 5744; वही, अनुशासन पर्व, अध्याय 111, श्लोक संख्या 71–72, पृ0 5846।
22. महाभारत, वन पर्व, अध्याय 24, श्लोक संख्या 16–17, पृ0 1014; वही, वन पर्व, अध्याय 64, श्लोक संख्या 3–5, पृ0 1120।
23. वही, वन पर्व, अध्याय 146, श्लोक संख्या 58, पृ0 1356।
24. वही, वन पर्व, अध्याय 158, श्लोक संख्या 42–51, पृ0 1388–1389।
25. वही, अश्वमेघिक पर्व, पृ0 6342 (श्रीमन भगवान उवाच)।
26. वही, वन पर्व, अध्याय 158, श्लोक संख्या 52–57, पृ0 1389।
27. वही, अश्वमेघिक पर्व, अध्याय श्रीमन् भगवान उवाच, पृ0 6341।
28. वही, भीष्म पर्व, अध्याय 63, श्लोक संख्या 13, पृ0 2898।
29. वही, अनुशासन पर्व, अध्याय 23, श्लोक संख्या 40, पृ0 5553।
30. महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय 58, श्लोक संख्या 23, पृ0 5655।
31. वही, आदि पर्व, अध्याय 3, श्लोक संख्या 65, पृ0 52।
32. वही, शांति पर्व, अध्याय 49, श्लोक संख्या 21।
33. वही, अनुशासन पर्व, अध्याय 98, श्लोक संख्या 16, पृ0 5789।
34. वही, द्रोण पर्व, अध्याय 69, पृ0 3272।
35. वही, आदि पर्व, अध्याय 7, श्लोक संख्या 8, पृ0 67
36. महाभारत, आदि पर्व, अध्याय 24, श्लोक संख्या 10–13, पृ0 94।
37. वही, आदि पर्व, अध्याय 25, श्लोक संख्या 1.2.5–8, पृ0 95।
38. वही, सभा पर्व, अध्याय 5, श्लोक संख्या 8, पृ0 675।
39. वही, आदि पर्व, अध्याय 7, श्लोक संख्या 8, पृ0 67।
40. वही, उद्योग पर्व, श्लोक संख्या 5।
41. वही, शांति पर्व, अध्याय 120, श्लोक संख्या 8, पृ0 4728।
42. वही, वन पर्व, अध्याय 16, श्लोक संख्या 2, पृ0 994।

स्त्री शिक्षा पर रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

असिस्टेन्ट प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय),
प्रयागराज

मानव सभ्यता के उद्विकास से लेकर आधुनिक, वैश्विक युग तक भारतीय समाज में नारी की स्थिति समय काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रही है। एक प्रकार से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से देखा जाये तो इस उतार–चढ़ाव वाले परिवर्तनशील इतिहास में महिलाओं ने कुछ कालों में विशेष एवं अहम् भूमिका निभायी है, तथा साथ ही ऐसे युग भी थे जिनमें महिलाओं को विभिन्न कुरीतियों की मार सहनी पड़ी है एवं विभिन्न प्रकार की यातनाएँ झेलनी पड़ी है और इन सबका कारण हमारी सामाजिक संरचना में ही छिपा हुआ है अर्थात् महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति एवं भूमिका बहुत कुछ समाज की संरचना एवं आकार ही निर्धारित करते है, इसीलिये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात किया जाये तो प्रतीत होता है कि विभिन्न कालों में महिलाओं की भूमिका एवं स्थिति परिवर्तनशील रही है।

भारतीय समाज में नारी की स्थिति बड़ी उतार–चढा़व वाली रही है और किसी भी समाज में जब स्त्री की स्थिति एवं सम्मान की बात की जाती है तो कुछ पहलुओं पर विचार एवं विश्लेषण करना आवश्यक सा प्रतीत होता है जैसे– उक्त समाज में स्त्री शिक्षा का क्या स्तर है? महिलाओं की परिवार एवं निर्णय प्रक्रिया में क्या भागीदारी है? सम्पत्ति विषयक अधिकार, स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकार' आदि।

इस काल में स्त्रियों को धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ स्थान प्राप्त था। विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं थे यदि कन्या चाहे तो आजीवन कुमारी रह सकती थी, ज्ञानार्जन में जीवन व्यतीत करने वाली कुमारिकाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। इस काल में नारियों द्वारा समस्त अधिकारों का पर्णूतया उपभोग किया जाता था। स्त्री के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न नहीं होता था, स्त्री को अर्द्धांगिनी की संज्ञा दी गयी थी। पति–पत्नी के सम्बन्ध समता एवं माधुर्य भाव से होते थे किन्तु फिर भी पितृ प्रधान समाज हाने से पत्नी पर पति की प्रभुता मानी जाती थी। ए0एस0 अल्टेकर के अनुसार, ''तद्युगीन समाज में पत्नी की पति के प्रति आधीनता आदर भाव से पूरित थी इस अधीनत्व के बावजूद पत्नियाँ तद्युगीन गृहों

का आभूषण मानी जाती थी।'' इस काल में पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का पर्णूतया अभाव था। यदि कोई स्त्री विधवा होती थी तो उसे पुर्नविवाह एवं नियोग प्रथा से पुत्र उत्पन्न करने की छूट थी इसलिये विधवाएँ भी समाज पर भार नहीं थी। अतः कहा जा सकता है कि इस युग में स्त्रियों सम्बन्धी रुढ़ियों का जन्म नहीं हुआ था। इस काल में यदि कन्या विवाह नहीं करती थी तो पिता की सम्पत्ति में से कन्या को उत्तराधिकार दिया जाता था परन्तु वैदिक काल में सामान्यतया कन्या की गणना उत्तराधिकारियों में नहीं की जाती थी, केवल वही कन्या जिसका भाई नहीं होता था, पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी मानी जाती थी। उपर्युक्त सम्पत्ति विषयक अधिकार परिस्थितिनुसार सीमित रूप में प्राप्त तो थे परन्तु साधारणतया जन साधारण में यही धारणा थी कि पुत्री को पिता की सम्पत्ति में कोई भाग नहीं मिलना चाहिये। एक प्रकार से इस काल में विवाह के समय पिता द्वारा कुछ धन पुत्री को उपहार स्वरूप दिया जाता था जिसे 'स्त्री धन' कहा जाता था, बस स्त्री उसी 'स्त्रीधन' की स्वामिनी हाती थी।

समाज के अस्तित्व एवं विकास में स्त्री और पुरुष दोनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है किन्तु जैसे–जैसे समय गुजरता गया स्त्री को अलग–थलग करके पुरुष ने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। और जिस तरह वह धन, सम्पत्ति तथा जमीन पर अपना अधिकार समझता था उसी तरह उसकी नजर में स्त्री भी एक सम्पत्ति बन गई। प्राचीन काल विशेष वैदिक युग में स्त्रियों को गरिमापूर्ण जीवन स्थितियाँ प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा, सम्पत्ति आदि के अधिकारों के साथ ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी थी। उमा चक्रवर्ती 'जाति समस्या में पितृसत्ता' में इसका खण्डन करते हुए लिखती है कि 'भारतीय समाज में आदिकाल से ही स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। बाद में नवजागरण काल में विदेशियों द्वारा भारतीय समाज की असभ्यता और बर्बरता के सवाल उठाने पर समाज सुधारकों ने इतिहास को गौरवशाली बनाने के लिए स्त्रियों का महिमामंडन किया।

इन्हीं महान समाज सुधारकों में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा, उनके अधिकार दिलाने में अपने पूरजोर कोशिश की तथा स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए विशेष तौर पर अपने विचारों एवं कोशिशों से स्त्रियों को सशक्त करने का प्रयास किया है जिससे उनके प्रयास वर्तमान समय में प्रासंगिक हुये। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने भारतीय शिक्षा के विकास में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामान्य जन को सहजता पूर्वक जीवन व्यतीत करने का समय–समय पर निर्देशन दिया है, क्योंकि जीवन की गति सत्य है, समय के चक्र में वह चलता ही जाता है। जीवन जीने की जिसकी जितनी अद्‌भुत कला होती है वह उतनी ही प्रवीणता से जीवन के मूल भूत सुखों को अर्जित करने में सफलता हासिल करता है। इसलिए जीवन की कला को सीखने समझने व उस पृष्ठभूमि में पारंगत होने की अनोखी कला का समुचित प्रदर्शन रवीन्द्रनाथ टैगार जी ने अपनी शिक्षा दर्शन में प्रयुक्त किया है, जो भारतीय

आदर्शों को स्थापित करते हुए जीवन के यथार्थ एवं मानववादी अद्भुत दृष्टिकोणों के विकास पर सतत् बल देता है। उन्होंने आन्तरिक शुद्धता के साथ–साथ सामाजिक समरसता को जीवन का प्रमुख हेतु बतलाया है, जो भारतीय दृष्टिकाणे का पक्षधर है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर स्त्री को ईश्वर की श्रेष्ठतम् रचना मानते थे। उनके अनुसार ''स्त्री और पुरुष का पद समान है, पर दोनों के रूप में भिन्नता है। इन दोनों की जोड़ी सर्वश्रेष्ठ है।क्योंकि वे एक दूसरे के अभाव की पूर्ति करते हैं। इसलिये एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः यह सोचना आवश्यक है कि यदि एक के पद को आघात लगता है, तो दूसरे की हानि और बर्वादी होती है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से स्त्री को पत्नी, माता और समाज के निर्माता के रूप में कार्य करना होता है। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। अपने शिक्षा सम्बन्धी लेखों तथा भाषणों में उन्होंने स्त्री को बहुत महत्वपर्णू बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों का पालन एवं उनकी आदतों को परिष्कृत कर योग्य नागरिक बनाने में स्त्रियों का विशेष योगदान होता है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियाँ, पुरुषों का हाथ बँटाती हैं। प्राचीन भारत का उदाहरण देते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि वैदिक कार्य मे अनेक विदुषी स्त्रियाँ थीं, जिन्होंने वेद, मंत्रों की रचना की उस समय का भारतीय समाज शिक्षा नीति, राजनीति, धर्म एवं अर्थ की दृष्टि से वर्तमान समाज से कहीं अधिक उन्नत था।

टैगोर का मत था कि विशुद्ध ज्ञान अन्तर्गत स्त्रियों तथा पुरूषों दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए और उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। टैगोर स्त्रियों को पाक–कला, सिलाई–कढ़ाई तथा कला–कौशल की शिक्षा देने पर बल देते थे।

उन्होनें स्त्रियों को गृह कार्य की शिक्षा देने पर विशेष बल दिया और कहा कि उनके रुचि और रुझान को अवश्य ध्यान में रखा जाये। उन्होंने बेसिक शिक्षा का सामान्य पाठय्क्रम संचालित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसके अनुसार पाँचवीं कक्षा तक छात्र–छात्राओं का विषय समान है, केवल चौथी कक्षा मे छात्राओं के लिए गृह विज्ञान का विषय शामिल कर दिया। छठीं और सातवीं कक्षा में बेसिक काम के स्थान पर छात्राओं को गृह विज्ञान विषय लेने की छूट थी। वर्द्धा शिक्षा योजना में माता–पिता को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे सह शिक्षा के पक्ष में नहीं है, तो बारहवीं कक्षा में भी बालिकाओं को सह शिक्षा देने के पक्ष में रहे। रवीन्द्रनाथ टैगोर के विचार इस शिक्षा के प्रति बहुत महत्वपर्णू हैं। यदि हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परन्तु एक स्त्री को शिक्षित करने का मतलब है एक परिवार को शिक्षित करना।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार वेदों में भी इसी शिक्षा का समर्थन किया गया है– ''इंद्रम् मंत्रम् पत्नी पठते'' अर्थात् यह मंत्र पत्नी पढ़े। वेद के इस मंत्र से प्रकट है कि पत्नियाँ शिक्षित

होंगी तो यज्ञ में सम्मिलित हो सकेंगी। अतः स्त्री को पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसी शिक्षा पर अधिकाधिक बल देते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि बाह्य प्रवृत्ति में पुरुष प्रमुख होतें है। इसलिए वाह्य प्रवृत्ति का विशेष ज्ञान उसके लिए आवश्यक है। आन्तरिक प्रवृत्ति में स्त्री प्रमुख होती है। इसलिये गृह व्यवस्था और बाल–बच्चों की शिक्षा–दीक्षा आदि विषयों का विशेष ज्ञान उसके लिए आवश्यक है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा मुझे जब–जब अवसर मिलता है, तब–तब मैं पुकार–पुकार कर कहता हूँ कि जब तक भारत में स्त्री शिक्षा का प्रसार न होगा। स्त्रियाँ तनिक भी दबी रहेंगी अथवा उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त होंगे। तब तक भारत का सच्चा उद्धार न होगा, इसलिये स्त्री शिक्षा पर ध्यान दो।

स्त्री शक्ति की सजीव प्रतिमा है। मनु ने कहा है कि जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं और जहाँ उनका आदर नहीं होता, वहाँ सारे कार्य और प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। स्त्रियों की अनेक समस्याओं का समाधान शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। स्त्रियों की शिक्षा का केन्द्र कर्म हो। धार्मिक शिक्षा–चरित्र संगठन और ब्रह्मचर्य पालन–इन्हीं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। भारतीय स्त्री का आदर्श सीता का चरित्र होना चाहिए। उन्हें त्याग की शिक्षा दी जाए। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए एकमात्र उपाय शिक्षा है। शिक्षा से ही उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और वे स्वयं अपनी सहायता कर सकेंगी। स्त्रियों की शिक्षा में धार्मिक शिक्षा आवश्यक है।

उन्होंने स्त्रियों में त्याग और सेवा का आदर्श उत्पन्न करने की सलाह दी। पुरुषों के समान स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य के आदर्श का पालन करना चाहिए। स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए स्त्री शिक्षकों में उच्च चरित्र की आवश्यकता है। स्त्री शिक्षा स्त्रियों के द्वारा ही दी जानी चाहिए। ये विवाहित अथवा अविवाहित अथवा विधवा कोई भी हो सकती है, किन्तु सर्वत्र उच्च चरित्र अत्यन्त आवश्यक है। इसके अभाव में किसी भी स्त्री को शिक्षक होने का अधिकार नहीं है। केवल धनोपार्जन के लिए शिक्षण कार्य ग्रहण करना उपयुक्त नहीं है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर पुरूषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षित करना चाहते थे और स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था पर बल देते थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा की प्रगति उसी प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में हुयी है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही स्त्रियाँ, पुरूषों के समान कार्य कर पायेगी तथा हमारा समाज और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पायेगा। अतः टैगोर स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे तथा स्त्री पुरूष दोनों को समान रूप से शिक्षा देने के पक्ष में थे क्योंकि उनका यह मानना था कि इस समानता से ही मानव समाज का नवनिर्माण हो सकता है और स्त्रियों का समाज में स्तर ऊँचा उठ सकता है। टैगोर का मत था कि विशुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में पुरुष एवं स्त्रियों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार

स्त्रियों को परिपक्व मानव प्राणी और उचित स्त्री बनाने के लिये उन्हें विशुद्ध एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए इस प्रकार टैगोर स्त्रियों को शिक्षित करके मानव समाज का उत्थान करना चाहते थे। टैगोर का यह मत था कि स्त्रियों की शिक्षा की अलग से व्यवस्था की जाये और उनके लिये अलग से विद्यालय स्थापित किये जाये किन्तु यदि स्त्रियों के लिये पृथक विद्यालय खोलना सम्भव न हो तो वहाँ वह सह–शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते है जहाँ पर स्त्रियों को भी उसी प्रकार शिक्षित किया जाये जिस प्रकार पुरूषों को किया जाता हो अथवा स्त्रियों को भी समस्त शैक्षिक सुविधायें प्रदान की जाये और उन्हें प्रगति के समान अवसर प्रदान किये जाये ताकि वह भी जीवन के प्रत्येक विभाग में समानता के साथ कार्य कर सके। टैगोर ने ज्ञान के दो विभाग माने है। उनके अनुसार प्रथम विभाग विशुद्ध ज्ञान का है तथा दूसरा विभाग उपयोगी ज्ञान का होता है। टैगोर का मत था कि विशुद्ध ज्ञान अन्तर्गत स्त्रियों तथा पुरूषों दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए और उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उपयोगी ज्ञान के अन्तर्गत टैगोर स्त्रियों तथा पुरूषों की शिक्षा में अन्तर मानते है क्योंकि उनका यह विश्वास था कि स्त्री एक माता, बेटी तथा बहन होती है और इसके लिए उसे शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक होता है इसलिये टैगोर स्त्रियों को पाक–कला, सिलाई–कढ़ाई तथा कला–कौशल की शिक्षा देने पर बल देते थे इसके अतिरिक्त टैगोर स्त्रियों के सर्वांगीण विकास के लिये व्यायाम, खेलकूद तथा समाज सेवा को भी आवश्यक मानते थे।

टैगोर वैयक्तिक दृष्टिकोण के साथ–साथ स्त्रियों को सामाजिक दृष्टिकोण से भी शिक्षित करने के पक्ष में थे क्योंकि उनका यह विश्वास था कि भारतीय समाज की प्रगति तब ही सम्भव है जब स्त्री शिक्षा को भी पुरूष की शिक्षा के समान ही महत्व प्रदान किये जाये जिससे उनकी बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति हो सके। टैगोर का विचार था कि स्त्रियों तथा पुरूषों के सहयोग से ही एक नये संसार का निर्माण होता है और भारत तथा राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को भली–भांति समझते थे इसलिये उन्होंने 'शान्ति निकेतन' में सन् 1908 में 'स्त्री–शिक्षा विभाग' की स्थापना की थी जहां स्त्रियों को उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान की जा सके परन्तु कुछ कारणोवश एवं अन्य व्यवधान उत्पन्न हो जाने के कारण इसे बन्द करना पड़ा। सन् 1922 ई0 में टैगोर ने पुनः 'नारी भवन' की स्थापना की जो वर्तमान समय में 'नारी विभाग' के नाम से जाना जाता है। यहां स्त्रियों को भी पुरूषों के समान ही शिक्षित करने का कार्य किया जाता है तथा स्त्रियों को भी शास्त्रीय विषयों को अध्ययन करने का पूर्ण अधिकार है जिससे उनका शारीरिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक विकास हो सके। चूंकि टैगोर का यह विश्वास था कि स्त्री को पत्नी, माता तथा समाज के निर्माता के रूप में कार्य करना होता है। अतः उन्होंने 'नारी विभाग' में स्त्रियो के

लिये गृह विज्ञान, पाक कला, कला–कौशल और सिलाई–कढ़ाई की विशेष व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त रवीन्द्रनाथ टैगोर स्त्रियों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी प्रगतिशील, उन्नत तथा आत्मनिर्भर देखना चाहते थे इसलिये उन्होंने स्त्रियों के लिये खेल–कूद, आत्म–रक्षा की शिक्षा, व्यवसाय और समाज सेवा के कार्यक्रमों पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस विभाग में स्त्रियों के लिये संगीत शिक्षा की भी व्यवस्था की है जिससे स्त्रियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

इस प्रकार स्त्री शिक्षा के प्रति टैगोर का दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक था। उन्होंने स्त्रियों को समाज में समानता और बराबरी का स्थान प्रदान किया है और उनकी शिक्षा–व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भेद भाव स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने–अपने ढंग से स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया है। इन्होंने मातृ शक्ति के विकास को जनजीवन के विकास का आधार माना व इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया है कि देश के सभी स्त्रियाँ शिक्षित हो अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को समझ सकें, अपनी आने वाली पीढियों के प्रति अपने दायित्वों की पहचान कर सकें, तथा वे राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के पूर्ण विकास में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकें।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची</u> :–

1. ओड, डॉ0 लक्ष्मीकान्त (1973), शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
2. इलाचन्द, जोशी (1956), विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, भारतीय विद्याभवन, इलाहाबादः राजकमल प्रकाशन, संस्करण।

एस0 एविनेरी, (1968), द सोशल एण्ड पॉलीटकल थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स, कैम्ब्रिजः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

A CRITICAL REVIEW ON CYBER TERRORISM

Dr. Rajeev Nain Singh

Assistant Professor, Faculty of Law,
Nehru Gram Bharati (N.G.B.D.U),
Prayagraj

Shishir Kesarwani

Research Scholar
Nehru Gram Bharati (Deemed to be University),
Prayagraj

INTRODUCTION

Terrorism has presented a significant challenge in our daily lives. Terrorist attacks in major metropolitan areas, towns, and tourist destinations around the world have displayed the ineptitude of the state's response to the threat. Many major counter-strategies are being developed by nations in order to deal with the challenges. However, the majority of the endeavours are designed in a conventional manner that may be efficacious in customary terror attacks. Nevertheless, there are difficulties when it comes to an unconventional terror attack, which has displayed the ineptness of the state system to solve the problem.(1)

Many major counter-strategies are being developed by nations in order to deal with the challenges. However, the majority of the endeavours are designed in a conventional manner that may be efficacious in customary terror attacks. However, there are constraints when it comes to an unconventional terror attack. I.T. has provided users with access to a massive data bank of information on everything and anything. However, it has given terrorism a new dimension. According to recent reports, terrorists are also preparing to use cyberspace to undertake terror attacks. Such attacks in the future cannot be ruled out.(2)

Cyber terrorism is a term that refers to terrorism that occurs in cyberspace. India has carved out a niche in information technology over the last few decades. The

majority of the Indian financial sector, postal offices, other agencies, and financial institutions have replaced manual processes with IT. Cyber terrorist attacks are primarily carried out in these institutions via IT, such as hacking, fraudulent e-mails, ATM spoofing, mobile phones, satellite phone hacking, and so on. The article envisions an awareness of the nature and effectiveness of cyber threats, as well as studying and analysing India's efforts to address the challenge and highlighting what more could be done.(3)

As a fast expanding postcolonial nation, India's internal political and social environment has profoundly influenced its approach to cyberspace and cyber security. India's potential for cyber defense was generally restricted due to a lack of awareness combined with a lack of technology to develop adequate cyber security structures, that latter of which was secured by global technology guidelines recommended such as the Wassenaar Framework. Furthermore, India's cyber security policy has traditionally been positioned with sovereign equality considerations, particularly state-sponsored terrorism and national defence. Integrating stated objectives with sovereign rights and security reasons, cyber security has thus been approached primarily from a state-centric perspective, with the discourse focusing on national security rather than a broader multi-stakeholder perception focusing on social or economic aspects.

The increasing prevalence of I.T. and the web in India occurred only in the last decade, despite its roots in the early 1990s liberalisation of the Indian economy. As a result, the evolution of cyberspace regulation was delayed. Because computers and the internet were not widely used until late 1990s, there was limited pressure for the development of laws to govern computers and cyberspace. The Information Technology Act, India's overriding regulations for governing information technology, was imposed in the year 2000, even then, it didn't sufficiently address these issues of cyber defense, only introducing and penalising the incidence of hacking.

Following that, in 2004, the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-in) was formed, and it has since dominated cyber security in India. The Cert-in annual reports, that provide annual statistics on cyber attacks, paint a picture of cyber threats' exponential growth over the last decade.(4)

Statistics published by the government adds context to the growing importance of cyber security policymaking. According to NCRB data for the years 2010-2020, a

total of 1791, 2876, and 4356 Cyber Crime complaints were registered under the Information Technology Act, respectively. Moreover, during the same years, 422, 601 and 1337 cases were brought under Cyber Crime related Sections of IPC.

Furthermore, from 22060 in 2010 to 96383 in 2020, the number of incidents reported to the CERT-In increased exponentially. These incidents included phishers, scanning, spam, malicious code, website intrusions, and so on. According to the CERTin report 2020, there were 8,311 security breach crimes reported in the nation in January 2019 alone, up from 5,967 the previous year. An upsurge in cybersecurity incidents, both domestically and internationally near the close of the decade heightened the need for cyber security mechanisms to be established.

Following that, in 2008, the IT Act was amended to define the role of CERT-In and to introduce penal behaviour against cyber-threats such as cyber-terrorism, identity theft, and data protection. The 2008 reform also included a system for identifying "Critical Infrastructure" and mechanisms for protecting it. However, the IT Act's development of a successful cyber security infrastructure has been delayed. The National Cyber Security Policy, that also outlines the government's policy objectives, was introduced in 2013, years after cyber security was ostensibly recognised as a concern, and has not been updated since. Similarly, the NCIIPC, the central team responsible for CII protection, was only informed in 2014, after a 6 year gap from its conception under the IT Act.

DEFINITION OF CYBER TERRORISM AND CYBER CRIME

Cybercrime is a type of crime that involves computers and computer technology. The computer could have been used to commit a crime or it could be a target. Cybercrime can have an impact on a country's national financial and security situation. Hacking, copyright infringement, child pornography, and child grooming are examples of crimes.(5) Individuals may be harmed in this regard if they disclose confidential information such as ATM pins, bank details, and so on in public. When terrorist groups send out emails about women's security, cross-border crimes, financial theft, and so on, a nation-state will be attacked... Cybercrime was defined by Prof. Halder and Prof. Jaishankar as

"offenses that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of victim or cause physical or

mental harm or loss to the victim directily or indirectly using modern telecommunication networks such as Internet and Mobile Phones(SMS/MMS)". (6)

This two anthers also commented on the focus gender and defined cyber crime against women as "crimes directed at women with the intent to purposefully harm the victim both psychologically and physically through the use of modern telecommunication networks such as the Internet and mobile phones."(7)

Cyber terrorism is the use of the internet in terrorist activities. Cyber terrorism is a contentious concept. Some authors selected a very specific meaning. They believe that this terrorism is connected to the deployment of known terrorist organisations or disruption threats against information systems with the primary goal of instilling fear and panic. Other authors chose a much broader definition, which tends to include cyber crime when, in reality, they believe cyber crime and cyber terrorism are two distinct issues.(8) Cyber terrorism is also defined as the deliberate use of computers, networks, and the public internet to harm innocent people and damage for personal gain.(9)

Because this is a form of terrorism, the terrorists' goal could be political or ideological. Because this is a form of terrorism, the terrorists' goal could be political or ideological. These terrorist organisations include Alqaeda, ISIS, Mujahideen, and others. These organisations communicate with their members via the internet. Eugene Kaspersky now believes that cyber terrorism, rather than cyber war, is a more accurate term.(10) "Without attacks, they have no idea who did it or when they'll strike again, so it's not a cyber war, but cyber terrorism," he said. According to some authors, cyber terrorism does not exist and is simply a matter of hacking or cyber warfare.(11)

In a broad way cyber terrorism is classified as "The preplanned use of activities or the threat of same, against networks and computers with the goal of causing harm or further social, philosophical, religious, diplomatic or similar objectives " religious, political or similar aims " . The term first appears in defence literature, in reports by the US Army War College as early as 1998.

The national conference of state representative and organisation of legislator established to assist policy makers with problems such as economic system and homeland security described cyber terrorism as "The use of I.T. by terrorist individuals and organizations to further their agenda. This can include using IT to

plan and carry out attacks on networks, computer systems, and telecommunications infrastructures, as well as exchanging information and making threats electronically."(12)

METHOD OF ATTACKS

Computer viruses and warms are the most commonly used weapons in cyber terrorism. As a result, this type of terrorism is also known as computer terrorism. The computer infrastructure attacks or methods can be divided into three categories.

a. Physical Attack: The computer infrastructure is effected using traditional methods such as bombs, fire, and so on.

b. Syntactic Attack: The computer infrastructure is harmed by altering the system's logic in order to produce delay or make the system unpredictable. In this type of attack, computer viruses and trojans are used. In this type of attack, computer viruses and trojans are used.

c. Semantic Attack: This is more damaging because it exploits the user's trust in the system. During this attack, the information entered into the system while entering and using it is modified without the user's knowledge.

Tripwire, a research community, published an article titled "Where are your cyber attacks coming from?" in Verizon's DBIR 2015. They explain the five most common cyber attack attack patterns in 2014. The year of the attacks was 2015. They explain the five most common cyber attack attack patterns in 2014. The attack types were as follows:

- Web Application: According to the authors of DBIR 2015, organised crime has become the most commonly seen actor behind web application attacks.
- Privilege Misuse: These attacks are carried out for monetary gain.
- Cyber espionage: This had the greatest impact on the manufacturing, public, and professional sectors.
- Crimeware
- POS (Point of Sale)

TOOLS OF ATTACK

Cyber terrorists employ specific tools and methods to usher in this new era of terrorism. The attack tools are hacking is the most common method used by terrorists. It is a catch-all term for any type of unauthorised computer access. Hacking is associated with packet snipping, tempest attacks, password cracking, and so on.

Trozans: Programs that pretend to do one thing but are actually designed to do something else, such as the wooden trozan horse from the 12th century BC.

Emails: Viruses and warms attach themselves to a host programme in order to be injected. Emails are used to disseminate misinformation, threats, and defamatory material.

A computer virus is a type of malicious software programme ("malware") that, when executed, replicates itself (by copying its own source code) or infects other computer programmes by modifying them. The computer warm is a computer term that refers to a self-contained programming or a set of programmes that are capable of spreading functional copies of themselves.

HOW INDIAN NATIONAL SECURITY IS AFFECTED BY CYBER TERRORISM AND CYBER ATTACKS

In terms of e-governance, India began to use I.T. in many government entities such as I. Tax, Passport Service, Bank, Visa, and so on. Police and the judiciary are next in line. This is also heavily used in the travel industry. This sector's complete computerization has also introduced the concept of e-commerce. These are highly lucrative targets for wreaking havoc on the country and paralysing the financial and economic institutions. In terms of e-governance, information technology is used in many public sectors such as Income Tax, Passport Service, Bank, Visa, and so on. Police and the judiciary are next in line.

This is also heavily used in the travel industry. This sector's complete computerization has also introduced the concept of ecommerce. These are highly lucrative targets for wreaking havoc on the country and paralysing the financial and economic institutions.

The DRDO suspected Chinese hackers of breaching the computer system of India's top military organisations in March 2013. Following that, India's defence minister at the time, A.K. Antony, demanded proof of the incident, despite an official statement denying any sensitive files had been compromised.

While the threat of cyber attacks remains "imminent," as according to Supreme Court lawyer and renowned cyber law expert Pavan Duggal, the nation needs an institutionalist framework of the cyber army to handle the threat. He also stated that cyber warfare is not covered by Indian cyber laws.

Over the last few years, India has seen an increase in the number of cyber attacks on government departments. The DRDO also validated that some Algerian hackers attacked the websites of the DRDO, the PMO, and other government agencies. According to CERT-in, a government mandated information technology security organisation, 14392 websites in the nation were hacked in 2012. A report stated that 14232 websites were hacked in 2011, while 9180 websites were hacked in 2009 and 16126 in 2010.

According to Rikshit Tandon, consultant for the IAMAI and consultant to the UP police's cyber crime unit, cyber terrorism is a serious threat not only for India but also to the rest of the world. According to the report, approximately 90119369 Indian websites were hacked between 2012 and 2021. The majority of them were government offices, the defence sector, diplomatic missions, railways, BSNL, TRAI, CBI, and so on.

According to the EC Council report, there is a talent crisis in Indian information security, which has revealed major gaps in the current skill situation concerning IT security, which can impact the handling of cyber threats in industries such as banking, defence, healthcare, information technology, energy, and so on. The EC also revealed that approximately 75% of the participants demonstrated a low level or a lack of skill in error checking, displaying a vulnerability known to lead to the disclosure of confidential data and denial of service attacks. Along with cyber crime, Indian home minister Rajnath Singh described cyber terrorism as one of the most serious threats to society. Addressing the 2019 batch of IPS officers trainees who had come to meet him. At the time, Singh stated that cyber crime has become a challenge that the police are currently dealing with. In his language, cybercrime in the cyber world can be multifaceted, multi-locational, multilingual, multicultural, and multi-legal, making it difficult to scrutinise and apprehend the criminal. He also stated that the officers must also work hard to solve the people's problems. The home minister also urged officers to achieve higher levels of excellence and professionalism by process of consolidation aspects of intelligence, surveillance, communications, and modern policing.

In Indian Express, it was stated that "currency banned effect" between December 9-16, 2016 at least 80000 cyber attacks aimed to Indian networks, showing that "why the current regime attempt to switch over to a digital economy". According

to top intelligence sources, they observed an average of 2 lacs threats and vulnerabilities per day until November 28, 2016, these grew to five lacs following the note ban.

Banking sector threats are increasing, so a 360-degree security audit of information infrastructure, including financial networks, was ordered. An intelligence note on mobile phone vulnerabilities was once reviewed by Indian Express. Banking sector threats are increasing, so a 360-degree security audit of information infrastructure, including financial networks, was ordered. An intelligence note on mobile phone vulnerabilities was once reviewed by Indian Express.(17) According to sources, between November 22 and November 26, 2019, we observed 335000 attacks on Indian networks by hackers from China, Pakistan, Singapore, the USA, Russia, Romania, Ukraine, Dubai, and Sweden. In the largest cyber attack on the Indian banking system to date, 3200000 debit cards authorised by SBI, HDFC bank, ICICI bank, AXIS bank, and Yes bank were compromised in October 2019.

EXISTING CYBER SECURITY INITIATIVE

India used its security programme to combat cybercrime and cyberterrorism. Some organisations affiliated with the Police, I.B. DEPARTMENT, began to collect information from all over the world. Here are a few examples:

NIC (National Information Centre): It is a non-profit organisation that provides network backbone and e-governance assistance to the Central Government, State Governments, Indian territories, districts, and governmental bodies.

CERT-IN (Indian Computer Emergency Response Team): It is the most important organisation among the cyber community initiative groups in India. Its mandate states that it is responsible for ensuring the security of a country's cyberspace by improving security communication and information infrastructure.

The National Information Security Assurance Program (NISAP) is designed for the government and critical infrastructures. This government organisation implemented security policies and established a point of contact for the government and critical infrastructure. CERT-IN established this governmental organisation.

NASSCOM (National Association Of Software And Services Companies): The NASSCOM is a trade association for the Indian IT and business process outsourcing (BPO) industries. NASSCOM is a non-profit organisation that was founded in 1988. NASSCOM's role has primarily been related to software services or

BPO services; it is an organisation that ensures service quality and intellectual property rights enforcement are properly implemented in the Indian software and BPO industries.

REFERENCES

1. Warren G. Kruse, Jay G. Heiser (2002). Computer forensics: incident response essentials. Addison-Wesley. p. 392. ISBN 0-201-70719-5.
2. Warren G. Kruse, Jay G. Heiser (2002). Computer forensics: incident response essentials. Addison-Wesley. p. 392. ISBN 0-201-70719-5.
3. Hower, Sara; Uradnik, Kathleen (2011). Cyberterrorism (1st ed.). Santa Barbara, CA: Greenwood. pp. 140–149 2016.
4. Saikat Datta, Internet Democracy Project, Cybersecurity, Internet Governance and India's Foreign Policy: Historical Antecedents, (January 2016) available at https://internetdemocracy.in/reports/
5. Warren G. Kruse, Jay G. Heiser (2002). Computer forensics: incident response essentials. Addison-Wesley. p. 392. ISBN 0-201-70719-5.
6. Halder, D., & Jaishankar, K. (2011) Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations. Hershey, PA, USA: IGI Global. ISBN 978-1-60960-830-9
7. Halder, D., & Jaishankar, K. (2011) Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations. Hershey, PA, USA: IGI Global. ISBN 978-1-60960-830-9
8. Hower, Sara; Uradnik, Kathleen (2011). Cyberterrorism (1st ed.). Santa Barbara, CA: Greenwood. pp. 140–149 2016.
9. Matusitz, Jonathan (April 2005). "Cyberterrorism:". American Foreign Policy Interests. 2: 137–147.
10. "Latest viruses could mean „end of world as we know it,‟ says man who discovered Flame", The Times of Israel, June 6, 2012
11. Harper, Jim. "There's no such thing as cyber terrorism". RT. Retrieved 5 November 2012.
12. Cyber terrorism National Conference of State Legislatures. https://cyberterrorism, as accessed on 08th November, 2019

Religious and Philosophical elements in fine frenzy by A.N. Dwivedi

Ramshankar Pathak

Ph.D. Scholar (English)
R.S.K.D. P.G. College,
Jaunpur

A.N. Dwivedi (Born in 1943) is one of the renowned senior professors of English who retired from the University of Allahabad. Allahabad (India). He is among the academic poets of post-independence age of the country and a well-known critic and poet of today. He has contributed about two dozen books on English. American and Indian English literature and has also published five volumes of English poetry i.e. four collections of his poems and One Long Poem. They all have been put together as collected poems.[1]

Fine Frenzy is the second volume of his collected poems which includes 80 Poems in all and One Sonnet to Pt. Jawahar Lal Nehru in the very beginning of the book in humble dedication Many poems of this volume abound in travelogue forms. The first poem of the volume, A Visit to Chandi Devi bears a testimony to the religious fervor in the poet. It describes the difficult Journey to the temple of Chandi Devi. Even slight mistake on the part of the traveller can be fatal. The poet is bewildered to see it be fatal. The poet is bewildered to see it-

> A long walk along the hilly tracts
> through thorny bushes pointed stones
> left my family friends bewildered.

The poet tells us that a Bengali J.P.S officer who was accompanying him was in a hurry a jutted rock while a senior Madrasi traveller who was cool minded all the while completed the journey Safely. Here the poet wants to suggest that the journey of life in also like this. The visit to Chandi Devi Temple is symbolic of the smooth it is best with difficulties one has to be very careful in achieving the goal of life. In the second Stanza the poet given the

graphic description of the priest of the temple who is typical of all the priests He bears the religious marks on his body and is pot bellied. He tells some thrilling stories about Chandi Devi and dismisses the poet and his company abruptly.

Another poem which bears the marks of Hindu religion is "Thoughts from Lakshaman Jhula." This Jhula is situated at Rishikesh a few Kilometers a head of Hardwar. It witness the site are surprised. The poet describes crossing of the bridge in the following way:

> A sense of… grips you.
> while crossing it.
> You tightly hold the hands of Children
> and slowly steer them through
> while your wife tugs behinds you.[2]

The poet describes the passers of the bridge very realistically.

After crossing the Jhula, the poet proceeds further and witness some temples and Ashrams.

The first on his way is Mahalakshmi Temple built in the lap of up shooting hill. This thirteen storyed temple is said to be abode of God. After it, Swargashram Capture the poets attention literally it means the heavenly abode. Then a little away from this ashram is another ashram of Mahesh Yogi with its 'calls' for the meditators to sit and meditate there. The poet describes the calls thus:

> The cells really meant for a single meditator
> But the Yogi's Chamber tells a different tale
> Being spacious cozy n cushioned.[3]

The poem ends after describing two places Choti ghat and Ramshula. Built by king Birla to cross the turbulent river.

Another poem in this volume which bears The religious imprints is the Konark Temple 'standing on the mighty 24 wheels.

It is the finest example of India's The sun Temple is another gigantic

temple of the Suno It built like a chariot moving on 12 giant wheels drawn by seven horses. It is a legendary temple.

Further we come to another poem entitled "A Visit lord Jagannath" at Puri this famous temple of Orissa was built around 1100 A.D.

The poet describes the natural beauty of the place and takes in the arti.' He praises the arrangement and has the 'Darsan of Lord, and buys 'the Lord's Prasad'

Prostration's to thee, O Lord!
O Lord, than bless us![4]

Another Poem of religious broodings is "the Grandeur of the Gangas" Where the poet sings the praise of mighty and sacred river Ganga. It is the life line of our Country. It is important not only from the view point of religion but also from social economic and political points of view.

Then the poet describes the legend of the origin of Ganga and its coming down on earth. this might river at Prayag meets with two other river of great importance, i.e the Jamuna and the Sarswati and a confluence of all the three rivers lands great charm to the place-pilgrims from all over the country come here to have a dip in the month of Magh. In the words of the poet:

The whole Genetic belt
becomes agog with divine songs,
musical strains stage plays,
practioners of penance,
sages seers pandits priests,
realized unrealized souls,
all stay here for a month.[5]

'Monkey-Menace At Chitrakoot' is another travelogue which portrays various mischievous activates of monkey at Chitrkoot. During his exile Lord Ram stayed of Chitrkoot for quite a long time with his wife Sita and brother Lakshaman, in order to fulfill the boons granted by his father Dasharatha to his wife Kaikayee. Since then it is not only a place of religions importance but also

a place of tourists' attraction It is situated on the bank of river Manakini. Apart from the ashram of Atri and Anasuiya, there are many places of religious connection in Chitrakoot.

The poet tells us the legend of the incarnation of Hanuman to help Ram against Ravan. Hanuman assumed the shape of a mighty monkey. The poet describes the various mischievous activities of monkeys. At the end he describes the skilled professionals and guides there They pretend to protect the pilgrims but if the find a chance they also behave like monkeys:

> And at a certain point
> man becomes the monkey
> with all its menace,
> its boos n jeers.[6]

The last poem expressing the religious inclination of A.N Dwivedi is "My Haridwar Hardwar is a mythical and holy city in our country and it is very dear to poet because it inspired his poetic creations. He felt emotional affinity with Hardwar. It is a city of inns and temples. The poet mentions the famous G.K.V a great seat of Vedic learning where he worked although he suffered the loss of his beloved son here, Hardwar still beckons him. He describes Har-ki Pouri, Birla Tower and five township. Kankhal is the oldest town of his city as it is associated with Darksha Prajapti, Shiva and Sati who burnt herself alive in the ritual pyre amoyed at the insult of her husband by her father it is mentioned in the Puranas.

Thus Dr. Dwivedi has given went to Hindu religion and philosophy in this volume of his poetry.

REFERENCES

13. A.N. Dwivedi, *Collected Poems*, New Delhi : Authors press, 2018.
14. A.N Dwivedi, *Fine Frenzy*, Allahabad : Kitab Mahal, 1998.
15. *Ibid*. P.7.
16. *Ibid*. P.8.
17. *Ibid*. P.71.

Social Realism in Kamala Markandaya's Novels - Nectar in a Sieve and A Handful of Rice

Mohd. Irfan

Ph.D. Scholar (English)
R.S.K.D.P.G. College
Jaunpur

Abstract

The present research article portrays the social realism in the two novels of Kamala Markandaya namely Nectar in a Sieve (1954)[1] and A Handful of Rice (1966)[2]. The paper aims at studying these novels which deal with poverty, hunger, exploitation and suffering. They depict the realities of Indian village during a period of intense urban development.

Kamala Markandaya has occupied an outstanding place among Indian English writers as one of the most important woman writer in English. She was born in 1924 in an affluent and aristocratic brahmin family of South India. She studied at the University of Madras, then worked as a journalist. In 1948 she settled in England and later married an Englishman.

As she is born and brought up in India and living in England, Kamala Markandaya is familiar with both cultures and traditions. Besides, she has her own individuality in creating a variety of characters. Her skill is shown in her wonderful picture of village life with its merits and demerits. Being a woman novelist, her delineation of heroines is better than that of heroes.

William Walsh calls her the most gifted and the most distinguished writer on the literary scene today. He maintains:

"She is undoubtedly one of the major novelists of the Commonwealth scene. India is a country of her birth and England the country of her abode, and hence her writings show the cultural interaction and synthesis of both the countries."[3]

Nectar in a Sieve (1954) is the first novel of K. Markandaya. It deals with rural India. It portrays the common problems of the farmers. Nathan and Rukmani, represent Indian farmers who face unlimited problems, trials and tribulations of life.

The title of the novel comes from a poem entitled **Work without Hope** by S.T. Coleridge whose lines form an epigraph to the novel:

Work without hope draws nectar in a sieve.
And hope without an object cannot live.

(qtd. in Iyenger, 438)

The above quoted couplet expresses the theme of the novel adequately. When work is done without hope it becomes as fruitless as nectar in a sieve. If there is no objective in life, life becomes unsuccessful. The novelist also shows that happiness stays in life only for a short while like nectar in a sieve.

Markanday has subtitled the novel as A Novel of Rural India, to reveal the life of innumerable Indian villagers.

The novelist has made Rukmani, the protagonist, narrate the tale. In order to show the restrained intensities of the emotional framework. She has made a woman

the central character because show knows that woman is at the centre of the socio-economic structure of the Indian peasant families. Rukmani is a symbol of an Indian pastoral woman.

Rukmani is the youngest daughter of a village headman, she is married to a tenant farmer, Nathan who is under privileged in all respects. Rukmani becomes the victim of the dowry system as her father was poor. She is made to live in a mud hut. She accepts it as her fate. With the birth of every child they become poorer and poorer. Till the birth of the sixth child their financial condition worsens. They do their best to improve the lot of their children but everytime they fail miserably. Ultimately they come back to their village. Nathan dies of hunger but Rukmani does not admit defeat. She regains her harmony.

The novel appears circular in structure as the story ends where it begins. The novel depicts the activities, hopes, expectations, joys and sorrows of the landless peasants who are exploited by their landlords, and shattered by the cruelties of nature.

The novel A Handful of Rice is K. Markandaya's fifth novel published in 1966. The theme of the novel is same as that of the Nectar in a Sieve. They both deal with hunger, poverty, conflict and cultural interaction. The only difference is in the

plot. Whereas Nectar in a Sieve takes place in a village, A Handful of Rice takes place in the town.

The novel depicts the life of a poor boy Ravi Shankar, who leaves his small village and goes to urban city in Madras in search of betterment. This is common in many Indian villages. The indifferent and harsh streets of the city lead him to the underworld of petty criminals. A chance misdeed acquaints him to a tailor, Apu. He falls in love with daughter of Apu.

He starts living in Apu's home. Ravi is educated and responsible so ultimately he alone has to run the house. Once he beats his wife Nalini and she runs away from home. Raju also dies, Ravi again goes to criminal Damodar and loots the grainary. Thus, he always struggles for a handful of rice i.e. food.

Meenakshi Mukherjee narrates Indian social values and their situation as follows:

> **"Modern Indian is torn in a conflict between two kinds of values - supremacy of social hierarchy and emergence of the individual. Sometimes the conflict neatly resolves into two issues - duty to the family and personal fulfilment."[4]**

Dr. A.V. Krishna Rao holds:

> **Kamala Markanday's novels in comparison with those of her contemporary women writers seem to be more fully reflective of the awakened feminine sensibility in modern India as she attempts to project the image of the changing traditional society. As such, Kamala Markandaya merits special mention both by virtue of the variety and complexity of her achievement, and representative of a major trend in the history of the Indo-Anglian novel."[5]**

Having won international fame and recognition with the publication of the first novel - Nectar in a Sieve (1954), she has to her credit publication of such novels as Some Inner Fury, A Silence of Desire, Possession, A Handful of Rice, The Coffer Dams, The Nowhere Man, Two Virgins, The Golden Honey Comb and The Pleasure City.

In most of her novels, she projects the life of rural as well as urban society, focussing on burning issues such as poverty, hunger, exploitation, degradation, and

East-West encounters. She leaves an indelible imprint on our hearts. She has, no doubt, immortalized her in English literature.

REFERENCES

18. Markandaya, Kamala. Nectar in a Sieve, Bombay : Jaico : 1954.
19. Markandaya, Kamala. A Handful of Rice, New Delhi : Current Paperbacks, 1966.
20. Walsh, Williams, Indian Literature in English, Vol. 6, United Kingdom : Longman, 1990, p. 70.
21. Iynger, Srinivasa, K.R. Indian Writing in English, Bombay : Asia Publishing House, 1973, p. 438.
22. Rao, Krishna, A.V. Continuity and Change in the Novels of Kamala Markanadaya, Perspectives on Kamala Markanadaya, Aligarh; Faculty of Arts, Aligarh Muslim University, 1978, p.71.

The Feminist Aspects of Shashi Deshpande's Novel - The Dark Holds No Terror

Jyoti Mishra

Ph.D. Scholar (English)
R.S.K.D.P.G. College
Jaunpur

Abstract

Shashi Deshpande has made use of woman's issues in the texture of her novels. Being a woman she can better experience and express the problems of womankind. She presents a realistic picture of woman's living conditions and their struggles in a man-dominated society.

The Dark Holds No Terror (1980) is Deshpande's first novel. In this novel she attempts a psychological probe into an educated middle class woman's tortures in married life. Her husband becomes an abnormal man in the grip of his inferiority complex. The protagonist Sarita or Saru, faces problems of gender discriminations and biased attitudes right from her childhood. She is ever in clash with her mother who could never forgive her for neglecting her responsibility towards her younger brother Dhruva.

Because of her negligence the brother drowned in a pond near the parental house. The mother blamed her for his death and never pardoned her. Saru's mother took no interest in the child's education and progress. She, unlike Dhruva's, did not celebrate her birthdays. Even her movements were restricted. She made unkind remarks about her dark skin. Saru, thus, grew up in a hostile atmosphere - unloved, unwanted, and insecure. The mother gave her a differential treatment, and praised. Dhruva by such statements as following.

"And Dhruva ? He's different. He's a boy." (1980 : 45)[1]

Saru were to feel that she was responsible for the death of her younger brother. She became guilt-conscious and psychologically depressed.

As she grew up, Saru turned out to be rebellious against her parents, especially mother. To hurt them with her action and choice, she chose Manu as her husband. Manu was a non-brahmin, belonging to a lower class.

She had joined the medical college to pursue her career, and, there she fell in love with Manu, a college mate, and married him against the wishes of her parents. Her mother's love for Saru could have averted this marriage, but that was not to be. Saru wanted someone who could love her and care for her.

> **"I gave myself up unconditionally unreservedly to him. To love him and to be loved." (1980:66)[2]**

For her the married life was all happy in the initial years. Manu also loved her deeply. But later, their love turned into a nightmare.

For this strained relationship between Manu and Saru, there are some reasons. One reason is her rise in the eyes of the public as a doctor. The public recognition of Saru as doctor breeds the inferiority complex in Manu. People come over to her for advice and treatment, and Manu felt uncomfortable with her evergrowing popularity. He felt a bit ignored, as Saru was not able to spare time for him. They had no time to move out, to go to a movie, or to enjoy life together. So their love dwindled, their warmth waned.

Another reason is Dr. Broozie's filtrations with Saru. He helped her financially to establish her clinic in a posh area. Saru, accepted his help unreservedly. She took it as a teacher assisting a student. He was her senior in medical profession. In the words of Saru herself.

> **It was just a teacher-student relationship. If he put his hand on my shoulder, slapped me on my back, held my hand or hugged me... that was just his mannerism and meant nothing. It had nothing to do with me and Manu. [1980:91][3]**

Broozie did all this to conceal his homosexual nature, and Saru wanted to take advantage of her nearness to him in order to become a reputed doctor. This behaviour of the two doctors bred a sort of discomfort in Saru's relations with her husband. Manu started neglecting her. Their love touched a new low. Saru also felt within that she was not paying proper attention to her husband and children, and to domestic responsibilities.

A third reason that precipitated the crisis in Manu-Saru's relations was a journalist's question in an interview with Manu. The question asked was "How does it feel when your wife earns not only the butter but the bread as well ?" [1980:35][4]

Manu, who was a teacher in a local college, felt hurt by this remark. He was mentally hurt, for he knew that his wife was a successful doctor, earning a lot of money. Hereafter, Manu became an aggressive man in bed with Saru. He assaulted her sexually to assert his manliness.

In the words of Saru:

He attacked me like an animal that night. I was sleeping and woke up and there was this .... This man hurting me with his hands, his teeth, his whole body. [1980:201][5]

Night turned highly tortuous for Saru. She could not tolerate his beastly behaviour at nights. While in day times he remained normal as though nothing terrible had happened in night time.

In the meantime, Saru received the news of her mother's death and decided to go to her Baba to console him and to consult him about her strained relationship. Her Baba remained detached from her personal matter. He advised her to sort out her matter by talking to Manu about it. Saru, now realised that she had to be self-assertive and confident in charting out the future course of her life. So, she returns to her children and husband. In fact, Shashi Deshpande does not allow to go the western way, totally liberated. She rather strikes a note of compromise for a married Indian woman, and that way she maintains the Indian social tradition.

REFERENCES

1. Shashi Deshpande, The Dark Holds No Terror, New Delhi, Vikas Publishing House : 1980, p. 45.
2. Ibid. p. 66.
3. Ibid. p. 91.
4. Ibid. p. 35.
5. Ibid p. 201.

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम– प्रभात

लेखक– पं0 शिवानंद चौबे
प्रकाशन – संगिनी प्रकाशन
संस्करण– प्रथम 2022
पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या– 536 पृष्ठ

कविता मानव जीवन को प्रकाशित करती है। उसी प्रकार यह पुस्तक जो प्रभात नामक शीर्षक द्वारा रचित है। यह प्रभात सह्रदय जनों के अंतःकरण को प्रकाशित करेगी। जनपद जौनपुर की धरती वास्तव में बड़ी उर्वरा है। यहां पर कवि, लेखक जैसे वैदुष्य का अपार भंडार है। इसी क्रम में प्रभात के लेखक पंडित शिवानंद चतुर्वेदी जी हैं। इनकी लेखनी मां गंगा की धारा की तरह अविरल प्रवाहमान है। आपने अपने प्रभात नामक ग्रंथ में जो कविताओं का संग्रह किया है। वह अद्भुत है। पुस्तक प्रभात पूर्व प्रकाशित छः पुस्तकों व कुछ अप्रकाशित रचनाओं का एक संयुक्त काव्य संग्रह है। जिसमें रम्भा, अलिगुंजन, यक्ष गुंजन, गीत गुंजन, वातायन, परवाज जैसे ग्रंथों के गीतों का संग्रह है।

कवि के द्वारा अपने काव्य खंड रम्भा में समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्नों का प्राकट्य हुआ। इस अद्भुत कथा को बड़े ही अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

धनवंतरि कर अमित ले औषधि जिसु प्रतिरोम।
कामधेनु कलपद्रुम अमरावति शशि व्योम।।
रम्भा से पहले प्रकट श्री मणि हुई अनूप।
पाञ्चजन्य धनु हरि लिए चारों अति अपरूप।।
चारों अति अपरूप बाजि ऐरावत सुरपति।
सुरा असुर विष कालकूट को गह्यो उमापति।।
रूप अनुपम देखि हुआ अति रतिहिं अचंभा।
सुंदरि सबै सिहात प्रकट देखी जब रम्भा।।

कवि ने अपने अगले खण्ड में अलिगुंजन द्वारा भौरों के प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहा कि

आई बसे ब्रज ते जबहिं मथुरा माखन चोर।
प्रीति पुरातन ना घटे कटे न सुधि की डोर।।

इसी प्रकार कवि ने यमक अलंकार का अनूठा प्रयोग करते हुए सारंग के सारे अर्थ का प्रयोग प्रस्तुत पद में करने का अनूठा प्रयोग किया है।

सारंग के तन सारंग सारंग सारंग दाबि सतावत सारंग।
सारंग सी कटि सारंग भौंह कि चाल लगे जस आवत सारंग।।
सारंग स्वाति को सारंग सो जस तृप्ति के हेतु है जाचक सारंग।
सारंग ते फहरे उड़ि सारंग सारंग सी मृदु गावत सारंग।।

कवि ने विरह के दुख को व्यक्त करते हुए श्लेषानुप्राणित छन्द का अनूठा प्रयोग किया। जिसमें यक्ष के वियोग का माधुर्य भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

केहिं विधि दीरध निशि घटे दिवस याम त्रय थोर।
दाह घटे अस मन चहत आतप विरह कठोर ।।

कवि के द्वारा दिल टूटे आवाज न होती, दुख दिन दूना लगता है, आता कभी बसंत नहीं, सावन सावन नहीं रहा, मेरी कचहरी सुनी है, मेरे ह्रदय का हार गया, कहने सुनने की बातें हैं आदि कविताओं के माध्यम से विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति की है। दामन पर कोई दाग नहीं है। कविता के माध्यम से मानव ने स्वच्छ निर्मल ह्रदय की भावनाओं का प्रस्तुतीकरण कर स्व ह्रदय की अभिव्यक्ति की है।

सच कहता हूँ स्याह अंधेरे से कोई अनुराग नहीं है।
उजला था उजला ही है दामन पर कोई दाग नहीं है।।

अलबेला फागुन आए, अजहू नाही घर आए जैसी कविताओं में कवि ने ऋतुओं का अनूठा भाव प्रकट किया है। वातायन खण्ड में आपके द्वारा गुलाब, रम्भा ,पूनम, चॉद, जनवरी, कृष्णा, सीता स्वयंवर, कामिनी, विरह, प्रेम, होली, नारी, मधुमास, सती के साथ–साथ राजनीतिक सियासत पर भी अपनी लेखनी चलाकर चमचों एवं राजनीति के ठेकेदारों पर बड़ा ही सटीक व्यंग किया है।

जीता तो मेरे बड़े काम आया
दिया है कलोनी तिहावा गपक के।

वहीं

सलीके से चलती नफासत की अम्मा।
लगे जैसे पूरी शराफत की अम्मा।।
मगर करके वादे उन्हें भूल जाती।
मेरी प्रेमिका है सियासत की अम्मा।।

मुगलिया सल्तनत से मरते दम तक टक्कर लेने वाले राजपूत आन, बान और शान के ध्वजा वाहक महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर बहुत सारी कविताओं का ओजपूर्ण सृजन हुआ है। श्याम नारायण पांडेय जी भी चेतक पर लिखी कविता आज अजर अमर है। उसी भांति पंडित शिवानन्द चतुर्वेदी की कविता चेतक की अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति, ओजपूर्ण रस, से

सहृदयों के बीच विद्यमान है। कवि ने चेतक को वाजश्रवा का भाई समझते हुए अपनी व्यक्त की है।

लगता उठती अंगड़ाई सा।
सतकृत से हुई कमाई सा।।
देखे जो नजर ठहर जाती ।
वो वाजश्रवा के भाई सा।।

श्याम नारायण पांडेय की पंक्ति

चढ़कर चेतक पर घूम– घूम करता
करता मेना रखवाली था।
ले महामृत्यु को साथ–साथ
मानो प्रत्यक्ष कपाली था ।

उपरोक्त पद की छाप मानो कवि को कहीं न कहीं झकझोर देती है। तभी उसकी पंक्ति उन पंक्तियों की समरूपता स्पष्ट दिखाई देती है।

धरती से नभ तक दौड़ा था ।
क्षण क्षण परकख को मोड़ा था ।
संकेत समझ जाता पल में
ऐसा अलबेला घोड़ा था।।

सारांश स्वरूप कहा जाए तो लेखक ने अपने इन कविताओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति, अभिलाषाओं, विचारों को समझते हुए विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं को आत्मसात कर बड़ी ही सहज, प्रबोध एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्ति की है। कवि के ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात यदि कोई कवि नहीं भी है तो उसके अंदर कविता का भाव अवश्य जागृत हो जाएगा। ऐसे कवि एवं उनके ग्रंथ का परिचय जनसाधारण को अवगत कराने के लिए यह पुस्तक सक्षम है। इसके लिए मैं पंडित शिवानंद चतुर्वेदी को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं उन्होंने ऐसे ग्रंथ का प्रणयन किया। जो समाज के लिए एक नई कृति है।

समीक्षक
डॉ0 विनय कुमार त्रिपाठी

सम्पादक
शोधमार्तण्ड
प्राचार्य
श्री गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय
सुजानगंज, जौनपुर (उ0प्र0)